रजिस्ट्री सं० डी-111 REGISTERED No. D-222

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 3] नई दिल्ली, शनिवार, जनवरी 20, 1973 (पौष 30, 1894)
No. 3] NEW DELHI, SATURDAY, JANUARY 20, 1973 (PAUSA 30, 1894)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

नोटिस
(NOTICE)

नीचे लिखे भारत के असाधारण राजपत्र 15 फरवरी 1972 तक प्रकाशित किये गये हैं :—
The undermentioned *Gazettes of India Extraordinary* were published up to the 15th February 1972 :—

अंक Issue No.	संख्या और तिथि No. and Date	द्वारा जारी किया गया Issued by	विषय Subject
1	2	3	4

—शून्य—
—Nil—

ऊपर लिखे असाधारण राजपत्रों की प्रतियां प्रकाशन प्रबन्धक, सिविल लाइन्स, दिल्ली के नाम मांग-पत्र भेजने पर भेज दी जाएंगी। मांग-पत्र प्रबन्धक के पास इन राजपत्रों के जारी होने की तिथि से दस दिन के भीतर पहुंच जाने चाहिएं।

Copies of the *Gazettes Extraordinary* mentioned above will be supplied on indent to the Manager of Publications, Civil Lines, Delhi. Indents should be submitted so as to reach the Manager within ten days of the date of issue of these Gazettes.

विषय-सूची

	पृष्ठ
भाग I—खंड 1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं	43
भाग I—खंड 2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं	67
भाग I—खंड 3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं	—
भाग I—खंड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं	35
भाग II—खंड 1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम	—
भाग II—खंड 2—विधेयक और विधेयकों संबंधी प्रवर समितियों की रिपोर्ट	—
भाग II—खंड 3—उपखंड (i)—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ-राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारों द्वारा जारी किए गए विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित ह)	55
भाग II—खंड 3—उपखंड (ii)—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ-राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारों द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए आदेश और अधिसूचनाएं	161
भाग II—खंड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा अधिसूचित विधिक नियम और आदेश	—
भाग III—खंड 1—महालेखा परीक्षक, संघ लोक-सेवा आयोग, रेल प्रशासन, उच्च न्यायालयों और भारत सरकार के अधीन तथा संलग्न कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	75
भाग III—खंड 2—एकस्व कार्यालय, कलकत्ता द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं और नोटिस	19
भाग III—खंड 3—मुख्य आयुक्तों द्वारा या उनके प्राधिकार से जारी की गई अधिसूचनाएं	5
भाग III—खंड 4—विधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिनमें अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिसें शामिल हैं	317
भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी संस्थाओं के विज्ञापन तथा नोटिसें	11
पूरक संख्या 3—	
13 जनवरी, 1973 को समाप्त होने वाले सप्ताह की महामारी संबंधी साप्ताहिक रिपोर्ट	103
23 दिसम्बर 1972 को समाप्त होने वाले सप्ताह के दौरान भारत में 30,000 तथा उससे अधिक आबादी के शहरों में जन्म तथा बड़ी बीमारियों से हुई मृत्यु सम्बन्धी आंकड़े	113

CONTENTS

	PAGE
PART I—SECTION 1.—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	43
PART I—SECTION 2.—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	67
PART I—SECTION 3.—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministry of Defence	—
PART I—SECTION 4.—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Officers issued by the Ministry of Defence	35
PART II—SECTION 1.—Acts, Ordinances and Regulations	—
PART II—SECTION 2.—Bills and Reports of Select Committees on Bills	—
PART II—SECTION 3.—SUB-SEC. (i)—General Statutory Rules (including orders, bye-laws etc. of general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)	55
PART II—SECTION 3.—SUB-SEC. (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)	161
PART II—SECTION 4.—Statutory Rules and Orders notified by the Ministry of Defence	—
PART III—SECTION 1.—Notifications issued by the Auditor General, Union Public Service Commission, Railway Administration, High Courts and the Attached and Subordinate Offices of the Government of India	75
PART III—SECTION 2.—Notifications and Notices issued by the Patent Offices, Calcutta	19
PART III—SECTION 3.—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners	5
PART III—SECTION 4.—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	317
PART IV—Advertisements and Notices by Private Individuals and Private Bodies	11
SUPPLEMENT NO. 3	
Weekly Epidemiological Reports for week-ending 13th January, 1973	103
Births and Deaths from Principal diseases in towns with a population of 30,000 and over in India during week ending 23rd December, 1972	113

भाग I—खण्ड 1

(PART I—SECTION 1)

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

मन्त्रिमंडल सचिवालय
(कार्मिक विभाग)]
नियम

नई दिल्ली, दिनांक 20 जनवरी 1973

सं० 10 (1)/73 सी० एस०-II—(मन्त्रिमण्डल सचिवालय में कार्मिक विभाग के सचिवालय प्रशिक्षण तथा प्रबन्ध संस्थान) द्वारा 1973 में निम्नलिखित सेवाओं पदों में अस्थायी रिक्तियों में नियुक्ति के लिए ली जाने वाली प्रतियोगिता परीक्षा के नियम सर्वसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किए जाते हैं :—

(1) भारतीय विदेश सेवा (ख)—ग्रेड 6
(2) रेलवे बोर्ड सचिवालय लिपिक सेवा—ग्रेड 2
(3) केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा—अवर श्रेणी ग्रेड
(4) सशस्त्र सेना मुख्यालय लिपिक सेवा—अवर श्रेणी ग्रेड
(5) संसदीय कार्य विभाग, नई दिल्ली में अवर श्रेणी लिपिक के पद
(6) विशेष महानिरीक्षक, भारत तिब्बत सीमा पुलिस, दिल्ली के कार्यालय में अवर श्रेणी लिपिक के पद
(7) उपर्युक्त सेवाओं के अन्तर्गत न आने वाले भारत सरकार के अन्य विभागों तथा सम्बद्ध कार्यालयों में निम्न श्रेणी लिपिक के पद।

कोई उम्मीदवार उपर्युक्त सेवाओं/पदों में से किसी भी एक या एक से अधिक सेवाओं/पदों के लिए आवेदन कर सकता है। यदि वह चाहे तो उसे केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा की आरक्षित सूची में शामिल करने के लिए भी विचार किया जा सकता है। वह जितनी भी सेवाओं/पदों के लिए विचार करवाना चाहे उन सबका उल्लेख आवेदन-पत्र में करे।

नोट :—उम्मीदवारों को चाहिए कि वे जिन सेवाओं/पदों के लिए विचार करवाना चाहते हैं, उनकी प्राथमिकता क्रम स्पष्टतः लिखें। उम्मीदवार द्वारा प्रारम्भ में अपने आवेदन-पत्र में निर्दिष्ट सेवाओं/पदों के प्राथमिकता क्रम में अपने आवेदन-पत्र में परिवर्तन करने की किसी भी ऐसी प्रार्थना पर, जो सचिवालय प्रशिक्षण तथा प्रबन्ध संस्थान के कार्यालय में परीक्षा की तिथि से तीन मास के अंदर न मिल जाए, विचार नहीं किया जाएगा।

2. परीक्षा के परिणाम पर भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या संस्थान द्वारा जारी की गई सूचना में निर्दिष्ट की जाएगी। भारत सरकार द्वारा निर्धारित रिक्तियों में भूतपूर्व सैनिक तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित आदिम जाति के उम्मीदवारों के लिए आरक्षण किया जाएगा।

भूतपूर्व सैनिक का अर्थ उस व्यक्ति से है जो संघ की शस्त्र सेना में किसी भी पद पर (चाहे लड़ाकू के रूप में रहा हो अथवा नहीं) निरन्तर 6 मास की अवधि तक रहा हो और दुराचार या अदक्षता के कारण पदच्युत सेवा मुक्त किए जाने को छोड़कर अन्य किसी भी कारण से नौकरी से मुक्त कर दिया गया है।

स्पष्टीकरण—इन नियमों के लिए "संघ की सशस्त्र सेना" में भूतपूर्व भारतीय रियासतों की सशस्त्र सेनाएं शामिल होंगी परन्तु निम्न सेनाओं के सदस्य शामिल नहीं हैं :—अर्थात्

(क) आसाम राइफल्स;
(ख) लोक सहायक सेना; तथा
(ग) जनरल रिजर्व इंजीनियर फोर्स।

अनुसूचित जाति/आदिम जाति का अर्थ उस किसी भी जाति/आदिम जाति से है जिसका अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति आदेश संशोधन सूचियां अधिनियम, 1956 बम्बई पुनर्गठन अधिनियम, 1960 तथा पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 के साथ पठित अनुसूचित जाति/आदिम जाति (तरमीम) आदेश, 1956, संविधान (जम्मू व कश्मीर) अनुसूचित जाति आदेश 1956 संविधान (अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह) अनुसूचित आदिम जाति आदेश, 1959, संविधान (दादरा तथा नागर हवेली) अनुसूचित आदिम जाति आदेश, 1962, संविधान (दादरा तथा नागर हवेली) अनुसूचित जाति आदेश 1962, संविधान (पांडिचेरी) अनुसूचित जाति आदेश, 1964, संविधान (आदिम जाति) (उत्तर प्रदेश) आदेश, 1967, संविधान (गोवा, डमन व दीव) आदिम जाति आदेश, 1968 तथ संविधान (नागालैंड) अनुसूचित आदिम जाति आदेश, 1970 में उल्लेख है।

3. सचिवालय प्रशिक्षण तथा प्रबंध संस्थान द्वारा इस परीक्षा का संचालन इन नियमों के परिशिष्ट 1 में निहित विधि से किया जाएगा।

परीक्षा की तारीखें और स्थान संस्थान द्वारा निर्धारित किए जाएंगे।

4. यह आवश्यक है कि उम्मीदवार या तो

(क) भारत का नागरिक हो, या

(ख) सिक्किम की प्रजा, या

(ग) नेपाल की प्रजा, या

(घ) भूटान की प्रजा, या

(ङ) ऐसा तिब्बती शरणार्थी हो, जो भारत में स्थायी रूप से बसने की इच्छा से 2 जनवरी 1962 से पहले भारत में आ गया हो, या

(च) ऐसा मूल भारतीय व्यक्ति हो, जो भारत में अस्थायी रूप से बसने की इच्छा से पाकिस्तान, बंगला देश, बर्मा, श्रीलंका, तथा पूर्वी अफ्रीकी देशों केन्या, उगाण्डा तथा संयुक्त गणराज्य तंजानिया (भूतपूर्व टांगानिका व जंजीबार) से प्रव्रजित हुआ हो।

परन्तु ऊपर की श्रेणी (ग), (घ), (ङ) और (च) से संबंधित उम्मीदवारों के पास भारत सरकार द्वारा उनके नाम दिया गया पात्रता प्रमाण-पत्र होना चाहिए।

परन्तु निम्नलिखित में से किसी भी श्रेणी से संबंधित उम्मीदवारों के मामलों में पात्रता प्रमाण-पत्र आवश्यक नहीं होगा :—

(1) वे व्यक्ति जो 19 जुलाई, 1948 से पहले पाकिस्तान से भारत में प्रव्रजित हुए और तभी से आमतौर पर भारत में ही रह रहे हैं।

(2) वे व्यक्ति जो 19 जुलाई, 1948 को या इसके बाद पाकिस्तान से भारत में प्रव्रजित हुए और भारत के संविधान के अनुच्छेद 6 के अधीन अपने को भारत के नागरिक पंजीकृत करा चुके हैं।

(3) ऊपर की श्रेणी (घ) के वे गैर-नागरिक जो संविधान लागू होने की तारीख अर्थात् 26 जनवरी, 1950 से पहले भारत सरकार की सेवा में आ गए और तभी से लगातार उस सेवा जो व्यक्ति सेवा भंग करके जनवरी, 1950 के बाद उसी सेवा में फिर आया हो अथवा फिर आए उसे औरों की भांति पात्रता प्रमाण-पत्र लेना आवश्यक होगा।

इसके अतिरिक्त एक शर्त यह भी है कि उपर्युक्त श्रेणी (ग), (घ) तथा (ङ) के उम्मीदवार भारतीय विदेश सेवा (ख) ग्रेड-6 में नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे।

किसी ऐसे उम्मीदवार को जिसके मामले में पात्रता प्रमाण-पत्र आवश्यक है यदि सरकार आवश्यक प्रमाण-पत्र दे दे जो उसे परीक्षा में बैठने दिया जा सकता है तथा अंतिम रूप से उसकी नियुक्ति भी की जा सकती है।

5. जो उम्मीदवार किसी अनुसूचित जाति या अनुसूचित आदिम जाति से संबंधित न हो, या संघ राज्य क्षेत्र पांडिचेरी का निवासी न हो या संघ राज्य क्षेत्र गोवा, दमन तथा दीव का निवासी न हो, या केन्या, उगांडा और संयुक्त गणराज्य तंजानिया (भूतपूर्व तंजानिका और जंजीबार) से प्रव्रजन करने न आया हो वह प्रतियोगिता में दो से अधिक बार नहीं बैठ सकता; किन्तु यह प्रतिबन्ध सन् 1961 में हुई परीक्षा से लागू होगा।

टिप्पणी 1 : यदि परीक्षा के परिणाम के प्रकाशित होने से पहले अथवा बाद में किसी भी समय यह पाया गया कि उम्मीदवार परीक्षा में दो बार पहले ही बैठ चुका था और इस परीक्षा में बैठने का पात्र नहीं था जो उसका परिणाम यथास्थिति रोक लिया जाएगा अथवा रद्द कर दिया जाएगा और नियम 15 के अनुसार आगे कारवाई की जाएगी।

टिप्पणी 2 : यदि कोई उम्मीदवार एक या अधिक सेवाओं/पदों के लिए प्रतियोगिता करे तो इस नियम के प्रयोजन के लिए उस उम्मीदवार को परीक्षा के अन्तर्गत आने वाली सभी सेवाओं/पदों के लिए एक बार प्रतियोगिता परीक्षा में बैठा माना जाएगा।

टिप्पणी 3 : किसी उम्मीदवार को प्रतियोगिता परीक्षा में बैठा हुआ तब माना जाएगा जब वह वास्तव में किसी एक या अधिक विषयों की परीक्षा में बैठा हो।

6. (क) इस परीक्षा में बैठने के लिए यह जरूरी है कि उम्मीदवार की आयु पूरे 18 वर्ष की हो गई हो और 1 जनवरी 1973 को पूरे 25 साल की न हुई हो, अर्थात् उसका जन्म 2 जनवरी, 1948 से पहले और 1 जनवरी, 1955 के बाद न हुआ हो।

(ख) उन भूतपूर्व सैनिकों के मामले में जिन्होंने संघ की सशस्त्र सेना में कम से कम छः महीने की निरन्तर सेवा की हो, उनकी सशस्त्र सेना में कुल सेवा में तीन वर्ष की वृद्धि तक ऊपरी आयु सीमा में छूट दी जाएगी।

परन्तु इस आयु छूट के अधीन परीक्षा में प्रवेश पाने वाले उम्मीदवार केवल भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित रिक्तियों के लिए ही प्रतियोगी होने के हकदार होंगे।

नोट :—उपरोक्त नियम 6 (ख) के प्रयोजन के लिए किसी भूतपूर्व कर्मचारी की सशस्त्र सेना में अहवान पर सेवा की अवधि भी सशस्त्र सेना में की गई सेवा के रूप में समझी जाएगी।

(ग) उक्त ऊपरी आयु सीमा में निम्नलिखित और अधिक छूट दी जाएगी :—

(1) यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति या अनुसूचित आदिम जाति से संबंधित हो तो अधिक से अधिक 5 वर्ष तक,

(2) यदि उम्मीदवार बंगला देश (भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान) से आया हुआ वास्तविक विस्थापित व्यक्ति हो और 1 जनवरी, 1964 या उसके बाद किन्तु 25 मार्च 1971 से पूर्व प्रव्रजन करके भारत में आया हो तो अधिक से अधिक तीन वर्ष तक,

(3) यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति या अनुसूचित आदिम जाति से संबंधित हो तथा बंगला देश (भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान) से आया हुआ वास्तविक विस्थापित व्यक्ति हो और 1 जनवरी, 1964 या उसके बाद किन्तु 25 मार्च, 1971 से पूर्व प्रव्रजन कर भारत आया हो तो अधिक से अधिक 8 वर्ष तक,

(4) यदि उम्मीदवार संघ राज्य क्षेत्र पांडिचेरी का निवासी हो और किसी स्तर पर उसकी शिक्षा फ्रेंच भाषा के माध्यम से हुई हो तो अधिक से अधिक 5 वर्ष तक,

(5) यदि उम्मीदवार श्रीलंका से आया हुआ वास्तविक देश-प्रत्यावर्तित भारतीय मूल का व्यक्ति हो और अक्तूबर, 1964 के भारत-लंका समझौते के अधीन पहली नवम्बर, 1964 को या उसके बाद श्रीलंका से भारत में प्रव्रजित हुआ हो तो अधिकतम् 3 वर्ष तक,

(6) यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति या अनुसूचित आदिम जाति से संबंधित हो तथा श्रीलंका से आया हुआ वास्तविक देश-प्रत्यावर्तित भारतीय मूल का व्यक्ति हो और अक्तूबर, 1964 के भारत-लंका समझौते के अधीन पहली नवम्बर, 1964 को या उसके पश्चात् श्रीलंका से भारत में प्रव्रजित हुआ हो तो अधिकतम् 8 वर्ष तक,

(7) यदि उम्मीदवार संघ राज्य क्षेत्र गोवा, दमन और दीव का निवासी हो तो अधिक से अधिक तीन वर्ष तक,

(8) यदि उम्मीदवार भारतीय मूल का हो और केन्या, उगांडा और संयुक्त गणराज्य तंजानिया (भूतपूर्व तांगनिका और जंजीबार) से प्रव्रजित हो तो अधिकतम् 3 वर्ष तक,

(9) यदि उम्मीदवार बर्मा से आया हुआ वास्तविक देश-प्रत्यावर्तित भारतीय मूल का व्यक्ति हो और पहली जून, 1963 को या उसके पश्चात् भारत से प्रव्रजित हुआ हो तो अधिक से अधिक 3 वर्ष तक,

(10) यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति या अनुसूचित आदिम जाति से संबंधित हो तथा बर्मा से आया हुआ वास्तविक देश-प्रत्यावर्तित भारत मूल का व्यक्ति हो और पहली जून, 1963 को या उसके पश्चात् भारत में प्रव्रजित हुआ हो तो अधिकतम् 8 वर्ष तक,

(11) किसी दूसरे देश के झगड़ों के दौरान अथवा उपद्रवग्रस्त इलाकों में फौजी कार्यवाहियां करते समय अशक्त हुए तथा उसके परिणामस्वरूप नौकरी से निर्मुक्त ऐसे रक्षा सेवा कार्मिक के मामले में अधिकतम् 3 वर्ष तक,

(12) किसी दूसरे देश से झगड़ों के दौरान अथवा उपद्रवग्रस्त इलाकों में फौजी कार्यवाहियां करते समय अशक्त हुए तथा उसके परिणामस्वरूप नौकरी से निर्मुक्त ऐसे रक्षा कार्मिकों के मामलों में जो अनुसूचित जातियों अथवा अनुसूचित आदिम जातियों से संबंधित हो, अधिकतम् 8 वर्ष तक।

(घ) उक्त ऊपरी आयु सीमा में उन व्यक्तियों के मामले में 35 वर्ष आयु तक की छूट दी जाएगी जो भारत सरकार के विभिन्न विभागों तथा निर्वाचन आयोग के कार्यालय में लिपिकों के पदों पर नियमित रूप से नियुक्त हैं और 1 जनवरी 1973 को जिन्होंने लिपिकों के रूप में कम से कम 3 वर्ष तक की निरन्तर सेवा की है और उसी रूप में कार्य करते जा रहे हैं।

परन्तु यह भी शर्त है कि उक्त आयु की छूट उन व्यक्तियों को नहीं दी जाएगी जो मंत्रालयों/विभागों और सम्बद्ध कार्यालयों में (1) केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा, (2) भारतीय विदेश सेवा (ख), (3) रेलवे बोर्ड सचिवालय लिपिक सेवा और (4) सशस्त्र सेना मुख्यालय लिपिक सेवा में लिपिकों के रूप में कार्य कर रहे हैं तथा उन व्यक्तियों को जो भूतपूर्व सैनिक हैं और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित रिक्तियों के लिए परीक्षा में भी-प्रतियोगिता कर रहे हैं।

(ङ) उक्त ऊपरी आयु सीमा में उन व्यक्तियों के मामले में 35 वर्ष की आयु तक की छूट दी जाएगी जो भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों और सम्बद्ध कार्यालयों में केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा में हिन्दी लिपिक/हिन्दी टंकक के पदों पर नियुक्त हैं और 1 जनवरी 1973 को जिन्होंने हिन्दी लिपिकों/हिन्दी टंककों के रूप में कम से कम 3 वर्ष की निरन्तर सेवा की है और उसी रूप में कार्य करते जा रहे हैं।

परन्तु शर्त यह है कि उक्त आयु की छूट के अन्तर्गत परीक्षा में प्रविष्ट हिन्दी लिपिक/हिन्दी टंकक केवल केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा में रिक्तियों के लिए प्रतियोगिता के पात्र होंगे।

(च) ऊपरी आयु सीमा में उन सैनिकों लिपिकों के मामले में 45 वर्ष की आयु तक की छूट दी जायगी जिन्होंने गत वर्ष में सशस्त्र सेना में अपनी हाजिर सेवा की है, अर्थात् उन सबों को जो सेना से 2 जनवरी, 1973 से 1 जनवरी 1974 की अवधि में निवृत्त होने वाले हैं।

परन्तु शर्त है कि उक्त आयु की छूट के अन्तर्गत परीक्षा में प्रविष्ट उम्मीदवार केवल सशस्त्र सेना मुख्यालयों तथा अन्तरसेवा संगठनों में रिक्त स्थानों के लिए ही, जो भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित नहीं हैं, प्रतियोगिता के पात्र होंगे।

(छ) केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा में भाग लेने वाले मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों में 1 जनवरी 1972 को नियुक्त और निरन्तर कार्य कर रहे टेलीफोन आपरेटरों के लिए आयु की कोई सीमा नहीं है।

टिप्पणी 1 : डाक व तार विभाग के अधीनस्थ कार्यालयों में नियुक्त रेल-डाक छंटाईकारों की सेवा उपर्युक्त नियम 6 (घ) के प्रयोजन के लिए लिपिक के ग्रेड में की गई सेवा मानी जाएगी।

टिप्पणी 2 : यदि किसी उम्मीदवार को उपर्युक्त नियम 6 (घ) और नियम 6 (ङ) में उल्लिखित आयु संबंधी रियायतों के अन्तर्गत परीक्षा में बैठने दिया गया हो और यदि आवेदन पत्र देने के बाद परीक्षा में बैठने से पहले या बाद में, नौकरी से त्यागपत्र देना या उसके विभाग द्वारा उसकी सेवाएं समाप्त कर दी जाए तो उसकी उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है लेकिन यदि आवेदन-पत्र प्रस्तुत करने के बाद सेवा या पद से उसकी छंटनी हो जाए तो वह पात्र बना रहेगा।

टिप्पणी 3 : किसी लिपिक की जो सक्षाम प्राधिकारी के अनुमोदन से किसी निःसंवर्ग पद (एक्स-केडर पोस्ट) पर प्रतिनियुक्ति हो, अन्य सब प्रकार से पात्र होने पर परीक्षा में बैठने दिया जायगा।

टिप्पणी 4 : जहां तक उपर्युक्त (छ) श्रेणी के कर्मचारियों का संबंध है, उनके लिए परीक्षा में उत्तीर्ण होना है, प्रतियोगिता में आना नहीं।

ऊपर बताई गई स्थितियों के अलावा ऊपर विहित आयु सीमाओं में किसी हालत में छूट नहीं दी जा सकेगी।

7. यह आवश्यक है कि उम्मीदवारों ने नीचे लिखी परीक्षाओं में से कोई एक पास की हो या उनके पास निम्नलिखित में से एक प्रमाण पत्र हो :—

(1) भारत के केन्द्रीय अथवा राज्य विधान मण्डल के किसी अधिनियम द्वारा नियमित किसी विश्वविद्यालय की मैट्रिक परीक्षा;

(2) किसी राज्य के शिक्षा बोर्ड द्वारा माध्यमिक स्कूल कोर्स के अन्त में शालान्त (स्कूल लीविंग) माध्यमिक स्कूल, हाई स्कूल या ऐसे किसी और प्रमाण पत्र के दिए जाने के लिए, जिसे वह राज्य सरकार नौकरी में प्रवेश के लिए मैट्रिक के प्रमाण-पत्र के समकक्ष मानती हो, ली गई कोई परीक्षा,

(3) केम्ब्रिज स्कूल प्रमाण पत्र परीक्षा (सीनियर कैम्ब्रिज),

(4) राज्य सरकारों द्वारा ली गई यूरोपीय हाई स्कूल परीक्षा,

(5) दिल्ली पौलीटेकनिक के तकनीकी हायर सेकेंडरी स्कूल की दसवीं कक्षा का प्रमाणपत्र,

(6) भारत में किसी मान्यता प्राप्त हायर सेकेंडरी स्कूल/मल्टीपरपज स्कूल द्वारा हायर सेकण्डरी पाठ्यक्रम/मल्टीपरपज पाठ्यक्रम (जो किसी छात्र को डिग्री के कोर्स के लिए पात्र बनाता है (के उपान्तिम वर्ष में ली गई परीक्षा) में उत्तीर्ण,

(7) किसी मान्यता प्राप्त हायर सेकंडरी स्कूल या इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा के लिए छात्रों को तैयार कराने वाली किसी मान्यता प्राप्त स्कूल की दसवीं कक्षा का प्रमाणपत्र,

(8) अरविंद अन्तर्राष्ट्रीय शिक्षा केन्द्र, पांडिचेरी के उच्चतर माध्यमिक शिक्षा पाठ्यक्रम की दसवीं कक्षा का प्रमाण पत्र;

(9) जामिया मिलिया इस्लामिया, दिल्ली की जूनियर परीक्षा केवल जामिया के वास्तविक आवासी छात्रों के लिए,

(10) बंगाल (साइंस) स्कूल सर्टिफिकेट;

(11) नेशनल काउंसिल आफ एजूकेशन (राष्ट्रीय शिक्षा परिषद्) आदबपुर, पश्चिमी बंगाल की (शुरू से लेकर फाइनल स्कूल स्टैण्डर्ड परीक्षा);

(12) गुजरात विद्यापीठ, अहमदाबाद की विनीत परीक्षा,

(13) पांडिचेरी की नीचे लिखित फ्रेंच परीक्षाएं :—

(1) ब्रीवे एलिमेनटेएर,

(2) ब्रीवे दैसंसीमा प्रोमिएयर द लांग इंदियेन

(3) ब्रीवे दे एतयूद टूयू प्रीमिये सिकल

(4) ब्रीवे द एंसीमा प्रीमियेर सुपीरियेर दे लांग इठदियेन और

(5) ब्रीवे दे लांग इंदियेन (वर्नाक्युलर),

(14) गोवा, दमन और दीव की पुर्तगाली परीक्षा लाइसिमूम के पांचवें वर्ष में पास,

(15) इंडियन आर्मी स्पैशल सार्टिफिकेट आफ एजूकेशन,

(16) भारतीय नौसेना का हायर एजूकेशन टैस्ट;

(17) एडवांस क्लास (भारतीय नौसेना) परीक्षा;

(18) सीलोन सीनियर स्कूल सार्टिफिकेट परीक्षा,

(19) ईस्ट बंगाल सेकेंडरी एजूकेशन बोर्ड, ढाका द्वारा किया गया प्रमाण पत्र,

(20) बगला देश के कोमिल्ला/राजशाही/खुलना/जैसोर के सैकेंडरी एजुकेशन बोर्ड द्वारा दिए गए सेकेंडरी स्कूल के प्रमाण-पत्र,

(21) नेपाल सरकार की स्कूल लीविंग सार्टिफिकेट परीक्षा,

(22) एंग्लोवर्नाक्युलर स्कूल लीविंग सार्टिफिकेट (बर्मा),

(23) बर्मा हाई स्कूल फाइनल एग्जामिनेशन सार्टिफिकेट;

(24) बर्मा हाई स्कूल फाइनल एग्लोवर्नाक्युलर हाई स्कूल परीक्षा (युद्ध पूर्व);

(25) बर्मा का पोस्ट-वार स्कूल लीविंग सार्टिफिकेट;

(26) सामान्य स्तर पर श्रीलंका की सार्टिफिकेट आफ एजूकेशन नामक परीक्षा यदि वह अंग्रेजी तथा गणित और सिंहली या तमिल सहित छः विषयों में पास की गई हो,

(27) सामान्य स्तर पर लंदन के एसोसिएटेड एग्जामिनेशन बोर्डस का जनरल सार्टिफिकेट आफ एजूकेशन परीक्षा, यदि वह अंग्रेजी सहित पांच विषयों में पास की गई हो,

(28) किसी राज्य तकनीकी शिक्षा बोर्ड द्वारा ली गई जूनियर बोर्ड्स सेकेंडरी तकनीकी स्कूल परीक्षा।

(29) वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी की पूर्व मध्यमा (अंग्रेजी सहित) या पुरानी खंड मध्यमा (प्रथम दो वर्ष का पाठ्यक्रम) तथा उस विद्यालय के विषयों में से एक विषय अंग्रेजी सहित अतिरिक्त विषयों में विशिष्ठ परीक्षा;

(30) गोवा, दमन तथा दीव की स्वतंत्रता से पूर्व पुर्तगाली स्थापना के अन्तर्गत इस्कोला इन्डस्ट्रीयल, कोमर्शियल दी गोवा, पाणजी द्वारा दिया गया । कार्ता दी, फोर्मिक दी सैरदहेरो (सिमिथी पाठ्यक्रम का प्रमाणपत्र) तथा कार्ता दी कुर्सी दी मोन्तादर इलैक्ट्रीसिस्टा (इलैक्ट्रीशियन) पाठ्यक्रम का प्रमाण-पत्र;

(31) राष्ट्रीय भारतीय मिलिट्री कालेज डिप्लोमा परीक्षा;

(32) राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, नई दिल्ली द्वारा संचालित "मध्यमा" परीक्षा;

(33) कारपोरल के रैंक में पदोन्नति के लिए शिक्षा निदेशालय वायुसेना मुख्यालय, नई दिल्ली द्वारा ली जाने वाली भारतीय वायुसेना शैक्षिक परीक्षा;

(34) दिल्ली विश्वविद्यालय के 1965 में उत्तीर्ण की गई विज्ञान की अर्हक परीक्षा;

टिप्पणी 1 : यदि कोई उम्मीदवार ऐसी परीक्षा, जिसमें उत्तीर्ण होने पर वह इस परीक्षा में बैठ सकता है, दे चुका हो, लेकिन उसके परिणाम की सूचना उसे नहीं मिली हो ऐसी स्थिति में वह इस परीक्षा में बैठने के लिए आवेदन पत्र भेज सकता है । जो उम्मीदवार उक्त किसी अर्हक (क्वालीफाइंग) परीक्षा में बैठना चाहते हों, वे भी आवेदन पत्र दे सकते हैं बशर्ते कि वह अर्हक परीक्षा इस परीक्षा के शुरू होने से पहले समाप्त हो जाए ।

ऐसे उम्मीदवारों को यदि वे अन्य शर्तें पूरी करते हों, परीक्षा में बैठने दिया जाएगा किन्तु परीक्षा में बैठने की अनुमति अन्तिम होगी और यदि वे उक्त परीक्षा पास करने का प्रमाण जल्दी से जल्दी और हर हालत में इस परीक्षा के शुरू होने की तारीख से अधिक से अधिक दो महीने के अन्दर-अन्दर प्रस्तुत नहीं करते तो यह अनुमति रद्द कर दी जा सकेगी ।

टिप्पणी 2 : कुछ विशिष्ट मामलों में, किसी ऐसे उम्मीदवार को, जिसके पास उक्त नियमों के अनुसार कोई उपाधि नहीं है, केन्द्रीय सरकार अर्हता-प्राप्त उम्मीदवार मान सकती है बशर्ते कि वह उस स्तर तक अर्हता प्राप्त है जो उस सरकार की राय में परीक्षा में प्रवेश करने के लिए यथोचित है ।

8. (1) जिस व्यक्ति ने

(क) ऐसे व्यक्ति से विवाह या विवाह अनुबंध किया है, जिसका पति/पत्नी पहले से है, या

(ख) जिसने जीवित पति-पत्नी के होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह या विवाह अनुबन्ध किया है तो,

सेवा में नियुक्ति के लिए तब तक पात्र नहीं माना जाएगा जब तक कि केन्द्रीय सरकार संतुष्ट न हो जाए कि ऐसे व्यक्ति तथा विवाह संबंधी अन्य पक्ष के पक्षत्त व्यक्तिक कानून के अनुसार ऐसा विवाह स्वीकृत है तथा ऐसा करने के अन्य कारण हैं और उसको इस नियम से छूट न दे दे ।

(2) जिस व्यक्ति ने विदेशी राष्ट्रिक से विवाह किया है भारतीय विदेश सेवा (ख) ग्रेड (6) की नियुक्ति के लिए पात्र नहीं माना जाएगा ।

(3) जिस व्यक्ति के तीन से अधिक बच्चे हैं वह भारतीय विदेश सेवा (ख) ग्रेड-6 की नियुक्ति के लिए पात्र नहीं माना जाएगा ।

9. जो उम्मीदवार स्थायी या अस्थायी हैसियत से पहले सरकारी सेवा कर रहा हो उसे इस परीक्षा में बैठने से पहले अपने विभाग अध्यक्ष की अनुमति अवश्य ले लेनी चाहिए ।

10. उम्मीदवार को मानसिक और शारीरिक दृष्टि से स्वस्थ होना चाहिए और उसमें कोई ऐसा शारीरिक दोष नहीं होना चाहिए जो संबंधित सेवा/पद के अधिकारी के रूप में अपने कर्तव्यों को कुशलता पूर्वक निभाने में बाधक हो । यदि सक्षम प्राधिकारी द्वारा विहित डाक्टरी परीक्षा के बाद किसी उम्मीदवार के बारे में यह ज्ञात हुआ कि वह इन अपेक्षाओं को पूरा नहीं कर सका है तो उसकी नियुक्ति नहीं की जाएगी । केवल उन्हीं उम्मीदवारों की डाक्टरी परीक्षा की जाएगी जिन पर नियुक्ति के सम्बन्ध में विचार किए जाने की सम्भावना हो ।

टिप्पणी : अशक्त भूतपूर्व रक्षा-कार्मिकों के मामले में रक्षा सेवा के सम विघटन डाक्टरी बोर्ड (डीमोबीलाइजेशन मैडिकल बोर्ड) द्वारा किया गया स्वास्थ्यता प्रमाण पत्र नियुक्ति के प्रयोजन के लिए पर्याप्त समझा जाएगा ।

11. परीक्षा में बैठने के लिए उम्मीदवार की पात्रता या अपात्रता के बारे में संस्थान का निर्णय अन्तिम होगा ।

12. किसी भी उम्मीदवार को परीक्षा में तब तक नहीं बैठने दिया जाएगा जब तक उसके पास संस्थान का प्रवेश पत्र (सार्टिफिकेट आफ एडमीशन) न हो ।

13. सशस्त्र सेना से निवृत्त भूतपूर्व सैनिक तथा जिन्हें संस्थान के नोटिस के पैरा 7 (4) के अन्तर्गत शुल्क की छूट दी गई है, को छोड़कर सभी उम्मीदवारों को संस्थान के नोटिस के पैरा 7 में विहित फीस देनी होगी ।

15. यदि कोई उम्मीदवार संस्थान द्वारा इस बात के लिए दोषी घोषित किया जाए या किया गया हो कि उसने दूसरे व्यक्ति से अपनी परीक्षा दिलवाई है या जाली प्रलेख अथवा ऐसे प्रलेख प्रस्तुत किए हैं जिन में हेराफेरी की गई है या गलत या झूठे वक्तव्य दिए हैं या कोई महत्वपूर्ण बात छिपाई है या परीक्षा में प्रवेश पाने के लिए किसी और अनियमित या अनुपयुक्त तरीके से काम

लिया है अथवा परीक्षा भवन में अनुचित तरीकों का प्रयोग किया है या प्रयोग करने की कोशिश की है या परीक्षा भवन में या इसके अहाते में कोई दुर्व्यवहार किया है या संस्थान द्वारा अथवा सुपरवाइजर/पर्यवेक्षक द्वारा जारी किए गए आदेशों का पालन न करता हो तो अपराधिक अभियोग (क्रिमिनल प्रोजीक्यूशन) चलाए जाने के अतिरिक्त उसे :

(क) स्थायी रूप से अथवा किसी निश्चित अवधि के लिए

(1) संस्थान उम्मीदवारों से चुनाव के लिए अपने द्वारा ली जाने वाली किसी भी परीक्षा या इंटरव्यू में शामिल होने से रोक सकती है और

(2) केन्द्रीय सरकार अपने अधीन नियुक्त किए जाने से वंचित कर सकता है ।

(ख) यदि वह पहले से ही सरकारी सेवा में हुआ तो उसके खिलाफ उपयुक्त नियमों के अन्तर्गत अनुशासनिक कार्यवाही की जा सकती है ।

16. (1) परीक्षा के पश्चात् अन्तिम रूप से प्रत्येक उम्मीदवार को दिए गए कुल अंकों के आधार पर संस्थान उम्मीदवार की गुणानुक्रम में सूची बनाएगा और उसी क्रम से परीक्षा परिणामों के आधार पर भरे जाने के लिए निश्चित अनारक्षित रिक्त स्थानों की संख्या के अनुसार जितने उम्मीदवारों को परीक्षा के द्वारा अर्हता-प्राप्त देखेगा, उनकी नियुक्ति के लिए सिफारिश करेगा ।

लेकिन यह भी शर्त है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के उम्मीदवारों के लिए निर्धारित आरक्षित रिक्तियों की संख्या न भरी गई तो सचिवालय प्रशिक्षण तथा प्रबन्ध संस्थान द्वारा निर्धारित सामान्य मान के अनुसार उसे उस सेवा/पद पर नियुक्ति के लिए उपयुक्त घोषित कर देने पर उस सेवा/पद में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित आदिम जातियों के सदस्यों के लिए आरक्षित स्थानों पर नियुक्ति की जाने के लिए परीक्षा में उसके योग्यता क्रम के स्थान पर ध्यान दिए बिना ही उसकी सिफारिश कर दी जाएगी ।

आगे यह भी शर्त है कि भूतपूर्व सैनिकों के अनुसूचित जाति/अनुसूचित आदिम जाति के उम्मीदवारों के लिए निर्धारित आरक्षित रिक्तियों की संख्या न भरी गई तो उन अनुसूचित जाति/अनुसूचित आदिम जाति के भतपूर्व सैनिकों को जिन्हें सचिवालय प्रशिक्षण तथा प्रबन्ध संस्थान की शर्तों के अनुसार नियुक्ति के लिए उपयुक्त घोषित किया गया तो उस सेवा/पद पर नियुक्ति की जाने के लिए परीक्षा में उसके योग्यता क्रम के स्थान पर ध्यान दिए बिनाही उसकी सिफारिश कर दी जाएगी ।

(2) जिन उम्मीदवारों को उपर्युक्त नियम 6, उपनियम (6) में उल्लिखित आयु-सीमा में रियायत दी गई है उन उत्तीर्ण व्यक्तियों के लिए सचिवालय प्रशिक्षण तथा प्रबन्ध संस्थान केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा के अवर श्रेणी लिपिक ग्रेड में प्रतिष्ठा के लिए परीक्षा परिणाम घोषित होने पर एक अलग सूची तैयार करेगा ।

17. परीक्षा-परिणाम के आधार पर नियुक्ति करते समय आवेदन-पत्र भरते समय विभिन्न सेवाओं/पदों के लिए बताई गई प्राथमिकताओं का (आवेदन पत्र के कालम 12 का) समुचित ध्यान रखा जाएगा ।

18. हर एक उम्मीदवार को परीक्षा-फल की सूचना किस रूप में तथा किस प्रकार दी जाए, इसका निर्णय संस्थान अपने विवेकानुसार करेगा और संस्थान परिणामों के संबंध में उनसे कोई पत्र-व्यवहार नहीं करेगा ।

19. आवश्यक जांच के बाद जब तक सरकार संतुष्ट न हो जाए कि उम्मीदवार इस सेवा/पद पर नियुक्ति के लिए हर प्रकार से उपयुक्त है तब तक परीक्षा में पास हो जाने मात्र से नियुक्ति का अधिकार नहीं मिल जाता ।

20. इस परिणाम के आधार पर की जाने वाली सभी नियुक्तियों के साथ एक शर्त यह होगी कि यदि उम्मीदवार ने संघ लोक सेवा आयोग या सचिवालय प्रशिक्षणशाला या सचिवालय प्रशिक्षण तथा प्रबन्ध संस्थान द्वारा आयोजित अंग्रेजी या हिन्दी की अधिक टंकण परीक्षाओं में से कोई पहले ही पास न की हुई हो तो वह नियुक्ति की तारीख से एक वर्ष के अन्दर 30 शब्द अथवा हिन्दी में 25 शब्द प्रति मिनट की न्यूनतम गति सचिवालय प्रशिक्षण तथा प्रबन्ध संस्थान द्वारा ली गई परीक्षा पास करेगा, ऐसा न करने पर जब तक वह परीक्षा पास नहीं कर लेता तब तक उसे वार्षिक वेतन वृद्धि (वृद्धियां) नहीं दी जाएंगी । यदि कोई उम्मीदवार परिवीक्षा की अवधि के अन्दर उक्त परीक्षा पास नहीं कर लेता तो उसकी सेवाएं समाप्त की जा सकेंगी ।

टिप्पणी 1 : परीक्षा के परिणामों के आधार पर नियुक्त उम्मीदवार को जिसने उपर्युक्त निर्धारित आधार पर टंकण परीक्षा पहले ही पास कर ली हो, अथवा इसे नियुक्ति की तारीख से 6 महीने के अन्दर पास कर लेता है तो उसे पहले वेतन वृद्धि एक वर्ष के बजाय छः महीने के पश्चात् दी जाएगी, परन्तु इसे बाद में नियमित वेतन-वृद्धियों में समाविष्ट कर लिया जाएगा ।

टिप्पणी 2 : उपर्युक्त टिप्पणी 1 में उल्लिखित रियायतों के अतिरिक्त दो अग्रिम वेतन वृद्धियां ऐसे व्यक्तियों को दी जाएंगी (जो अग्रिम वेतन वृद्धियों में समायोजित कर दी जाएंगी) जो अपनी नियुक्ति की तारीख से एक वर्ष के अन्दर अंग्रेजी में प्रति मिनट 40 शब्द और हिन्दी में प्रति मिनट 35 शब्द की गति से टंकण परीक्षा पास करेंगे। ।

21. उन सेवाओं/पदों से संबंधित सेवा की शर्तें, जिनके लिए इस परीक्षा द्वारा भर्ती की जा रही है, संक्षेप में परिशिष्ट 2 में दी गई है ।

एम० के० वासुदेवन, अवर सचिव ।

परिशिष्ट I

(1) परीक्षा के विषय, परीक्षा के लिए दिया गया समय और प्रत्येक विषय के पूर्णांक इस प्रकार होंगे :—

पत्र संख्या	विषय	पूर्णांक		दिया गया समय
1.	सामान्य अंग्रेजी तथा लघु निबंध			
	(क) लघु निबंध	100	200	3 घंटे
	(ख) सामान्य अंग्रेजी	100		
2.	सामान्य ज्ञान (भारतीय भूगोल सहित)	100		2 घंटे

(2) परीक्षा का पाठ्यक्रम इस परिशिष्ट की अनुसूची में दिए अनुसार होगा।

(3) उम्मीदवारों को छूट होगी कि वे प्रश्नपत्र 1 की मद (क) तथा प्रश्न पत्र 2 या दोनों के उत्तर अंग्रेजी या हिन्दी (देवनागरी लिपि में) किसी में करें।

प्रश्न पत्र की मद (ख) के उत्तर अंग्रेजी में सही लिखे जाने चाहिए।

टिप्पणी 1. प्रश्न पत्र 2 में छूट पूरे प्रश्न पत्र के लिए होगी, इसी प्रश्न पत्र के अलग-अलग प्रश्नों के लिए नहीं।

टिप्पणी 2—पूर्वोक्त प्रश्न पत्रों का उत्तर हिन्दी (देवनागरी लिपि में) देने के इच्छुक उम्मीदवारों को अपना इरादा आवेदन पत्र के कालम 7 में स्पष्टत: लिख देना चाहिए अन्यथा यह समझा जाएगा कि वे प्रश्नपत्रों का उत्तर अंग्रेजी में देंगे।

टिप्पणी 3—एक बार प्रयोग किया गया विकल्प अन्तिम होगा और इसके परिवर्तन के लिए कोई अनुरोध साधारणत: स्वीकार नहीं होगा।

टिप्पणी 4—उम्मीदवार द्वारा चुनी गई भाषा के सिवा किसी अन्य भाषा में उत्तर देने पर कोई अंक नहीं दिए जाएंगे।

(4) उम्मीदवारों को सभी उत्तर अपने हाथ से लिखने होंगे। किसी भी हालत में उन्हें उत्तर लिखने के लिए अन्य व्यक्ति की सहायता लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(5) संस्थान अपने विवेकानुसार परीक्षा के किसी एक या सभी विषयों में अर्हक (क्वालीफाइंग) अंक निर्धारित कर सकते हैं।

(6) केवल सतही ज्ञान के लिए कोई अंक नहीं दिए जाएंगे।

(7) अस्पष्ट लिखावट के कारण पूर्णांकों के 5 प्रतिशत तक काट लिए जाएंगे।

(8) परीक्षा के सभी विषयों में आवश्यकतानुसार कम से कम शब्दों में, क्रमबद्ध तथा प्रभावपूर्ण ढंग से और ठीक ठीक की गई अभिव्यक्ति को श्रेय दिया जाएगा।

अनुसूची

परीक्षा का पाठ्यक्रम

सामान्य अंग्रेजी तथा लघु निबंध

(क) लघु निबंध उल्लिखित कई विषयों में से किसी एक पर निबंध लिखना होगा।

(ख) सामान्य अंग्रेजी निम्नलिखित में उम्मीदवारों की परीक्षा ली जायेगी।

(1) मसौदा लेखन

(2) सार लेखन

(3) अनुपयुक्त व्याकरण तथा

(4) प्रारम्भिक सारणीकरण (आंकड़ों को संकलित करने तथा सारणी में उन्हें व्यवस्थित और प्रस्तुत करने की कला में उम्मीदवारों की सामर्थ्य जानने के लिए।

भारतीय भूगोल समेत सामान्य ज्ञान

सामयिक घटनाओं और प्रतिदिन दृष्टिगोचर होने वाले ऐसे विषयों की जानकारी तथा उनके वैज्ञानिक पक्षों का अनुभव—जिनकी किसी ऐसे शिक्षित व्यक्ति से जिसने कि किसी वैज्ञानिक विषय का विशेष अध्ययन न किया हो आशा की जा सकती है। इस पत्र में भारत के भूगोल से संबंधित प्रश्न भी सम्मिलित होंगे।

परिशिष्ट II

उन सेवाओं/पदों से संबंधित संक्षिप्त विवरण जिनके लिए इस परीक्षा द्वारा भर्ती की जा रही है।

(क) केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा

केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा के निम्नलिखित दो ग्रेड हैं

(1) उच्च श्रेणी ग्रेड 130-5-160-8-200-द० रो०-8-256-द० रो०-8-280।

(2) निम्न श्रेणी ग्रेड 110-3-131-4-155-द० रो०-4-175-5-180।

2. निम्न श्रेणी ग्रेडमें नियुक्त व्यक्ति दो वर्ष तक परिवीक्षाधीन रहेंगे। इस अवधि के दौरान वे सरकार द्वारा यथानिर्धारित प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे और विभागीय परीक्षाएं देंगे। प्रशिक्षण के दौरान पर्याप्त प्रगति न दिखाने पर परीक्षा पास न कर सकने पर परिवीक्षाधीन व्यक्ति नौकरी से हटाया जा सकता है।

3. परिवीक्षा की अवधि पूरी होने पर सरकार परिवीक्षाधीन लिपिक की पुष्टि कर सकती है या यदि उसका कार्य या आचरण सरकार की राय में असन्तोषजनक रहा हो, तो उसे सेवा से निकाला जा सकता है या सरकार उसकी परिवीक्षा की अवधि, जितनी बढ़ाना उचित समझे, बढ़ा सकती है।

4. निम्न श्रेणी ग्रेड में भर्ती किए गए व्यक्तियों को केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा योजना में भाग लेने वाले मंत्रालयों या कार्यालयों में से किसी एक में नियुक्त कर दिया जायेगा। उनकी किसी भी समय किसी भी ऐसी अन्य मंत्रालय या कार्यालय में बदली हो सकती है जो केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा योजना में भाग ले रहे हों।

5. निम्न श्रेणी ग्रेड में भर्ती किए गए व्यक्ति इस सम्बन्ध में समय-समय पर लागू नियमों के अनुसार उच्च श्रेणी ग्रेड में पदोन्नत किए जाने के पात्र होंगे। स्थायी या नियमित रूप से नियुक्त किए गए अस्थायी निम्न श्रेणी लिपिक, जो सरकार द्वारा इस सम्बंध में यथानिर्दिष्ट निर्णायक तारीख को 5 वर्ष की अनुमोदित या निरंतर सेवा अवधि पूरी कर चुकेंगे, वे उच्च श्रेणी लिपिक की सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा में बैठने के पात्र होंगे।

6. अवर श्रेणी ग्रेड में भर्ती किए गए व्यक्ति इस संबंध में सरकार द्वारा निर्धारित निर्णायक तारीख को कम से कम तीन वर्ष अनुमोदित तथा निरन्तर सेवा करने के बाद ग्रेड 3 के आशुलिपिकों की परीक्षा में बैठने के पात्र होंगे। इस परीक्षा के लिए अधिकतम आयु सीमा निर्णायक तारीख को 35 वर्ष होनी चाहिए।

7. जिन लोगों की नियुक्ति केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा के निम्न श्रेणी ग्रेड में उनकी अपनी इच्छा के अनुसार की जायेगी, वे उस नियुक्ति के पश्चात् भारतीय विदेश सेवा (ख) के काडर में अथवा रेलवे बोर्ड सचिवालय लिपिक सेवा योजना में शामिल किसी पद पर स्थानान्तरण या नियुक्ति का दावा नहीं कर सकेंगे।

(ख) रेलवे बोर्ड सचिवालय लिपिक सेवा

रेलवे बोर्ड सचिवालय लिपिक सेवा रेल मंत्रालय में नियुक्त अवर श्रेणी लिपिकों की सेवा की शर्तें जैसे नियुक्ति, प्रशिक्षण, पदोन्नति आदि, रेलवे बोर्ड सचिवालय लिपिक सेवा नियम 1970 जो समय-समय पर संशोधित केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा नियम 1962 के आधार पर बनी हैं, संचालित होती हैं।

2. रेलवे बोर्ड लिपिक सेवा की निम्नलिखित दो श्रेणियां हैं :—(1) उच्च श्रेणी लिपिक—रु० 130-5-160-8-200-द०अ०-8-256-द० अ०-8-280, (2) अवर श्रेणी लिपिक—रु० 110-3-131-4-155-द० अ०-4-175-5-180।

3. सीधी भर्ती केवल अवर श्रेणी लिपिकों के ग्रेड में ही की जाती है। अवर श्रेणी ग्रेड में भर्ती व्यक्ति दो साल परिवीक्षाधीन रहेंगे और इस अवधि में उन्हें वैसे प्रशिक्षण प्राप्त करने होंगे और वैसी विभागीय परीक्षाओं में उत्तीर्ण होना होगा जो सरकार द्वारा निर्धारित किए जाएंगे। प्रशिक्षण के दौरान पर्याप्त प्रगति न दिखलाने पर अथवा परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने पर उन्हें सेवा से हटाया जा सकता है।

4. उच्च श्रेणी लिपिकों के पद निम्नलिखित कर्मचारियों में से बराबर संख्या में पदोन्नति/नियुक्ति द्वारा भरे जाएंगे—

(क) वरीयता के अनुसार अवर श्रेणी ग्रेड के स्थायी कर्मचारी जिनकी मान्य सेवा आठ साल से कम की न हो, बशर्ते कि अयोग्यों को अस्वीकृत कर दिया गया हो,

(ख) सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा जो समय-समय पर इसी उद्देश्य से ली जाती है, के परिणाम के आधार पर चुने गए वरीयता के अनुसार अवर श्रेणी ग्रेड के लिपिक।

जब तक कि (ख) में उल्लिखित प्रथम सीमित प्रतियोगिता परीक्षा का परिणाम घोषित नहीं किया जाता है, उच्च श्रेणी लिपिक ग्रेड की सभी रिक्तियां उपर्युक्त (क) के आधार पर भरी जाएंगी।

5. रेलवे बोर्ड सचिवालय लिपिक सेवा के अवर श्रेणी ग्रेड अथवा उच्च श्रेणी लिपिक ग्रेड के सदस्य, जिनकी मान्य सेवा की अवधि सरकार द्वारा घोषित निश्चित तिथि पर तीन साल से कम न हो और निरंतर रहा हो वे आशुलिपिक ग्रेड 3 सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा में बैठने के पात्र हैं। इस परीक्षा में बैठने की निश्चित तिथि पर उच्च आयु सीमा 35 वर्ष है।

6. रेलवे बोर्ड सचिवालय लिपिक सेवा रेल मंत्रालय तक सीमित है और कर्मचारी केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा की भांति अन्य मंत्रालयों में स्थानांतरित नहीं हो सकते हैं।

7. रेलवे बोर्ड सचिवालय लिपिक सेवा के सदस्य जो इन नियमों के अंतर्गत भर्ती किए गए हैं—(1) पेंशन के लाभों के हकदार हैं और (2) गैर अंशदायी राज्य रेलवे भविष्य निधि जो उस तारीख को इस सेवा में नियुक्त रेलवे कर्मचारियों के लिए लागू हैं, में अंशदान करेंगे।

8. रेल मंत्रालय में नियुक्त कर्मचारी अन्य रेलवे कर्मचारियों की भांति ही बराबर मात्रा में प्रिविलेज पास और प्रिविलेज टिकिट आर्डर के हकदार होंगे।

9. जहां तक छुट्टी तथा सेवा की अन्य शर्तों का सम्बन्ध है, रेलवे बोर्ड सचिवालय लिपिक सेवा में शामिल कर्मचारियों को उसी प्रकार की सुविधाएं हैं, जैसी कि अन्य रेल कर्मचारियों को, किन्तु चिकित्सा सुविधाएं उन्हें दूसरे केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी, जिनका मुख्यालय नई दिल्ली है, के समान है।

(ग)—भारतीय विदेश सेवा (ख)—ग्रेड-6

2. वेतन मान 110-3-131-4-155-द०रो०-4-175-5-180।

भारतीय विदेश सेवा (ख) के ग्रेड-6 में नियुक्त अधिकारी, विदेशों में नियुक्त किए जाने पर, उन भत्तों और मुफ्त रिहायश के पात्र होंगे, जो समय-समय पर भारतीय विदेश सेवा (ख) के अधिकारियों के लिए स्वीकार्य होते हैं।

3. इस परीक्षा के परिणामों के आधार पर भारतीय विदेश सेवा (ख) में नियुक्त उम्मीदवारों को, मुख्यालय में अथवा भारत या विदेश में कहीं भी जहां वे नियंत्रक प्राधिकरण द्वारा नियुक्त किए जाएं, सेवा करनी होगी।

4. इस सेवा में नियुक्त, पुष्टीकरण तथा वरिष्ठता की शर्तें भारतीय सेवा (ख) (भर्ती, संवर्गावरिष्ठता तथा पदोन्नति नियम 1964 तथा बाद में सरकार द्वारा बनाए गए किन्हीं अन्य नियमों के संगत उपबंधों या जरूरी किए गए आदेशों द्वारा शामिल होंगे।

(घ)—सशस्त्र सेना मुख्यालय लिपिक सेवा

सशस्त्र सेना मुख्यालय लिपिक सेवा में निम्नलिखित ग्रेड हैं—

उच्च श्रेणी ग्रेड—130-5-160-द०रो०-8-200-द०रो०-8-256-8-280।

निम्न श्रेणी ग्रेड—110-3-131-4-155-द०रो०-4-175-5-180।

उच्च श्रेणी लिपिक ग्रेड में पद निम्न श्रेणी लिपिकों में से पदोन्नति द्वारा भरे जाते हैं। सीधी भर्ती केवल निम्न श्रेणी ग्रेड में ही की जाती है।

2. निम्न श्रेणी ग्रेड में भर्ती किए गए व्यक्ति दो वर्ष की अवधि तक परिवीक्षाधीन रहेंगे। यह अवधि सक्षम अधिकारी के विवेक पर बढ़ाई या घटाई जा सकती है। इस अवधि में असंतोषजनक सेवा रिकार्ड का परिणाम परिवीक्षाधीन को सेवा से मुक्त कर सकता है। परिवीक्षा की अवधि में उन्हें समय-समय पर यथाविहित प्रशिक्षण लेना पड़ सकता है तथा परीक्षा भी पास करनी पड़ सकती है।

3. निम्न श्रेणी लिपिक समय-समय पर लागू नियमों के अनुसार पुष्टीकरण तथा पदोन्नति के पात्र होंगे।

4. सशस्त्र सेवा मुख्यालय में भर्ती किए गए निम्न श्रेणी लिपिक आमतौर पर दिल्ली/नई दिल्ली स्थित सशस्त्र सेना मुख्यालय तथा अन्य सेवा संगठनों के किसी कार्यालय में नियुक्त किए जाएंगे। किन्तु लोक हित में भारत में कहीं भी उनकी बदली की जा सकती है।

5. छुट्टी, चिकित्सा-सहायता तथा सेवा की अन्य शर्तें वही हैं जो सशस्त्र सेना मुख्यालय तथा अन्तसेवा संगठनों में नियुक्त अन्य लिपिक वर्गीय कर्मचारियों पर लागू होती हैं।

(ङ) संसदीय मामलों का विभाग

इस विभाग में निम्न श्रेणी लिपिकों के पदों का वेतन मान 110–3–131–4–155–द०रो०–4–175–5–180 रुपए है।

प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से चुनाव करके सेवा में नियुक्त उम्मीदवारों को दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षाधीन रखा जाएगा।

विदेश व्यापार मंत्रालय

संकल्प

नई दिल्ली, दिनांक दिसम्बर 1972

सं० 21(15)/72–टी०ए०ई०पी०—भारत सरकार ने इलैक्ट्रानिक उपस्करों तथा संघटकों के निर्यात बढ़ाने के उद्देश्य से सान्ताक्रुज, बम्बई में इन मदों के लिए एक एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन स्थापित करने का विनिश्चय किया है। इस परियोजना की मुख्य बातें ये होंगी :—

(1) यह पूर्णतः निर्यात अभिमुख होगी। इस क्षेत्र में प्रवेश पाने वाले एककों को अपने उत्पादन का 100 प्रतिशत निर्यात करना होगा।

(2) जोन में स्थापित एककों को कच्चे माल, संघटकों, पूंजीगत उपस्करों आदि के आयात के मामले में कतिपय सुविधाएं और रियायतें देने की प्रस्थापना है।

2. यह जोन विदेश व्यापार मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन होगा। जोन का प्रशासन इस प्रयोजन के लिए स्थापित किए जाने वाले एक बोर्ड द्वारा चलाया जाएगा, और इसकी प्रगति का पुनरीक्षण समय-समय पर सान्ताक्रुज एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन अथारिटी के शासी निकाय द्वारा किया जाएगा। बोर्ड और अथारिटी के शासी निकाय का गठन समय-समय पर अधिसूचित किया जाएगा।

3. सरकार ने इस जोन के लिए एक विकास आयुक्त नियुक्त करने का भी विनिश्चय किया है जोकि इसके दिन प्रतिदिन के प्रशासन कार्य का प्रभारी होगा। जब तक विकास आयुक्त की नियुक्ति नहीं हो जाती तब तक के लिए विकास आयुक्त के कार्यों के निष्पादन के लिए ट्रेड डिवेलपमेंट अथारिटी से अनुरोध किया जा सकता है।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि यह संकल्प भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए और सभी सबन्धों को परिचालित किया जाए।

ए० एस० गिल, संयुक्त सचिव

इस्पात तथा खान मंत्रालय

(खान विभाग)

नियमावली

नई दिल्ली, दिनांक 20 जनवरी 1973

सं० ए०-12025/6/72-खान 2—भारतीय भू-विज्ञान सर्वेक्षण संस्था के निम्नलिखित पदों की अस्थायी रिक्तियों पर भर्ती करने के लिए संघ लोक सेवा आयोग द्वारा 1973 में होने वाली प्रतियोगिता परीक्षा के लिए नियमावली आम सूचना के लिए प्रकाशित की जा रही हैं :—

(i) भू-विज्ञानी (कनिष्ठ) श्रेणी-I और

(ii) सहायक भू-विज्ञानी श्रेणी-II

शुरू में परीक्षा के परिणाम पर नियुक्ति अस्थायी आधार पर की जाएगी। जब और जैसे स्थायी रिक्तियां उपलब्ध होगी उम्मीदवार अपनी बारी से स्थायी नियुक्ति पाने के हकदार हो जाएंगे।

2. संघ लोक सेवा आयोग द्वारा परीक्षा इस नियमावली के परिशिष्ट-I में निर्धारित ढंग से ली जाएगी। जिन तारीखों को और जिन स्थानों पर परीक्षा ली जाएगी उसका निश्चय आयोग करेगा।

3. प्रत्येक उम्मीदवार या तो:—

(क) भारत का नागरिक हो ; या

(ख) सिक्किम की प्रजा हो ; या

(ग) नेपाल की प्रजा हो ; या

(घ) भूटान की प्रजा हो ; या

(ङ) ऐसा तिब्बती शरणार्थी हो जो भारत में स्थायी रूप से रहने की इच्छा से, 1 जनवरी, 1962 से पहले भारत आ गया हो ; या

(च) मूलत : भारत का निवासी हो और भारत में स्थायी रूप से रहने की इच्छा से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, (जो पहले सिलोन के नाम से जाना जाता था) और पूर्व अफ्रीकियाई देशों, केन्या, युगेन्डा और तन्जानियां के संयुक्त गणराज्य (भूतपूर्व टांगानिका और जंजीबार) से प्रव्रजन किया हो।

परन्तु ऊपर की (ग), (घ), (ङ) और (च) कोटियों के अन्तर्गत आने वाले उम्मीदवारों के पास भारत सरकार द्वारा जारी किया गया पात्रता प्रमाण-पत्र होना चाहिए ।

उस उम्मीदवार को भी परीक्षा में बैठने दिया जा सकता है जिसके लिए पात्रता प्रमाण-पत्र आवश्यक हो और उसे सरकार द्वारा आवश्यक प्रमाण-पत्र दिए जाने की शर्त के साथ अनन्तिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है ।

4. ऐसा कोई पुरुष/ऐसी कोई महिला सेवा पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा/होगी:—

(क) जिसने किसी ऐसी महिला/किसी ऐसे पुरुष से विवाह किया हो अथवा विवाह करने का निश्चय किया हो जिसका पति/जिसकी पत्नी जीवित है ; अथवा

(ख) जिसने अपनी पत्नी/अपने पति के जीवित होते हुए किसी अन्य महिला/पुरुष से विवाह किया हो अथवा करने का निश्चय किया हो ;

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का समाधान हो जाता है कि इस प्रकार का विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के दूसरे पक्ष को प्रयोज्य स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के अन्य कारण हैं, तो वह इस नियम के प्रवर्तन में छूट दे सकेगी ।

5. (क) इस परीक्षा के लिए उम्मीदवार को 21 वर्ष का हो जाना चाहिए और 1 जनवरी, 1973 को उसे 30 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए अर्थात वह 2 जनवरी, 1943 से पहले और 1 जनवरी 1952 के बाद पैदा न हुआ हो ।

(ख) 30 वर्ष की अधिकतम आयु-सीमा, 34 वर्ष की आयु तक उन उम्मीदवारों के मामलों में शिथिल की जा सकेगी जो भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण में अस्थायी रूप से स्थायी पदों को धारण किए हुए हैं अथवा उस विभाग में 1 जनवरी, 1973 को कम से कम 3 वर्ष तक अस्थायी सेवा में निरन्तर रूप से हैं ।

(ग) ऊपर निर्धारित उच्चतम आयु-सीमा में नीचे लिखी छूट दी जा सकती है :—

(i) यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का है तो अधिक से अधिक पांच वर्ष की छूट ।

(ii) यदि उम्मीदवार भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान से आया वास्तविक विस्थापित व्यक्ति है और 1 जनवरी, 1964 को या उसके बाद लेकिन 25 मार्च, 1971 से पहले उसने भारत में प्रव्रजन किया है तो अधिक से अधिक तीन वर्ष की छूट ।

(iii) यदि उम्मीदवार किसी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का है और वह भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान से आया वास्तविक विस्थापित व्यक्ति है जिसने 1 जनवरी 1964 को या उसके बाद लेकिन 25 मार्च, 1971 से पहले भारत में प्रव्रजन किया है तो उसे अधिक से अधिक आठ वर्ष की छूट ।

(iv) यदि उम्मीदवार पांडिचेरी संघ राज्य क्षेत्र का हो और किसी स्तर पर फ्रांसीसी भाषा के माध्यम से शिक्षा पाता रहा है तो अधिक से अधिक तीन वर्ष की छूट ।

(v) यदि उम्मीदवार श्रीलंका (जो पहले सिलोन के नाम से जाना जाता था) से प्रत्यावर्तित भारत का वास्तविक मूल निवासी है और उसने अक्तूबर, 1964 के भारत लंका करार के अधीन 1 नवम्बर, 1964 को या उसके बाद भारत में प्रव्रजन किया है तो अधिक से अधिक 3 वर्ष की छूट ।

(vi) यदि उम्मीदवार श्रीलंका (जो पहले सिलोन के नाम से जाना जाता था) से प्रत्यावर्तित भारत का वास्तविक मूल निवासी है और उसने अक्तूबर, 1964 के भारत लंका करार के अधीन 1 नवम्बर, 1964 को या उसके बाद भारत में प्रव्रजन किया है और वह अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का भी हो तो उसे अधिक से अधिक आठ वर्ष की छूट ।

(vii) यदि उम्मीदवार भारत का मूल निवासी है और उसने केन्या, युगान्डा और तन्जानिया संयुक्त गणराज्य (भूतपूर्व टांगानिका और जन्जीबार) से प्रव्रजन किया हो तो अधिक से अधिक तीन वर्ष की छूट ।

(viii) यदि उम्मीदवार बर्मा से प्रत्यावर्तित भारत का वास्तविक मूल निवासी है और उसने 1 जून, 1963 को या उसके बाद भारत में प्रव्रजन किया हो तो अधिक से अधिक तीन वर्ष की छूट ।

(ix) यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति या या अनुसूचित जनजाति का है और वह बर्मा से प्रत्यावर्तित भारत का वास्तविक निवासी भी है और उसने 1 जून, 1963 को या उसके बाद भारत में प्रव्रजन किया है तो अधिक से अधिक 8 वर्ष की छूट ।

(x) रक्षासेवाओं के उन कर्मचारियों के मामले में अधिकतम तीन वर्ष तक जो किसी विदेशी शत्रु देश के साथ संघर्ष में अथवा अशांतिग्रस्त क्षेत्र में फौजी कार्रवाई के दौरान विकलांग हुए तथा उसके परिणाम स्वरूप निर्मुक्त हुए तथा

(xi) रक्षा सेवाओं के उन कर्मचारियों के मामले में अधिकतम आठ वर्ष तक जो किसी विदेशी शत्रु देश के साथ संघर्ष में अथवा अशांतिग्रहस्त क्षेत्र में फौजी कार्रवाई के दौरान विकलांग हुए तथा उसके परिणाम स्वरूप निर्मुक्त हुए और अनुसूचित जातियों या अनुसूचित आदि जातियों के हैं ।

(घ) गोवा, दमन और दीव के स्वतंत्रता सेनानियों को, जिन्होंने 1 जनवरी 1972 को 35 वर्ष की आयु पूरी नहीं की हो, जो गोवा, दमन और दीव के पुर्तगाली सरकार के कर्मचारी नहीं थे और जिन्होंने मुक्ति संग्राम में भाग लिया था और उसके परिणाम स्वरूप जिन्हें भूतपूर्व पुर्तगाली प्रशासन के अधीन कम से कम छह मास की अवधि का कारावास हुआ हो अथवा उस अवधि के लिए रोक दिया गया हो, परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति होगी ।

टिप्पणी—उपर्युक्त नियम 5(घ) के अधीन आयु रियायत के दावेदार अभ्यर्थी, उपर्युक्त नियम 5(ग) के अधीन अनुज्ञात आयु रियायत के हकदार नहीं होंगे ।

उपर बताई गई स्थितियों को छोड़कर और किसी भी स्थिति में ऊपर निर्धारित आयु-सीमाओं में छूट नहीं दी जा सकती ।

ध्यान दीजिए, (i) यदि कोई व्यक्ति ऊपर दिए गए नियम 5(ख) में वर्णित आयु की रियायत के अधीन परीक्षा में बैठने की अनुमति पाता है तो उसकी उम्मीदवारी उस स्थिति में रद्द की जा सकती है वह आवेदन-पत्र देने के बाद सेवा से त्यागपत्र दे देता है या परीक्षा देने के बाद अथवा उससे पहले उसके विभाग द्वारा उसकी सेवाएं समाप्त कर दी जाती हैं । लेकिन यदि अपना आवेदन-पत्र देने के बाद उसके पद से उसकी छटनी कर दी जाती है तब उस स्थिति में उसकी उम्मीदवारी रद्द नहीं की जाएगी ।

(ii) यदि कोई उम्मीदवार अपने विभाग को आवेदन-पत्र देने के बाद किसी और विभाग या कार्यालय में स्थानान्तरित हो जाता है तो वह विभागीय आयु छूट के अधीन इस पद/इन पदों के लिए प्रतियोगी हो सकता है जिनके लिए वह स्थानान्तरण न होने पर प्रतियोगी हो सकता था बशर्ते कि उसका आवेदन-पत्र उसके मूल विभाग द्वारा विधिवत सिफारिश करके भेज दिया गया हो ।

6. कोई भी उम्मीदवार जो :—

(i) भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान से सद्भाविक विस्थापित व्यक्ति जो नियम 5(ग) के खण्ड (ii) अथवा (iii) के अधीन 1, जनवरी 1964 को अथवा तत्पश्चात् लेकिन 25 मार्च 1971 से पहले भारत में प्रवासित हुआ हो; अथवा

(ii) श्रीलंका (जो पहले सिलोन के नाम से जाना जाता था) से मूल भारत का सद्भाविक संप्रस्थावर्तित जो नियम 5(ग) के खण्ड (v) अथवा (vi) के अधीन 1 नवम्बर 1964 को अथवा तत्पश्चात् भारत में प्रवासित हुआ हो; अथवा

(iii) बर्मा से मूल भारत का सद्भाविक संप्रस्थावर्तित जो नियम 5(ग) के खण्ड (viii) अथवा (ix) के अधीन 1 जून, 1963 को अथवा तत्पश्चात् भारत में प्रवासित हुआ हो; अथवा

(iv) निर्योग्य प्रतिरक्षा सेवाओं के कार्मिक जो नियम 5(ग) के खण्ड (x) अथवा (xi) के अधीन किसी परराष्ट्र के साथ संघर्ष के दौरान की संक्रियाओं में निर्योग्य हुए हों; अथवा विक्षुब्ध क्षेत्र में निर्योग्य हुए हों

के रूप में आयु में रियायत का दावा करता हो, यदि इस प्रकार की आयु में रियायत नहीं मिली होती तो ग्राय अवसरों की अधिकतम संख्या से अधिक संख्या में परीक्षा में प्रतियोगी के रूप में नहीं बैठ सकेगा ।

उक्त निर्बंधन जनवरी, 1964 में ली गई परीक्षा से प्रभावी है ।

नोट I—इस नियम के प्रयोजन के लिए कोई उम्मीदवार परीक्षा के अन्तर्गत आने वाले दोनों पदों के लिए एक बार परीक्षा में प्रतियोगी के रूप में माना जाएगा । यदि वह पदों में से किसी भी पद के लिए प्रतियोगी है ;

नोट II—कोई उम्मीदवार परीक्षा में प्रतियोगी माना जाएगा यदि वह वास्तव में किसी एक अथवा अधिक विषयों में परीक्षा देता है ।

7. जो उम्मीदवार पहले से ही अस्थायी या स्थायी रूप से अथवा सामयिक या दैनिक दर पर कार्य कर रहे कर्मचारी को छोड़कर वर्क चार्ज कर्मचारी के रूप में सरकारी नौकरी में हो उसे परीक्षा में बैठने के लिए विभागाध्यक्ष से पहले ही अनुमति ले लेनी चाहिए ।

8. उम्मीदवार के पास :—

(क) भारत केन्द्रीय या राज्य विधान मण्डल के अधिनियम द्वारा नियमित विश्वविद्यालय से या संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित किसी अन्य शैक्षिक संस्था से या विश्व-विद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 3 के अधीन विश्वविद्यालय के समान घोषित किसी संस्था से भूविज्ञान या अनुप्रयुक्त भू विज्ञान में एम० एस० सी० की डिग्री होनी चाहिए ; या

(ख) इन्डियन स्कूल आफ माइंस, धनबाद के अनुप्रयुक्त भू विज्ञान की एसोसिएटशिप का डिप्लोमा होना चाहिए ।

नोट 1—केवल आपवादिक मामलों में ही आयोग इस नियम में निर्धारित किसी योग्यता के न होते हुए भी किसी उम्मीदवार को शैक्षणिक रूप से योग्य मान सकता है बशर्ते कि उसने अन्य संस्थाओं द्वारा ली जाने वाली परीक्षाएं उत्तीर्ण की हों जिसका स्तर आयोग की राय में इस परीक्षा में बैठने देने के लिए समुचित हो ।

नोट 2—यदि कोई उम्मीदवार किसी ऐसी परीक्षा में बैठा हो जिसे पास कर लेने पर वह इस परीक्षा में बैठ सकता है पर अभी उसे उस परीक्षा परिणाम की सूचना प्राप्त नहीं हुई है तो ऐसी स्थिति में वह इस परीक्षा में बैठने के लिए आवेदन पत्र भेज सकता है । यदि कोई उम्मीदवार इस प्रकार की अर्हक-परीक्षा में बैठना चाहता हो तो वह भी आवेदन पत्र भेज सकता है बशर्ते कि अर्हक परीक्षा इस परीक्षा के शुरु होने के पहले ही समाप्त हो जाए । इस प्रकार के उम्मीदवार को यदि वह अन्य शर्तें पूरी करता हो तो परीक्षा में बैठने तो दिया जाएगा किन्तु वह प्रवेश अनन्तिम ही समझा जाएगा और यदि उम्मीदवार अर्हक-परीक्षा में पास होने का प्रमाण जल्दी से जल्दी और हर हालत में इस परीक्षा के प्रारम्भ होने की तारीख से अधिक से अधिक दो महीने के भीतर प्रस्तुत नहीं करता तो उसका प्रवेश रद्द कर दिया जाएगा ।

नोट 3—जिन उम्मीदवारों ने अपनी डिग्री किसी विदेशी विश्वविद्यालय से ली हो, और जो अन्य शर्तें पूरी करते हों, वे भी आयोग को आवेदन पत्र भेज सकते हैं और आयोग अपने विवेक से उसे परीक्षा में बैठने की अनुमति दे सकता है ।

9. उम्मीदवार को शारीरिक और मानसिक दृष्टि से स्वास्थ्य होना चाहिए और उसमें ऐसा कोई शारीरिक दोष नहीं होना चाहिए जिससे वह अपने पद के कर्तव्यों को कुशलता पूर्वक न निभा सके । यदि 'यथा स्थिति' सरकार या सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित शारीरिक-परीक्षा के बाद उम्मीदवार के बारे में यह पता लगे कि वह इन आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकता तो उसकी नियुक्ति नहीं की जाएगी । जिन उम्मीदवारों की नियुक्ति की संभावना है केवल उन्हीं की शारीरिक परीक्षा की जाएगी । स्वास्थ्य परीक्षा के समय उम्मीदवार को सम्बन्धित चिकित्सा बोर्ड को 16 रु० फीस देनी होगी ।

नोट :—बाद में निराश न होना पड़े इसलिए उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा में प्रवेश के लिए आवेदन पत्र भेजने से पहले सिविल सर्जन से स्तर के सरकारी चिकित्सा अधिकारी से अपनी जांच करवाएं । राजपत्रित पदों पर नियुक्ति से पहले उम्मीदवारों की जिस प्रकार की स्वास्थ्य परीक्षा होगी और उसके लिए स्वास्थ्य का जिस स्तर का होना आवश्यक है उसका ब्यौरा परिशिष्ट II में दिया गया है । भूतपूर्व आशक्त रक्षा सेवा कार्मिकों को, पदों की आवश्यकता के अनुरूप स्तर को ध्यान में में रखते हुए, स्तर में छूट दी जाएगी ।

10. परीक्षा में बैठने के लिए उम्मीदवार की पात्रता या अपात्रता के बारे में आयोग का निर्णय अंतिम होगा ।

11. किसी उम्मीदवार को परीक्षा में तब तक नहीं बैठने दिया जाएगा जब तक कि उसके पास आयोग का प्रवेश प्रमाण पत्र नहीं होगा ।

12. उम्मीदवारों को आयोग की सूचना के अनुबंध I में निर्धारित फीस देनी चाहिए ।

13. यदि कोई उम्मीदवार किसी भी प्रकार से अपनी उम्मीदवारी के लिए समर्थन प्राप्त करने की कोई कोशिश करेगा तो उसे परीक्षा में बैठने के लिए आयोग्य करार दे दिया जाएगा ।

14. जो उम्मीदवार इस बात का दोषी है या जिस उम्मीदवार के बारे में आयोग ने यह घोषित कर दिया है कि उसने किसी दूसरे व्यक्ति से अपनी परीक्षा दिलवाई है या जाली दस्तावेज पेश किए हैं या ऐसे दस्तावेज पेश किए हैं जिनमें कोई छेड़ की है या कोई ऐसी बात लिखी है जो गलत है या झूठी है या कोई महत्वपूर्ण जानकारी छुपाई है या अन्यथा परीक्षा में प्रवेश के लिए अनियमित अथवा अनुपयुक्त तरीके से काम लिया है या परीक्षा भवन के अनुचित तरीके से काम लिया है अथवा काम लेने की कोशिश की है या परीक्षा भवन में अनुचित आचरण किया है तो उसका आपराधिक अध्यारोपण (क्रिमिनल प्रासीक्यूशन) किया जा सकता है और

(क) उसे हमेशा के लिए या किसी विशेष अवधि के लिए:—

(I) आयोग उम्मीदवारों के चुनाव के लिए ली जाने वाली किसी परीक्षा या इन्टरव्यू में शामिल होने से रोक सकता है, और

(II) केन्द्रीय सरकार, सरकारी नौकरी करने से रोक सकती है ।

(ख) यदि व पहले से ही सरकारी नौकरी में हो तो उस पर समुचित नियमों के अधीन अनुशासनिक कार्रवाई की जा सकती है ।

15. अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों के लिए भारत सरकार द्वारा यथा निर्धारित रिक्तियों आरक्षित की जाएंगी ।

अनसूचित जातियों/आदिम जातियों से अभिप्राय निम्नांकित में उल्लिखित जातियों आदिम जातियों में से किसी एक से है । संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950 संविधान (अनुसूचित जाति) (भाग "ग" के राज्य) आदेश, 1951, संविधान (अनुसूचित आदिम जाति) आदेश, 1950 और संविधान (अनुसूचित आदिम जाति) (भाग "ग" के राज्य) आदेश 1951, जैसा कि बम्बई पुनर्गठन अधिनियम, 1960 और पंजाब पुनर्गठन अधिनियम,

1966 के साथ पठित अनुसूचित जातियों व अनुसूचित आदिम जातियों की सूचियां (संशोधन), आदेश, 1956 द्वारा यथा संशोधित संविधान (जम्मू और काश्मीर) अनुसूचित जाति आदेश, 1956, संविधान (अंडमान और निकोबार द्वीप समूह) अनुसूचित आदिम जाति आदेश, 1959 संविधान (दादरा और नगर हवेली) अनुसूचित जाति आदेश, 1962, संविधान (दादरा और नागर हवेली) अनुसूचित आदिम जाति आदेश, 1962, संविधान (पांडिचेरी) अनुसूचित जाति आदेश, 1964, संविधान (अनुसूचित आदिम जातियां) (उत्तर प्रदेश) आदेश, 1967, संविधान गोवा, दमन और दीव) अनुसूचित आदिम जाति आदेश 1968 तथा संविधान (गोवा, दमन और दीव) अनुसूचित आदिम जाति आदेश 1968 और संविधान (नागालैंड) अनुसूचित आदिम जाति आदेश, 1970।

16. परीक्षा के बाद आयोग हर एक उम्मीदवार को अंतिम रूप से दिए गए कुल नम्बरों के आधार पर उनके योग्यता के क्रम से उनके नामों की सूची बनाएगा और इस परीक्षा का परिणाम निकलने पर जितनी आरक्षित न की गई रिक्तियों पर भर्ती करने का फैसला किया गया हो उतने ही ऐसे उम्मीदवारों की योग्यता क्रम के अनुसार नियुक्ति के लिए सिफारिश की जाएगी जो आयोग के निर्णय के अनुसार परीक्षा में योग्य माने गए हों।

परन्तु अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जन जातियों के उम्मीदवारों को, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के लिए आरक्षित रिक्तियों की संख्या की सीमा तक साधारण मानक के आधार पर नहीं भरा जा सकता है, आरक्षित यथांश में कमी की पूर्ति के लिए शिथिल किए गए मानक द्वारा आयोग द्वारा आस्तिावित किया जा सकेगा, परन्तु यह परीक्षा में उनके गुणानुक्रम के रैंक को छोड़कर सेवाओं में उन अभ्यर्थियों की नियुक्ति के लिए योग्यता के अध्यधीन होगा।

17. हरेक उम्मीदवार को परीक्षाफल की सूचना किस रूप में और किस प्रकार दी जाए इसका निर्णय आयोग अपने विवेक से करेगा और आयोग परिणाम के संबंध में उनके साथ कोई पत्र व्यवहार नहीं करेगा।

18. परीक्षा में पास हो जाने से नियुक्ति का अधिकार तब तक नहीं मिलता जब तक कि सरकार जांच के बाद संतुष्ट न हो जाए कि उम्मीदवार हर प्रकार से पद पर नियुक्ति किए जाने के योग्य है।

19. इस परीक्षा के द्वारा जिन पदों पर नियुक्ति की जाएगी उससे संबंधित सेवा की शर्तें संक्षेप में परिशिष्ट III में दी गई हैं।

वीरेन्द्र गोपाल निगम,
उप सचिव

परिशिष्ट I

1. परीक्षा के विषय और प्रत्येक विषय के लिए दिया गया समय और निर्धारित पूर्णांक नीचे लिखे अनुसार होंगे :—

विषय	दिया गया समय	पूर्णांक
1	2	3
क अनिवार्य		
(1) अंग्रेजी (निबन्ध और सारलेखन सहित)	3 घंटे	100
(2) सामान्य ज्ञान और सामयिक घटनाएं।	2 घंटे	100
(3) विज्ञान-I खनिज विज्ञान, शैल विज्ञान, आर्थिक भू-विज्ञान, संरचना- भू-विज्ञान।	3 घंटे	100
(4) भूविज्ञान-II सामान्य भूविज्ञान, जीवाश्म विज्ञान, स्तरित शैल-विज्ञान, अवसाद विज्ञान।	3 घंटे	150
ख. ऐच्छिक		
प्रश्न पत्र I—निम्नलिखित में से कोई एक	3 घंटे	200
(1) भारतीय स्तरित शैल विज्ञान।		
(2) शैलविज्ञान, आग्नेय, अवसादी और कार्यान्तरित।		
प्रश्न पत्र II—निम्नलिखित में से कोई एक	3 घंटे	200
(1) अयस्क उत्पत्ति और धात्विक एवं आधात्विक खनिज।		
(2) इंजीनियरी भू-विज्ञान और भौम जल भू-विज्ञान।		
(3) प्रारम्भिक खनन विधियां और धातुओं एवं खनिजों की प्राप्ति।		

1	2	3
ग. अतिरिक्त ऐच्छिक विषय (केवल श्रेणी-I के पदों के लिए) निम्नलिखित में से कोई दो ।	प्रत्येक 3 घंटे का	प्रत्येक के 200
(1) खनन भूविज्ञान, अयस्क सज्जीकरण, खनिज शास्त्र ।		
(2) कोयला और तेल भू-विज्ञान ।		
(3) अन्वेषण भूभौतिकी ।		
(4) भूरसायन, प्रकाश-भू विज्ञान, नाभकीय भू-विज्ञान ।		
(5) विवर्तनिकी ।		
(6) उच्चतर स्तरित शैल-विज्ञान ।		
(7) उच्चतर शैल विज्ञान ।		

2. सभी प्रश्न पत्रों के उत्तर अंग्रेजी में लिखने चाहिएं ।

3. उम्मीदवारों को सभी उत्तर अपने हाथ से लिखने चाहिए किसी भी हालत में उन्हें उत्तर लिखने के लिए किसी अन्य व्यक्ति की सहायता लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी ।

4. परीक्षा का पाठ्य-विवरण और स्तर वही होगा जो संलग्न अनुसूची में विहित है ।

5. आयोग अपने निर्णय से परीक्षा के किसी एक या सभी विषयों के अर्हक नम्बर निर्धारित कर सकता है ।

6. अनावश्यक ज्ञान के लिए अंक नहीं दिए जाएंगे ।

7. अस्पष्ट लिखावट के कारण लिखित विषयों के अधिकतम नम्बरों के 5 प्रतिशत तक काट लिए जाएंगे ।

8. परीक्षा के सभी विषयों में क्रमिक, प्रभावी और ठीक ठीक भाषा के प्रयोग के साथ-साथ संक्षेप में दिए गए उत्तरों को श्रेय दिया जाएगा ।

परिशिष्ट I की अनुसूची

स्तर और पाठ्य विवरण

अंग्रेजी और सामान्य ज्ञान और सामयिक मामलों के प्रश्न-पत्रों का स्तर वही होगा जितना कि किसी विज्ञान के स्नातक से उम्मीद की जाती है । भूविज्ञान के विषयों के प्रश्न-पत्रों का स्तर लगभग भारतीय विश्वविद्यालय की एम० एस० सी० की डिग्री के स्तर के बराबर होगा और आमतौर पर प्रश्न इस प्रकार के होंगे कि उनसे प्रत्येक विषय के मूल तत्व समझने में उम्मीदवार की योग्यता की परीक्षा की जा सके ।

अतिरिक्त ऐच्छिक प्रश्न-पत्रों के स्तर के लिए उतने ही विस्तृत ज्ञान की आवश्यकता होगी जितना कि भू-विज्ञान की समस्याओं के लिए आवश्यक होता है ।

किसी भी विषय में प्रायोगिक परीक्षा नहीं होगी ।

1. अंग्रेजी (निबन्ध और सार लेखन सहित)

अंग्रेजी लिखने और समझने की शक्ति की जांच करने के लिए प्रश्न सामान्यतः संक्षेप या सार लेखन के लिए लेखांश दिये जाएंगे ।

2. सामान्य ज्ञान और वर्तमान घटनाओं सहित सामान्य ज्ञान वर्तमान घटनाओं और प्रतिदिन के निरीक्षण तथा अनुभव की ऐसी बातों के वैज्ञानिक पक्ष का ज्ञान जिसकी आशा किसी भी ऐसी शिक्षित व्यक्ति से की जा सकती है जिसने विज्ञान के किसी विषय का विशेष अध्ययन न किया हो । इस प्रश्न-पत्र में भारतीय इतिहास तथा भूगोल के ऐसे प्रश्न भी होंगे जिनका उत्तर देने में उम्मीदवार बिना विशेष अध्ययन किए ही सक्षम होना चाहिए ।

3. भूविज्ञान I

खण्ड I

खनिज-विज्ञान-खनिजों के क्रिस्टलीय रूपों का क्रमबद्ध अध्ययन; भौतिक, रासायनिक और प्रकाशिक गुणधर्म; उनका रासायनिक संगठन और परिवर्तन उत्पाद । सूक्ष्मदर्शी द्वारा खनिजों के अध्ययन के संदर्भ में प्रकाश-विज्ञान के सामान्य सिद्धांत । खनिजों की उपस्थिति की अवस्थाएं, उद्भव-स्थान ।

खण्ड II

शैल विज्ञान- आग्नेय शिलाएं और विभिन्न रूप । शैल-उत्पत्ति के सिद्धान्त-विभेदन और स्वांगीकरण । अंतर्वेधन और संरचनाओं की क्रियाविधि । आग्नेय शिलाओं की निर्माण अवस्थाओं के प्रसंग में सूक्ष्म-संरचनाएं और गठन, उनका वर्गीकरण और नामतंत्र और विक्काल से संबंध ।

अवसादी शैलें; उनका उद्भव, वर्गीकरण और नामतंत्र; उनके खनिजीय गठनीय तथा संरचनात्मक लक्षण और उनका शैलवर्गीय निर्धचन ।

कायान्तरण; कायान्तरण के कारक और किस्में, कायातंरण को कोटियां और संलक्षणियां; उनके विशिष्ट लक्षण कायान्तरण के योगज और प्रतिस्थापनी रूप । कायान्तरित शैलें और उनका नामतंत्र ।

खण्ड III

आर्थिक भूविज्ञान :—अयस्क उत्पत्ति के प्रक्रम, खनिज निक्षेपों के विभिन्न वर्गीकरण, खनिज क्रमिक सहजनन और संरचनात्मक संबंध । धात्विक अयस्कों, ईंधनों, अधात्विक (या औद्योगिक) खनिजों, दुर्लभ खनिजों, इमारती और अलंकरण पत्थरों और सड़क बनाने की सामग्रियां, और बहुमूल्य एवं अल्पमूल्य पत्थरों के उद्भव, उपस्थिति, वितरण और उपयोगों का अध्ययन ।

खण्ड IV

संरचना-भूविज्ञान-शैलों के भौतिक गुण धर्म; प्रतिबल और विकृति दीर्घ वृत्तज विरूपण और विरूपण की यांत्रिकी; अध्यारोपण क्रम निर्धारित करने के निमित्त, संस्तरों के शीर्षों और पैंदों को पहचानने के लिए रेखण और निकष; समविन्यासी और असम विन्यासी संस्तर, अतिव्यापन, नतिलंब और दृश्यांश, संस्तरनमन और घाटियों के ढाल के संदर्भ में दृश्यांश में परिवर्तन ।

वलनों का वर्गीकरण और वर्णन, क्षेत्र में वलन की पहचान, वलन के कारण और यान्त्रिकी ।

भ्रंशों का वर्गीकरण, और वर्णन, दृश्यांशों पर भ्रंशों का प्रभाव, भ्रंश पहचानने के निकष, भ्रंशों के कारण और यान्त्रिकी ।

विषय विन्यास, नवांतःशायी, पुरान्तःशायी, नापें, गवाक्ष और उनके पहिचान के निकष, संधियां, उनके प्ररूप और महत्व सार्थकता ।

नोट :—उम्मीदवारों उपरोक्त प्रत्येक खण्ड से प्रश्नों की एक निर्धारित संख्या का उत्तर देने के लिए कहा जा सकता है ।

4—भूविज्ञान II

खण्ड I

सामान्य भूविज्ञान—भूविज्ञान और उसकी विभिन्न शाखाओं का इतिहास और विकास, भूविज्ञान के उद्देश्य, विधियां और अनुप्रयोग। पृथ्वी, पृथ्वी का उद्भव, विकास, भूगर्भ और उसकी आयु के सिद्धान्त ।

रेडियोक्टिवता और भूविज्ञान, आग्नेय क्रिया और इसकी अभिव्यक्ति ।

वायुमंडल, जलमंडल, स्थल मंडल और उनके संघटक ।

भूवैज्ञानिक कारक—अधोजनित-आग्नेय क्रिया, ज्वालामुखी, उनका रूप और संरचना, उनकी कार्रवाई, कारण, परिणाम, और उत्पाद तथा विश्व की ज्वालामुखी मेखलाएं । भूकम्प—प्रकृति, उद्भव और प्रभाव, ज्वालामुखियों और विश्व भूकम्प मेखलाओं से संबंध । भूकम्प विज्ञान-सिद्धन्ति, यंत्र और अभिलेख ।

अधिजनित—ऊष्मा और शीत, जल, वायु, हिम और जैव-कारक, अपरदन, प्रत्येक कारक के प्रसंग में परिवहन और निक्षेपण ।

पर्वत उनका उद्भव और संरचना भू-अभिनति, समस्थिति, हिमनद, नदियां और झीलें, महाद्वीपीय विस्थापीय विस्थापन, महाद्वीपों और महासागरी बेसिन का विकास ।

खण्ड II

जीवाश्म-विज्ञान—जीवाश्म, उनकी प्रकृति, परिरक्षण विधियाँ तथा उपयोग । काल के अनुसार मुख्य वर्गों का विभाजन । भूत-काल की जलवायु और भूगोल के प्रसंग में प्राणी-समूह और वनस्पति समूह । विकास समस्याओं के संदर्भ में जीवाश्म के अध्ययन का महत्व । अकशेरकी, शेरकी, और पौधा जीवाश्म के महत्वपूर्ण वंशों का अध्ययन ।

खण्ड III

स्तरित शैल—विज्ञान-सिद्धान्त और वर्गीकरण और भूवैज्ञानिक शैल समूहों का सहसंबंध मानक यूरोपीय भूवैज्ञानिक शैलसमूह-उनके अश्म वैज्ञानिक और जीवाश्मीय लक्षण, भारतीय स्तरित शैल-विज्ञान का इसी प्रकार किन्तु अधिक ब्यौरेवार अध्ययन । विभिन्न युगों और शैल समूहों में भू-आकृति तथा जलवायु संबंधी अवस्थाएं । भारतीय शैल समूहों के विदेशी तुल्यांकों का सामान्य ज्ञान ।

खण्ड IV

अवसाद-विज्ञान—अवसादों का उद्भव, निक्षेपों के लक्षण, पार्थिव, नदीय, समुद्री, सरोवरी, हिमनदीय, जैव आदि । अवसादन पर वातावरण का प्रभाव : विभिन्न प्रकार के अवसादी वातावरण और उनके विशिष्ट लक्षण । पुरा धाराएं और उनका महत्व । फ्लिश और मोलेसेज । अवसादन और अनाच्छादन, चक्र ।

टिप्पणी —उम्मीदवारों से उपरोक्त प्रत्येक खण्ड से प्रश्नों की निर्धारित संख्या का उत्तर देने के लिए कहा जा सकता है ।

(5) भारतीय स्तरित शैल-विज्ञान : स्तरित शैल-विज्ञान के सिद्धान्त, अश्म-विज्ञान, जीवाश्म अंश, अध्यारोपण-क्रम; भू-वैज्ञानिक समय, मापक्रम, मानक यूरोपीय भू-वैज्ञानिक शैल-समूह ।

भारतीय उपमहाद्वीपीय के मुख्य भाग, उनकी भू-आकृतिक स्तरण और संरचनात्मक विशिष्टताएं । जलवायु । प्रायद्वीपीय और बाह्य प्रायद्वीपीय पर्वत श्रेणियां, नदियां और झीलें, हिमनद ।

भारतीय उपमहाद्वीप की संरचना और विवर्तनिकी, प्रायद्वीप-धारवाड़ (अरावली), पूर्वीघाट, सतपुड़ा और महानदी की नति-लंबी उपनति और उनकी सापेक्ष आयु । बाह्य प्रायद्वीप हिमालय आर्क, बर्मा आर्क, बलूचिस्तान आर्क, हिमालय और गंगा के मैदान का उद्भव ।

आद्यमहाकल्पी शैल संघ; प्रायद्वीप के विभिन्न भागों के वितरण और धारवाड़ों तथा विभिन्न प्रायद्वीपीय भागों का सह-संबंध । बाह्य प्रायद्वीपीय आद्यमहाकल्पी शैल संघ, आद्यमहाकल्पी शैल संघ की खनिज सम्पत्ति ।

पुराण—कड़पा समूह और विध समूह, उनका स्तर-विन्यास और उनके आर्थिक खनिज ।

पुराजीवी शैल संघ : कैम्ब्रियन से कार्बनी तक के समूह वितरण, भू-वैज्ञानिक क्रम और प्रत्येक का प्राणी-समूह ।

गोंडवाना शैलसंघ : प्रारम्भिक, नामतंत्र, विस्तार, दोहरा विभाजन । भूवैज्ञानिक क्रम तथा स्तर, विन्यास के ब्यौरे । आग्नेय शैल, अन्य महाद्वीपों में गोंडवाना । गोंडवाना बेसिनों की संरचना । जलवायु और अवसादन परमोकार्बणी वनस्पिति-समूह । पुरा भूगोल । गोंडवाना के आर्थिक खनिज, गोंडवाना के कोयला-क्षेत्र ।

हिमालय तथा उप-हिमालय प्रदेशों में उपरि-कार्बनी तथा पर्मियन समूह तथा उनके प्राणी-समूह । उपरि पुराजीवी विषय विन्यास ।

बाह्य-प्रायद्वीपी प्रदेश के ट्राइऐसिक और जुरेसिक समूह तथा कच्छ के जुरेसिक । प्रत्येक के स्तर-विन्यास और प्राणी समूह संबंधी लक्षण ।

वाह्य : प्रायद्वीपीय प्रदेश तथा नर्मदा घाटी का क्रिटेशस समूह । प्रायद्वीप के त्रिचिनापल्ली और अन्य क्षेत्र । क्रिटेशस की आग्नेय शैलें तथा पृथ्वी की हलचल ।

दक्षिणी ट्रैप : वितरण और विस्तार । सरंचनात्मक लक्षण । डाइक और सिल, शैल विज्ञान, रसायनिक गुणधर्म, ट्रैपों का परिवर्तन और अपक्षय । लेमेटा संस्तर, इंटर-ट्रैपियन और इन्फा ट्रैपियन युग । आर्थिक भू-विज्ञान ।

तृतीय शैल संघ : गोंडवाना भूमि का विभाजन । हिमालय की उठान संलक्षणियां और वितरण । इओसीन, आलिगोसीन और निम्न मायोसीन समूह उनको वितरण, संघटन, स्तर-विन्यास और प्राणी-समूह । शिवालिक समूह वितरण, संघटन, जलवायु संबंधी, अवस्थाएं, जैव अवशेष, प्रभाग, सहसंबंध प्लेसिटोसीन, समूह–प्रभाग हिमनदन, गंगा सिंधु जलोढक । लैटेराइट हाल ही में तटों के पास वाली सतह में हुए परिवर्तन ।

6—आग्नेय, अवसादी और कायांतरित शैल–विज्ञान

स्तर विन्यास का क्षेत्र, शैलों के महत्वपूर्ण संघों का क्रमबद्ध वर्णन ।

आग्नेय शैल—विज्ञान में भौतिक रसायन का अनुप्रयोग । प्रावस्थानियम । सिलिकेट समूहों में संतुलन । द्विघटक और त्रिघटक समूह । क्रिस्टलीकरण और अंतवृद्धियों का क्रम । शैलों की संरचना और गठन और उनका निर्वचन । मैग्मा का क्रिस्टली-करण । आग्नेय शिलाओं के विभिन्न रूप । सजातीय शैल क्षेत्र । मैंग्मा विवर्तनिक । ग्रैनाइटीभवन । शैल-रासायनिक पारेकल । विभिन्नता आरेख । कुछ महत्वपूर्ण शैल किस्मों का उद्गम ।

अवसादी शैल—उनका वर्गीकरण और गुण धर्म, अवसादी विभेदन । अवसादों का उद्भव, अवसादी शैल नमूनों के खनिजों के प्रतिचयन और पृथक्करण सहित अवसादी शैलों के अध्ययनों की विधि । अवसादी खनिज विश्लेषण के परिणामों को दिखाने की विधियां । अवसादियों का यांत्रिक विश्लेशण । उद्भव अध्ययनों पुरा भूगोल, संरचनात्मक निर्वचन तथा उद्योग में अवसादी शैल-वर्णना का उपयोग, अवसादी वातावरण ।

कायांतरित शैलें

कायांतरण का क्षेत्र । कायांतरण के कारक । कायांतरण की किस्में । कायांतरित शैलों की संरचनाएं । कोटियां और संलक्षणियां, संग्रथित, संकर और अंतः शेपण नाइस । मैग्मा और पर्वतन के प्रसंग में कायांतरण ।

7—अयस्क उत्पत्ति और धात्विक तथा अधात्विक खनिज

अयस्क उत्पत्ति—खनिज निक्षेपों के प्रसंग में मैग्मा-औथों-मैग्मेटिक निक्षेप पेग्माइटी निक्षेप–ताप प्रतिस्थापनी निक्षेप–अतितापीय मध्यतापीय और आल्पतापी निक्षेप ।

उत्तर संवृद्धि-उपचयन, उपचयन के क्षेत्र में विलयन और अवक्षेपण उपचित निक्षेप और गोजान–उत्तर सल्फाइड संवृद्धि ।

गौण निक्षेप—वहन और सांद्रण की यांत्रिक प्रक्रमों द्वारा बने निक्षेप (अपरदी निक्षेप) पृष्ठ–जलराशियों में विलयनों की आपसी अभिक्रियाओं से होने वाले सांद्रण की रासायनिक प्रक्रमों द्वारा उत्पन्न निक्षेप । पृष्ठ-जलराशियों के वाष्पन द्वारा बने निक्षेप । शैल क्षय तथा अपक्षय प्रक्रमों के फलस्वरूप बने खनिज निक्षेप । परिसंचारी जल द्वारा आसपास के शैलों में निहित पदार्थों के घुल जाने और फिर उनका सांद्रण होने से बने निक्षेप ।

सामान्य—खनिज निक्षेपों–अयस्कों पिंडों के रूप, संरचना और गठन । खनिज निक्षेपों का वर्गीकरण–खनिज निक्षेपों का संरचनात्मक नियंत्रण–भूवैज्ञानिक थर्मामीटर, धातुजनन (मैट-लोजेनेटिक) युग और प्रान्त ।

धात्विक खनिज—निम्नलिखित का उद्भव, उपस्थिति की अवस्था, भारत में वितरण और उपयोग के संदर्भ में अध्ययन ।

सोना–तांबा–सीसा–जस्ता ऐलुमिनियम मैग्नीशियम, लोहा, मैंगनीज, क्रोमियम, भारत के सामरिक महत्व के खनिज ।

अधात्विक खनिज–औद्योगिक भूविज्ञान, उच्चताप सह-अपघर्मी मृत्तिका शिल्प और कांच बनाने की सामग्री–उर्वरक–प्राकृतिक पेन्ट और वर्णक–सीमेंट–मणि खनिज ।

निम्नलिखित का उद्भव, उपस्थिति की अवस्था, भारत में वितरण और उपयोग के संदर्भ में अध्ययन ।

अभ्रक–कृम्याभ्रक–ऐस्बेस्टास–बैराईटीज–

जिप्सम–गार्नेट–कोरंडम–कायनाइट–

सिलिमैनाइट–गैरिक–ग्रैफाइट–टैल्क–फ्लुओर–

स्पार–बेरिल–जरकन

ईंधन

कोयला—कोयले का उद्भव और वर्गीकरण–भारत में कोयले की उपस्थिति और वितरण–भारत के कोयला–भंडार–भारत में कोयला–संरक्षण ।

पैट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और तैलधर शैल–इनका उद्भव और संचयन–गैस और तेल ट्रैप–तेल और गैस हौजों का वर्गीकरण, भारत के पेट्रोलियम युक्त प्रदेश, नये गैस और तेल क्षेत्रों की खोज ।

परमाणु ऊर्जाखनिज–यूरेनियम और थोरियम खनिज ।

8—इंजीनियरी भूविज्ञान और भौमजल भूविज्ञान

इंजीनियरी भूविज्ञान, इंजीनियरी कार्यों में भूवैज्ञानिक का भाग । शैल के इंजीनियरी गुणधर्म–विशिष्ट गुरुत्व, संरंध्रता, शोषण, संपीडन, सामर्थ्य, तनन-सामर्थ्य–शैलों का लचक मापांक, संपीड़न मापांक, पायशन का अनुपात, अवशिष्ट प्रतिबल आदि ।

प्रकृति में शैल विरूपन, नींव की धारण-क्षमता, सर्पों के प्रति-रोध, जलरुद्धता, अभिपूरण, (ग्राउटिंग) अपेक्षाएं और अपक्षय के प्रसंग में आग्नेय, अवसादी और कायांतरित शैलों का अध्ययन ।

मिट्टियों के इंजीनियरी गुणधर्म, मृदा यान्त्रिकी के तत्व, मृदा-परिच्छेदिका, मृदा-आर्द्रता, मिट्टी के कणों का आकार, रूप और श्रेणीकरण, क्षवा-वर्गीकरण, मिट्टी की संरंध्रता, रिक्तता, अनुपात, संकुप्तिकी मात्रा, पारगम्यता घनत्व और एकांक वजन, द्रव, प्लास्टिक, संकुचयन और संगीत सीमाएं, शोध और प्रसार दाब, तथा अपरूपक सामर्थ्य ।

बांध—और उनका वर्गीकरण, अधिप्लवन भागों के प्रकार तथा उनके भाग; बांधों और उसके उपांगों पर प्रभाव डालने वाली शक्तियां। नीव और अत्याधार की समस्याएं तथा जलाशय क्षेत्रों की समस्याएं, बांध के लिए निर्माण-सामग्री; बांध बनाने के स्थान ढूंढने के तरीके।

नहर—नहरों, नहरी-नालों और नहर की लाईनिंग के बारे में अन्वेषण, नहरों में अवसादन और उसका नियंत्रण।

सुरंगें—वर्गीकरण और नापतंत्र। सुरंगों के लिए स्थान चुनने और सुरंगें बनाने के काम पर प्रभाव डालने वाली भूवैज्ञानिक अपेक्षाएं।

राजमार्ग—राजमार्गों की स्थिति और तत्संबंधी खोज, निर्माण की सामग्री।

पुल—पुलों का वर्गीकरण, अत्याधार और पाए, पुल की नींव आदि उसकी भूवैज्ञानिक अपेक्षाएं।

भवन—सामान्य अपेक्षाएं और भवनों की नींव के तथा उनके भूवैज्ञानिक पहलू। भूकम्प और भूकम्पीय डिजाइन। भूस्खलन और अन्य भूपर्यटी विस्थापन और उन्हें रोकने की संभावना।

भौमजल भूविज्ञान—भौमजल के स्रोत, उपस्थिति और उद्भव। जलवैज्ञानिक-अन्वेषणों में मौसम-विज्ञान का महत्व। जलयुक्त पदार्थों के जल-वैज्ञानिक गुणधर्म। भौमजल-स्तर और उसके उतार चढ़ाव। मुक्त और परिरुद्ध जल।

दाब पृष्ठ, पपेन द्वारा भौमजल-स्तर को कम करना, भौमजल के लिए पूर्वेक्षण की विभिन्न विधियां। जलकूप खोदना, उनका वर्गीकरण और निर्माण, कुओं के रिकार्ड, कुओं का द्रव-विज्ञान।

जलप्राप्ति के लिए कूप परीक्षण, प्रयुक्त विधियां और उपस्कर। प्राकृतिक जल में पाई जाने वाली अपद्रव्यताएं और उनके उपचार। भौमजल का प्रयोग और संरक्षण।

9—खनन की प्रारंभिक विधियां और धातुओं तथा खनिजों की प्राप्ति प्रस्तावना :

आर्थिक खनिज, उनका वितरण, पर्याप्तता और उत्पादन, खनन का संक्षिप्त इतिहास।

पूर्वेक्षण :

सतही और संकेत—भूवैज्ञानिक और भूभौतिकीय विधियां खाइयों, परीक्षण-गर्तों और बेधन-छिद्रों द्वारा पूर्वेक्षण। बेधन-छिद्रों का प्रयोजन। आघाती और घूर्णी छिद्रों की साधारण विधियां। बेधन छिद्र के रिकार्डों का परिकलन।

निक्षेपों का विकास :

भूखों की स्थिति, रूप और आकार, पैठों, ढालों और कूपक तैयार करने तथा खोदने की विधियां, उनके अस्थायी और स्थायी आधार। कूपकों को खुदाई के दौरान संवातन, प्रदीपन, पंपन और सुरक्षा उपाय। खुदाई औजार और उपस्कर, मुख्य ढलाई-सड़कों और विकास शिरों को तैयार करना, उनकी स्थिति, रूप और आकार। तलों, आडें, केटावों विंज और रेजेंज तैयार करना।

शैलें तोड़ने की विधियां, विस्फोटकों का उपयोग, विभिन्न प्रकार के विस्फोटक, उनको संघटन और उपयोग, बारूद, डायनामाइट, गैलोगनाइट फ्यूज, विस्फोट प्रेरक, विस्फोटक। विस्फोटन—छिद्रों की जांच विधि, उनको चार्ज करना, चार्ज तैयार करना। विस्फोटक अभ्यास, सावधानियां और कठिनाइयां।

उत्खनन की विधि, सतही खनन; विकास, फलकों की स्थापना, उत्पादन, परिवहन, वर्षा और भौमजल से सुरक्षा उपाय और बचाव।

कोयला खनन विधियां : उत्खनन की बोर्ड और स्तम्भ पद्धति, डिल्हा पद्धति और लम्बी दीवार वाली पद्धति का प्रारम्भिक अध्ययन।

धातु खनन विधियां—अयस्क निक्षेपों के विकास का प्रारम्भिक अध्ययन निखनन की साधारण विधियां और निखनन-कक्षों में अयस्क की उठाई-धराई। खुदाई की आधार, लकड़ी और इस्पात के आधार। कूपक तल, ढुलाई उतराइयों, मुख्य सड़क-भागों को आधार देने और गैलरियों तथा उत्पादन-फलकों के विकास में उनका अनुप्रयोग।

सामान उठाने-धरने की विधियां-ढुलाई-रज्जु ढुलाई, ढुलाई इंजन। सतही और भूमिगत ढुलाई का अनुप्रयोग, कुंडलन-कुंडली इंजनों, कुंडली उपस्करों और कूपक जुड़नारों का प्रारम्भिक अध्ययन।

10—खनन भूविज्ञान, अयस्क सज्जीकरण और खनिज अर्थशास्त्र

खनन भूविज्ञान-भूविज्ञान का खनन उद्योग से संबंध। खनन भूविज्ञान-बेधन की क्षेत्र तकनीकें/जांच और विकास की संभावनाएं चालू खान में भूवैज्ञानिक कार्य। खनन भूविज्ञान में अपनाई जाने वाली प्रयोगशाला-विधियां। क्षेत्र आंकड़ों का निर्वचन, सह-संबंध और उपयोग। नक्शों, मांडलों, दृष्टांतों को तैयार करना और उनका उपयोग। रिपोर्ट लिखना।

पूर्वेक्षण : विनियम, क्षेत्र-उपस्कर, परिवहन की विधि, क्षेत्र परीक्षण और मापन : अयस्क निक्षेप का पता लगाने के लिए भू-आकृतिक खनिजीकीय, स्तरित शैल-वैज्ञानिक, आश्म-वैज्ञानिक और संरचनात्मक गाइडें। लक्ष्य और संस्थितियां। सतही और भूमिगत सर्वेक्षण की विधियां, जिसमें गर्त, कूपक खाई खोदना, बुलडोजर चलाना, बेधन-छिद्र बेधना, प्रतिचयन आभापन की विधियां शामिल हैं। भूभौतिकीय, भूरासायनिक और भूवनस्पतिक पूर्वेक्षण के आधारभूत सिद्धांत।

खनन की विधियां, जिसमें खुली गर्त, जलोढ़ और भूमिगत विधियां शामिल हैं। खुदाई का आधार। शैल तोड़ने और विस्फोट करने के लिए प्रयुक्त विस्फोटकों के बारे में प्रारम्भिक ज्ञान। परिवहन और आरोहण। खनन अपवाह तंत्र और पंपन। संवातन और प्रदीपन। खान संगठन। प्रबन्ध सुरक्षा कार्य, खान नियम।

खान की जांच, प्रतिचयन के सिद्धांत और विधियां। लवणन और उससे बचाव। प्रतिचयन की अभिक्रिया, प्रतिचयन परिकलन। अयस्क भंडारों का परिकलन। खनन की लागत का निर्धारण, पूंजीगत व्यय और परिशोधन। वर्तमान मूल्य का निर्धारण। भावी लागत और लाभ तथा खान की जीवन-अवधि का आकलन। भविष्य में खनिज निकालने की संभावना का मूल्यांकन। मूल्यांकन रिपोर्ट तैयार करना।

अयस्क सज्जीकरण–प्रकृति और क्षेत्र । प्रगलन से संबंध; उपयोगिता । उनके प्रसाधन के संदर्भ में खनिजों के गुणधर्म । सान्द्रण का प्रारम्भिक प्रक्रम, जैसे पेरना, पीसना और निश्चित आकार में बदलना । प्रारम्भिक धुलाई और छंटाई, भारी तरल पृथक्करण, जिग्गिंग, टैबलिंग, उर्णन और प्रकीर्णन, प्लवन और ज्वालाग्रचय स्थिर वैद्युत और ऊष्मा-अभिक्रिया, अपकेंद्रों पृथक्कीकरण अमलगमन, ऊष्मा अभिक्रिया विधियां, निर्जसन, फिल्टरन, जल शोषण और स्थूलन विधियों द्वारा सान्द्रिक पदार्थों की अभिक्रिया, प्रसाधन तंत्र और संयंत्र, समान प्रकार के प्रक्रम चित्र । अयस्क सज्जीकरण तकनीकों पर अयस्क सूक्ष्मदर्शिकी का अनुप्रयोग ।

धात्विक अयस्कों का प्रसाधन–सल्फाइड अयस्क, असल्फाइड अयस्क और प्राकृति धातु–सोना, चांदी, तांबा, सीसा, जस्त मैंगनीज, टिन, टिटेनियम और क्रोमियम ।

अधात्विक अयस्को का सज्जीकरण–ग्रेफाइड बैराइट्स । जिप्सम, स्टिएराइट, चिकनी मिट्टी और कोयला । भारतीय स्थितियों पर विशेष जोर देते हुए कोयले की धुलाई ।

खनिज अर्थशास्त्र–परिभाषा, राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था में खनिजों का महत्व, खनिज संबंधों का पैटर्न, खनिज उपयोग में भौगोलिक और राजनैतिक कारक, खनिज उद्योगों के विशेष लक्षण, खनिज और विनिर्माण उद्योगों के समान कारक । मांग पूर्ति, कारटेल, प्रतिस्थापन, सट्टा बाजार और उत्पादन लागत, खनिजीय अपेक्षाओं में परिवर्तन करना, खनिजों का अन्तर्राष्ट्रीय स्वरुप और संचलन, वाणिज्यिक प्रतिबंध, बैरिफ, कोटा और अधिरोध, उत्पादन, प्रेरणा, कच्ची खनिज सामग्री का विदेशी विकास और शोषण, सामरिक महत्व के क्रांतिक और अनिवार्य खनिज । राष्ट्रीय खनिज–नीति । भारत में खनिजीय रियायत के नियम । भारत में महत्वपूर्ण खनिजों का खनिजीय उत्पादन ।

महत्वपूर्ण खनिजों के कुल विश्व साधन, भंडार और उत्पादन, आधुनिक अर्थव्यवस्था में इस्पात और ईंधन का महत्व, परम्परागत ईंधनों पर परमाणु-ऊर्जा का प्रभाव ।

11. कोयला और तेल भूविज्ञान

कोयला––कोयले की किस्में, कोयले की उपस्थिति की अवस्था और उद्गम-स्थान, कोयले के भौतिक लक्षण और रासायनिक घटक, कोयले के पट्टित घटक, उनके लक्षण और पहचान, कोयले का वर्गीकरण, कोटि और श्रेणी । कोयले की धुलाई और ब्रिकेट तैयार करना । कार्बनीकरण कोयला शैल-वर्णना ।

कोयला-खनन-कोयला-खनन के तरीकों का प्रारम्भिक अध्ययन । कोयला संस्तरों के संरचनात्मक लक्षण । कोयला-संरक्षण । कोयले की उपयोगिता ।

खानों और प्रयोगशालाओं में कोयला प्रतिदर्शन की विधियां । कोयले का अन्तिम और निकटस्थ विश्लेषण । पिंडन सूचकांक का निर्धारण और कैलोरी मान का परिकलन । कोयले का पूर्वेक्षण और कोयला युक्त भूमि का मूल्यांकन ।

भारत के कोयला क्षेत्रों का विशेष रूप से उनके वितरण कोटि निर्यात-आयात, भंडारों और भावी संभावनाओं का ब्यौरे-वार अध्ययन । कोयला युक्त शैल-समूह और संसार के कोयला प्रदेश ।

पेट्रोलियम; तेल और प्राकृतिक गैस का उपस्थित-भूपृष्ठ और अधस्तल, तैलाश्य और पैट्रोलियम कुंड भूवैज्ञानिक, इतिहास, उद्गम स्थान, अभिगमन और संचयन । पैट्रोलियम प्रांत । पेट्रोलियम पूर्वेक्षण भूवैज्ञानिक और विभिन्न भूभौतिकीय विधियां । तेल बेधन के लक्षण तेल प्राप्ति और साथ ही भंडार के प्राक्कलन के तरीके संबंद्ध उत्पादों का उपयोग ।

भारतीय उप महाद्वीप, विशेष रूप से आसाम, के तेल युक्त प्रदेशों का ब्यौरेवार अध्ययन । भारत के अन्य भागों में तेल मिलने की संभावनायें । संसार में तेल और गैस क्षेत्रों का वितरण और तेल तथा गैस के ज्ञात भंडार ।

नोट : उम्मीदवारों को किये जाने वाले प्रश्नों की संख्या का दो तिहाई तेल भूविज्ञान भाग में से और एक तिहाई कोयला भूविज्ञान भाग में से करने के लिये कहा जा सकता है ।

12. अन्वेषण भू-भौतिकी

अन्वेषक भू-भौतिकी के मूलभूत सिद्धांत ।

गुरुत्व पूर्वेक्षण––गुरुत्व में विभिन्नता उत्पन्न करने वाले कारक अक्षांश प्रभाव । निरपेक्ष गुरुत्व माप-पेंडुलम-सिद्धांत और रिकार्ड करने के तरीके । गुरुत्वमापी-डिजाइन और परिचालन सिद्धांत, गुरुत्वमापी की किस्में, आंशकन, तल-मापन और फोटो ग्रैमैट्रिक भू-मापन, क्षेत्र-कार्य-अनियमित वक्र और वेष्टन, संशोधन और क्षेत्र परिकलन । अटवश मरोड़, तुला-मरोड़ तुला का सिद्धांत । गुरुत्व प्रवणता और समविभव पृष्ठों की वक्रता स्थितियां । गुरूत्व का परिकलन और निर्वचन । गुरुत्व विभिन्नता के स्रोत, ज्यामितीय रुपों के गुरुत्व प्रभाव ग्राफीय और संख्यात्मक परिकलन विधियां, गहराई आकलन । भूवैज्ञानिक संरचना के गुरुत्व विसंगति का संबंध ।

चुम्बकीय पूर्वेक्षण :––चुम्बकीय पूर्वेक्षण का इतिहास, भूचुंबकी प्रेरक का सिद्धांत, नति-सूचि और हांचसिक अति-नति, क्षेत्र-बैरियोमीटर-उनका विवरण, सिद्धांत, अंशाकन, क्षेत्र-कार्य, संशोधन, और क्षेत्र-आंकड़ों चुम्बकीय सर्वेक्षण, क्षेतिज और उर्ध्वाधर चुम्बकत्वमापी द्वारा मापी गई मात्रायें ।

चुम्बकीय विगतियां और निर्वचन-चुम्बकीय विभिन्नता के स्त्रोत, चुम्बकीय निर्वचन, चुम्बकीय और गुरुत्वीय प्रभावों का पारस्परिक संबंध । अनियमित रूपों के लिए उर्द्धाधर चुम्बकीय और वक्रता प्रभावों का पारस्परिक सम्बन्ध बरीड बैल–कैसिंग के चुम्बकीय प्रभाव : चुम्बकीय पूर्वेक्षण का अनुप्रयोग : गहराई आकलन । चुम्बकीय सर्वेक्षणों के दृष्टांत ।

वायुवाहित चुम्बकत्वमापी-साधन विनियोग, परिचालन विधि : वायु-चुम्बकीय आंकड़े । वायु-चुम्बकीय सर्वेक्षण के लाभ और सीमाएं । कुछ प्रतिरूपी सर्वेक्षणों के परिणाम ।

विद्युत-पूर्वेक्षण-विधियों का वर्गीकरण, स्वत: ध्रुवण विधि परिचालन सिद्धांत, क्षेत्र-उपस्कर, माप और निर्वचन, क्षेत्र कार्य के परिणाम ।

सम विभव रेखा विधियां-प्रस्तावना, सर्वेक्षण साका, ए० सी० डी० सी० के सापेक्ष गुण-दोष, बिंदु और रेखीय इलैक्ट्रोड पद्धति: परिणामों का निर्वचन ।

ए० सी० विभव अनुपात विधि-क्षेत्र-संक्रियायें : परिणामों का आलेखन और निर्वचन, चुम्बकीय क्षेत्रों की तुलना के लिए अनुपात-मापी का अनुप्रयोग : संतुलन का द्वि-कुंडली प्रणाली । सैद्धांतिक विचार ।

प्रतिरोधिकता विधियां

परिचालन सिद्धांत, धारा प्रवाह के मूलभूत संजात, बृहत्तर, संस्थाए इलैक्ट्रोड विन्यास, गहराई आकलन : सतह समीप की असमानता : प्रतिरोधकता ; आंकड़ों का विश्लेषण, क्षेत्र-प्रक्रिया और उपस्कर, क्षेत्रीय कार्य के नमूने ।

विद्युत चुम्बकीय विधियां :

भौतिक सिद्धांत, चुम्बकीय क्षेत्रों का मापन; भूमि को ऊर्णित करने के लिए चालकीय उपस्कर; चुम्बकीय मापन उपस्कर । प्रेरणिक मापन, अन्वेषी कुंडली; दिशात्मक गुण धर्म, प्रेरणिक उपस्कर; क्षेत्रीय और ऊर्ध्वाधर परिपथ विधियां-उपकरण-परिचालन, क्षेत्र-प्रक्रिया आलेखन और परिणामों का निर्वचन ।

विद्युत-चुम्बकीय तरंगों का अवशोषण-द्वितीय क्षेत्र की प्रावस्था; दीर्घ वृत्तीय ध्रुवण, दीर्घ वृत्तीय क्षेत्रों का संयोजन; क्षेतिज परिपथ का क्षेत्र, जब अधिक परिमाण के द्वितीय क्षेत्र उपलब्ध हों तो दोहरी कुंडली का उपयोग ।

भूकम्पी पूर्वेक्षण-भूकम्पी पूर्वेक्षण की विधियां

(क) सामान्य विचार (ऊर्जा के स्रोत, ऊर्जा संचरण, अवधियां, विस्फोट क्षण संचरण) ।

(ख) केन शूटिंग विधि ।

(ग) अपवर्तन विधि; एकल और बहुल-क्षेतिज और आनत संस्पर्शों पर यात्रा समय,

(घ) परावर्तन विधि, यंत्र, यात्रा-समय, औसत वेग, परिकलन और निर्वचन, भूकम्पी प्रेक्षणों का समानयन, अपक्षय संशोधन ।

प्रारम्भिक सिद्धांत, भूकम्प-लेखी का विवरण और अंक्षाकन; समय अंकन; रिकार्ड करने के उपस्कर; चुम्बकीय टेप । भूकम्पी पूर्वेक्षण के लिये उपस्कर । भूकम्पी क्षेत्र-संक्रियायें, संसूचक विस्तार; बहुल और पैटर्न शूटिंग विस्फोटक-छिद्र बेधन ; उपयोग में लाये जाने वाले विभिन्न प्रकार के विस्फोटक । विद्युत फायरिंग परिपथ; विस्फोटकों का उपयोग करने में सावधानली, सुरक्षा विनियमावी पृष्ठीय वेग, भूकम्पलेखी रिकार्डों का अंकन, परिणामों का मानचित्रण, परिणामों का निर्वचन भूकम्प-लेखी के मानचित्रण की सीमायें ।

रेडियो एक्टिव पूर्वेक्षण और कूप अभिलेखन विधियां-रेडियो एक्टिव विधियां, रेडियो एक्टिव पूर्वेक्षण की विधियां, सुबाह्यविकिरण-मापी और प्रस्फुटण-मापी रेडियोमितीय-सर्वेक्षण । वायु-वाहित सर्वेक्षण रेडियो एक्टिव । विधियों का अनुप्रयोग ।

विद्युत अभिलेखन ; प्रतिरोधकता और स्वतः स्थितिज मापन, इलेक्ट्रोड विन्यास; विद्युत-निस्पंदन; वैद्युत रासायनिक निर्वचन । साधन विनियोग ।

बेधन-छिद्रों में तापमान मापन, प्रवणता; जल और सीमेंट अभिलेखन ।

रेडियो एक्टिवता कूप अभिलेखन; सिद्धांत; साधन विनियोग; निर्वचन; प्रतिरूपी अनुक्रिया वक्र, क्रेसिंग के प्रभाव । न्यूट्रान अभिलेखन । रेडियो एक्टिवता और विद्युत-अभिलेखों की तुलना । अनुप्रयोग और क्षेत्र उदाहरण ।

13. भूरसायन, फोटो भूविज्ञान और नाभिकीय भूविज्ञान ।

भूरसायन-भूरसायन का क्षेत्र; विश्व की आयु, उद्भव और संघटन; उल्कापिंडों का संयोजन, तत्वों की अंतरित किरणी बाहुलता, तत्वों का उद्भव, पृथ्वी की संरचना और संयोजन, पृथ्वी के प्राथमिक भूरसायनिक विभेदन । तत्वों का भूरसायनिक वर्गीकरण ।

क्रिस्टल संरचना के सिद्धांत, बंधनों की विभिन्न श्रेणियां, आयनिक त्रिज्या, उपसहयोजकता-संख्या, सिलिकेट की संरचना, समआकृतिकता, परमाणु-प्रतिस्थापन और बहुरूपता ।

मैग्मीयता और आग्नेय शैल, मैग्मा का क्रिस्टलीकरण, गोल्डाइमिट्स के छद्मावरण, प्रग्रहण और प्रवेश्यता नियम, मैग्मीय क्रिस्टलीकरण में गौण तत्व, अवशिष्ट द्रौल और मेग्माटाइट, मैग्मा वाष्प-शील घटक, मैग्मीयता और अयस्क निक्षेपण ।

अवसादन का भू-रसायन, गोल्डिच स्थायित्व श्रेणी, अवसादन में भौतिक-रासायनिक कारक, आयनिक विभव, हाईड्रोजन आय सांद्रण अपचयन उपचयन विभव, कोलाइडी प्रक्रम, अवसादन के उत्पादन ।

भू-रासायनिक प्रक्रम के रूप में कायांतरण, खनिज रूपांतरण और संलक्षणी सिद्धांत । अति कायान्तरण ।

भू-रासायनिक चक्र ।

लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबीडियम, ताम्र, रजत, स्वर्ण, बैरिलियम, मैग्नीशियम, कैलशियम, स्ट्रोनशियम, बेरियम, जस्ता, कैडमियम, पारा, ऐलूमिनियम, सलेनियम, दुर्लभ मृदा, गैलियम, इंडियन, कार्बन, सिलिकन, जरमेनियम, टिन, सीसा, टाइटोनियम, जिरकोनियम, हैफनियम, थोरियम, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सानिक, ऐंटीमनी, बिस्मथ, बेनेडियम, गन्धक, क्रोमियम, मोलिब्डेनम, टंगस्टन, यूरेनियम, फ्लोरीन, मैंगनीज, लौह कोबाल्ट, निकल का भूरसायन ।

भू–रासायनिक पूर्वेक्षण के प्रारम्भिक सिद्धांत ।

प्रकाश भूविज्ञान-प्रकाश पाठ्यांक और निर्वचन । साधन विनियोग और भोजक का संस्तर अध्ययन, भू-आकृति-विज्ञान, स्तरित शैल विज्ञान और संरचना, निर्वचन; भूवैज्ञानिक मानचित्रण के आकाशी फोटो का उपयोग; पेट्रोलियम भूविज्ञान, खनन भूविज्ञान इंजीनियरी भू-विज्ञान और जल-वैज्ञानिक अध्ययन में आकाशी फोटो का निर्वचन ।

नाभिकीय भू-विज्ञान—रेडियो एक्टिवता :—एल्फा बीटा और गामा किरणें, उनके गुणधर्म, क्षय सिद्धान्तों पर गुणात्मक चर्चा, कृत्रिम रेडियोएक्टिवता, नाभिकीय त्वरित्र, नाभिकीय अभिक्रियाएं नाभिकीय ऊर्जा और उसके शान्ति पूर्ण उपयोग ।

यूरेनियम, थोरियम, बेरीलियम खनिजों और लैभ मृदाओं की संरचना उनके संघटन गुणधर्म, उद्भव, उपस्थिति की अवस्था, वितरण, राजनैतिक नियंत्रण, पूर्वेक्षण (गाइगर गणित्र और उसका अनुप्रयोग) परीक्षण, मूल्य और बाजार के संदर्भ में ब्योरेवार अध्ययन।

सुवाहय विकिरणमापी और प्रस्फुरणमापी, रेडियोमितीय सर्वेक्षण, रेडियोएक्टिव विधियों का अनुप्रयोग।

14. विवर्तनिकी

महाद्वीपों और महासागरों का उद्भव, पृथ्वी के इतिहास के प्रत्येक प्रमुख युग के दौरान पुरा भौगोलिक परिस्थितियां, पृथ्वी की हलचल, महादेश रचना और पर्वत रचना और अवसादन पर उनका प्रभाव, एल्पीय पर्वतन और हिमालय पवर्तन और महाद्वीपीय विस्थापन के संबंध में आधुनिकतम दृष्टिकोण। भू-वज्ञानिक चक्र, पृथ्वी की पर्पटी की संरचनात्मक इकाईयां। भारत के संरचनात्मक और विवर्तनिक इतिहास का ब्यौरेवार अध्ययन।

15. उच्चतर स्तरित शैलविज्ञान

स्तरित शैल विज्ञान के सिद्धांत, भू-वज्ञानिक रिकार्ड और उनकी अपूर्णता, समुद्रतल और सुस्थितिक गति। आयु अनुसार शैलों का वर्गीकरण। अश्म विज्ञान। सह संबंध में जीवाश्मों का उपयोग। समस्तरक्रम और समकालीनता। जलवायु संबंधी विभिन्नताएं। जन्तुओं और पौधों का वितरण। महासागरों और महाद्वीपों का स्थायित्व। स्तरीय इकाईयां। पर्वतनिक अनुक्रम।

आदिम महाकल्प—भारतीय प्राक-पुराजीव-धारा वाड़ समूह, पुराना वर्ग लेवोलियन्स। ब्रिटिश द्वीप समूह का मोइनिपन्स डेटरेडियन्स कनाडा के लोरिशियन, ह्यूरोनियन और कीविनावान समूह। अफ्रीका, आस्ट्रेलिया और संयुक्त राज्य में इनके तुल्यांक।

पुराजीवी महाकल्प—महाकल्प के प्रत्येक समूहों जैसे कैम्ब्रियन, आर्डोविशन्नयन, सिल्यूरियन, डेवोनियम, कार्बोनी फेरस और परमियन का सामान्य अनुक्रमण और प्राणि समूह। इसके साथ ही दुनियां में इन सभी समूहों की शैलों का वितरण। डेवोनियम वनस्पति-समूह। पुराने लाल वालुकाश्म–इस कल्प का पार्थिव प्रतिनिधि। डेवानियन विवतनिक; कार्बोनीफेल्स का वनस्पति-समूह। गोंडवाना महाखंड जिसमें भारत, आस्ट्रेलिया, अफ्रीका और पूर्वी दक्षिण अमरीका सम्मिलित हैं और कार्बोनीफेरस और उसके बाद के कल्प के वनस्पति–समूहों सहित उनके शैल-समूह।

मध्य जीवी महाकल्प–दुनियां में ट्राइएसिक जैरुसिक और क्रिटेशस समूहों का वितरण और प्रत्येक में 'जीवन'

नवजीव वर्ग:—सामान्य लक्षण अनुक्रमण और उसके प्रत्येक समूह–आदि नूतन, अल्प नूतन, मध्य नूतन, अतिनूतन और अत्यन्त नूतन-में प्राणि समूह और वनस्पति–समूह, अत्यन्त नूतन, हिमनदन और उनका सहसंबंध।

अन्तरहिमनदीय निक्षप—पृथ्वी के इतिहास के भू-वज्ञानिक कल्पों में से प्रत्येक में जमीन और समुद्र के वितरण का अध्ययन।

पर्वतन—मुख्य यूरोपीय पर्वतन समूह—कैलेडोनियमन हर्सीनियम, (या वैरिस्केन) तथा अल्पाइन और युगों में उनका विभाजन-उनके अमरीकी और अन्य तुल्यांक।

16. उच्चतर जीवाश्म—विज्ञान

जीवाश्म—विज्ञान————————————परिभाषा, जीव संसार, प्रणि जगत।

प्राणियों का वर्गीकरण और उनके आवास और स्वभाव।

जीवाश्म की परिभाषा। जीवाश्म रिकार्ड का स्वरूप——— जीवाश्म के उपयोग।

अकशेरूकी जीवाश्यम—विज्ञान

प्रोटोजोआ——————————परिचय, श्रेणियां और आर्डर। फोरेमिनीफेरा और रेडियोलेरिया ————————जीव बृद्धि और पुनरुत्पादन की प्रकृति तथा परीक्षणों के प्रकार और उनकी रचना, वर्गीकरण और भूवैज्ञानिक इतिहास।

पारिफेरा———परिचय, प्राणी की प्रकृति—जीवाश्मन, वर्गीकरण और भूवैज्ञानिक इतिहास तथा वितरण।

सीलेन्टरटा—परिचम, वर्गीकरण—हाइड्रोजोआ, स्ट्रोमेटोपोराइडिया, साइफाजाआ और ऐन्धाजोआ और इनकी उपश्रेणियां; शैल निर्माता के रूप में सीलेन्टेरटा और इनका भूवैज्ञानिक इतिहास तथा विकास।

ब्रायोजाआ—सामान्य लक्षण और आकारिकी। भूवैज्ञानिक इतिहास और विकास।

ब्रेकियोपोडा—परिचय जन्तु, व्यक्तिवृत्त, कवच—इसकी सामान्य आकारिकी वाल्वों की वाह्य और आन्तरिक आकारिकी, कवच का संघटन और संरचनाएं, वर्गीकरण, भूवैज्ञानिक इतिहास। जीवाश्म ब्रोकियोपोडा की प्रकृति और स्तरीय उपयोग।

मोलस्का—जन्तु कवच, इनका विकास, इसके रूप, सरचना और संघटनों में परिवर्तन; हिन्जेरखा संरचनाएं, दंत विन्यास, वर्गीकरण। लैमेलीब्रैन्कियाजन्तु कवच, वर्गीकरण विकास और भूवैज्ञानिक इतिहास। गैस्टरोतोडा—सामान्य अपेक्षाएं, कोमल अंगों की आकारिकी कवच और वर्गीकरण, जीवाश्म गैसटरोपोडा की प्रकृति। सेफेलोपोडा—नाटिलस, सेफेलोपोड कवच का निर्माण और संरचना; वर्गीकरण नाटि लाइडियां, ऐम्मानाइडिया, सेफेलोपोडा का भूवैज्ञानिक इतिहास। व्यक्तिवृत स्तरीय परिसर, सेफलोपोडा के जीवाश्म—रिकार्ड की प्रकृति, मोलस्का का भूवैज्ञानिक इतिहास।

ओप्रोपोडा—श्रेणियां, ऋस्टेशिया और ऐस्कनाइडिया, ट्राइलोवाइटा; आकारिकी और बहि; कंकाल। एकाइनाइडिया; कोमल अंग, परीक्षण, परिस्थितिकी, जीवाश्म, रिकार्ड, और स्तरीय परिसर। इन्सेक्टा, आथोपोडा का भूवैज्ञानिक इतिहास, विकास और उद्भव।

एकाइनोहर्मा; आकरिकी, कंकाल और वर्गीकरण, सिस्टाइडिया क्राइनाडिया-काकारिकी और कंकार। एकाश्नाइडिया; कोमल अंग, परीक्षण, परिस्थितिकी, स्तरीय परिसर और भूवैज्ञानिक इतिहास। होलोयूराइडिया, एकाइनोडर्मा का जातिवृत।

हेमीकोर्डेटा;

ग्रेप्टोलियाइना—कंकाल की प्रकृति, वर्गीकरण, औपनिवेशिक विकास, भूवैज्ञानिक इतिहास और जैव–बंधुता।

केशेरूकी जीवाश्म-विज्ञान

रीढ़ वाले प्राणी—भूवैज्ञानिक काल में कैशेरूकों का अनुक्रम, वर्गीकरण ।

हनुरहित केशेरूक—आस्ट्राकोडर्म, और उनकी विकास स्थिति । प्लैकोडर्म ।

मीन-अस्थिल मीन, वायुश्वसन मीन, फुफुस मीन, जलस्थलचरों का स्वरूप-लैबिरिथोडान्ट ।

आदिकालिक केशेरूकों का वितरण-अवसाद वाले । सरीसृप, उनका वर्गीकरण । डाइनासौरसा । उड़न, सरीसृप और पक्षी । मध्यजीवी महाकल्प और उस के विभिन्न प्राणी-समूह ।

स्तनधारी—मार्सुपियल, अपरास्तनी, प्राइमेटील का विकास, मांसाहारी स्तनी, अंगूलेट्स, पेरिसोडेक्टाइल, आर्टिओडेक्टिल, हाथी और उनसे मिलते जुलते जन्तु । घोड़े का विकास ; मानव जाति ।

पादपाश्म विज्ञान—प्रारम्भिक सद्धिन्त । भारत के गोंडवाना के विशेष संदर्भ में गत भूवैज्ञानिक कल्पों के वनस्पति समूह का अध्ययन ।

परिशिष्ट 2

उम्मीदवारों की शारीरिक परीक्षा के बारे में विनयम

(ये विनियम उम्मीदवारों की सुविधा के लिए प्रकाशित किए जाते हैं ताकि वे यह अनुमान लगा सकें कि वे अभीष्ट शारीरिक स्तर के हैं या नहीं । ये विनियम स्वास्थ्य परीक्षकों के लिए भी सामान्य निर्देश हैं तथा जो उम्मीदवार इन विनियमों में निर्धारित न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता उसे स्वास्थ्य परीक्षक स्वस्थ्य घोषित नहीं कर सकेंगे । किन्तु किसी उम्मीदवार को इन विनियमों में निर्धारित आवश्यकताओं के अनुसार स्वस्थ न मानते हुए भी स्वास्थ्य-परीक्षा बोर्ड को इस बात की अनुमति होगी कि वह, (लिखित रूप में स्पष्ट कारण देते हुए, भारत सरकार से यह सिफारिश कर सके कि) उक्त उम्मीदवार को सरकारी सेवा में लिया जा सकता है और इससे सरकार को कोई हानि नहीं होगी ।

2. किन्तु यह बात भली प्रकार समझ लेनी चाहिए कि भारत सरकार को स्वास्थ्य परीक्षा बोर्ड की रिपोर्ट पर विचार करके उसे स्वीकार या अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार होगा । रक्षा सेवाओं के भूतपूर्व नियोग्य सैनिकों के लिए पदों की अपेक्षाओं के अनुरूप स्तर में छूट दी जायगी) ।

1. नियुक्ति के योग्य ठहराये जाने के लिए यह जरूरी है कि उम्मीदवार का मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य ठीक हो और उम्मीदवार में कोई ऐसा शारीरिक दोष न हो जिससे नियुक्ति के बाद दक्षतापूर्वक काम करने में बाधा पड़ने की संभावना हो ।

2. भारतीय (एंग्लो-इंडियन समेत) जाति के उम्मीदवारों की आयु, कद और छाती के घेर के परस्पर सम्बन्ध के बारे में मेडिकल बोर्ड के ऊपर ही यह बात छोड़ दी गई है कि वह उम्मीदवारों की परीक्षा में मार्ग-दर्शन के रूप में जो भी परस्पर सम्बन्ध के आंकड़े सब से अधिक उपयुक्त समझे, व्यवहार में लाए । यदि वजन, कद और छाती के घेर में विषमता हो तो जांच के लिए उम्मीदवार को अस्पताल में रखना चाहिए और छोती का एक्स-रे लेना चाहिए । ऐसा करने के बाद ही बोर्ड उम्मीदवार को योग्य अथवा अयोग्य करेगा ।

3. उम्मीदवार का कद निम्नलिखित विधि में नापा जाएगा :—

वह अपने जूते उतार देगा और उसे माप-दण्ड (स्टेंडर्ड) से इस प्रकार सटा कर खड़ा किया जाएगा कि उसके पांव आपस में जुड़े रहें और उसका वजन, सिवाय एड़ियों के पायों की उंगलियों या किसी और हिस्से पर न पड़े । वह बिना अकड़े सीधा खड़ा होगा और उसकी एड़ियां पिंडलियां नितम्ब और कंधे माप-दण्ड के साथ लगे होंगे । उसकी ठोड़ी नीची रखी जाएगी ताकि सिर का स्तर (बटैक्स आफ दी हेड लेवल) हारिजेंटल बार (आड़ी छड़) के नीचे आ जाए । कद सेंटीमीटरों और आधे सेंटीमीटरों में नापा जाएगा ।

4. उम्मीदवार की छाती नापने का तरीका इस प्रकार है :—

उसे इस भांति सीधा खड़ा किया जाएगा कि उसके पांव जुड़े हों और उसकी भुजाएं सिर से ऊपर उठी हों । फीते को छाती के गिर्द इस तरह लगाया जाएगा कि पीछे की ओर इसका ऊपरी किनारा असफलक (शौल्डर ब्लेड) के निम्न कोणों (इन्फीरियर-एंगल्स) से लगा रहे और यह फीते को छाती के गिर्द ले जाने पर उसी का आड़े समतल (हारिजेंटल प्लेन) में रहे । फिर भुजाओं को नीचे किया जाएगा और उन्हें शरीर के साथ लटका रहने दिया जाएगा किन्तु इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि कंधे ऊपर या पीछे की ओर न किए जाएं जिससे कि फीता न हिले । अब उम्मीदवार को कई बार गहरा सांस लेने के लिए कहा जाएगा और छाती का अधिक से अधिक फैलाव गौर से नोट किया जाएगा और कम से कम और अधिक से अधिक फैलाव सेंटीमीटरों में रिकार्ड किया जाएगा, 84—89, 86—93.5 आदि । नाप को रिकार्ड करते समय आधे सेंटीमीटर के कम के भिन्न फैक्शन को नोट नहीं करना चाहिए ।

नोट—अंतिम निर्णय करने से पूर्व उम्मीदवार का कद और छाती दो बार नापने चाहिए ।

5. उम्मीदवार का वजन भी लिया जायगा और उसका वजन किलोग्रामों में रिकार्ड किया जाएगा, आधे किलोग्राम से कम के फ्रैक्शन को नोट नहीं करना चाहिए ।

6. उम्मीदवार को नजर की जांच निम्नलिखित नियमों के अनुसार की जायगी । प्रत्येक जांच का परिणाम रिकार्ड किया जायगा :—

(i) सामान्य (जनरल)—किसी रोग या विलक्षणता (एबर्नामलिटी) का पता लगाने के लिए उम्मीदवार की आंखों की सामान्य परीक्षा की जाएगी । यदि उम्मीदवार को ऐसा भैंगापन या आंखों, पलकों अथवा साथ लगी संरचनाओं (कंटिगूअस स्ट्रेकचर्स) का विकास होगा जिससे भविष्य में किसी भी समय सेवा के लिए उसके अयोग्य होने की सम्भावना हो तो उम्मीदवार को अस्वीकृत कर दिया जाएगा ।

(ii) दृष्टि की पकड़ (विजुअल एक्विटी)—दृष्टि की तीव्रता का निवारण करने के लिए दो जांचें की जाएंगी, एक दूर की नजर के लिए और दूसरी नजदीक की नजर के लिए। प्रत्येक आंख की अलग से परीक्षा की जाएगी।

चश्में के बिना नजर (नेकेड आई विजंस) की कोई न्यूनतम सीमा (मिनिमम लिमिट) नहीं होगी, किन्तु प्रत्येक केस में मेडिकल बोर्ड या अन्य मेडिकल प्राधिकारी द्वारा इसे रिकार्ड किया जाएगा क्योंकि इससे आंख की हालत के बारे में मूल सूचना (बेसिक इन्फार-मेशन) मिल जाएगी।

चश्में के साथ और चश्में के बिना दूर और नजदीक की नजर का मानक निम्नलिखित होगा :—

दूर की नजर		नजदीक की नजर	
अच्छी आंख	खराब आंख	अच्छी आंख	खराब आंख
6/9 या 6/6	6/9 6/12	0.6	0.8

नोट :—(1)—निकट दृष्टि की कुल मात्रा (सिलिंडर समेत) —4.00 डी० से अधिक नहीं होगी। दीर्घ दृष्टि की कुल मात्रा (सिलिंडर समेत) +4.00 डी० से अधिक नहीं होगी।

नोट :—(2)—फंडस परीक्षा जब कभी सम्भव होगी मेडिकल बोर्ड की इच्छा पर फंडस परीक्षा की जाएगी और परिणाम रिकार्ड किए जाएंगे।

नोट :—(3)—कलर विजन—(i) रंगों के सम्बन्ध में नजर की जांच जरूरी है।

(ii) नीचे दी गई तालिका के अनुसार रंगों का प्रत्यक्ष ज्ञान उच्चतर (हायर) और निम्नतर (लोअर) ग्रेडों में होना चाहिए जो लेटर्न के द्वारा (एपर्चर) के आकार पर निर्भर हो।

ग्रेड	रंग के प्रत्यक्ष ज्ञान का उच्चतर ग्रेड	रंग के प्रत्यक्ष ज्ञान का निम्नतर ग्रेड
1. लेम्प और उम्मीदवार के बीच की दूरी	4.9 मीटर	4.9 मीटर
2. द्वारक (एपर्चर) का आकार	1.3 मि० मीटर	1.3 मि० मीटर
3. दिखाने का समय	5 सैकंड	5 सैकंड

जनता की सुरक्षा सम्बन्धित सेवाओं, उदाहरणार्थ, पाइलट, ड्राइवर, गार्ड आदि के लिए वर्ग-9 दृष्टि का उच्चतर ग्रेड अनिवार्य है परन्तु अन्य सेवाओं के लिए वर्ण-दृष्टि का निम्न ग्रेड पर्याप्त समझा जा सकता है। वर्ण-दृष्टि के यही मानक, ऐसे सभी इंजीनियरी कार्मिकों पर लागू होने चाहिए जिनके बारे में वर्ण अवगम अनिवार्य समझा जाता हो, चाहे उनका सम्बन्ध क्षेत्र ड्यूटी से हो या न हो।

(iii) लाल संकेत, हरे संकेत और सफेद रंग को आसानी से और हिचकिचाहट के बिना पहचान लेना संतोषजनक कलरविजन है। इशिहारा की प्लेटों के इस्तेमाल को जिन्हें एड्रिज ग्रीनकी लेंटर्न जैसी उपयुक्त लैंटर्न और अच्छे रोशनी में दिखाया जाता है, कलर विजन की जांच करने के लिए बिल्कुल विश्वासनीय समझा जाएगा। वैसे तो दोनों जांचों में से किसी भी एक जांच को साधारणतया पर्याप्त समझा जा सकता है। लेकिन सड़क, रेल और हवाई यातायात से सम्बन्धित सेवाओं के लिए लैंटर्न से जांच करना लाजमी है। शक वाले मामलों में जब उम्मीदवार को किसी एक जांच करने पर अयोग्य पाया जाए तो दोनों ही तरीकों से जांच करनी चाहिए।

नोट—(4)—दृष्टि क्षेत्र (फील्ड आफ विजन)—सभी सेवाओं के लिए सम्मुख विधि (कन्फ्रंटेशन मैथड) द्वारा पुष्टि क्षेत्र की जांच की जाएगी। जब ऐसी जांच का नतीजा असंतोषजनक या संदिग्ध हो तब दृष्टि क्षेत्र को परमापी (पैरोमीटर) पर निर्धारित किया जाना चाहिए।

नोट :—(5)—रतौंधी (नाइट लाइन्डनेस)—केवल विशेष मामलों को छोड़कर रतौंधी की जांच नेमी रूप से जरूरी नहीं है, रतौंधी या अंधेरे में दिखाई न देने की जांच करने के लिए कोई नियत स्टैंडर्ड टैस्ट नहीं है। मेडिकल बोर्ड को ही ऐसे काम चलाऊ टैस्ट कर लेने चाहिए जैसे रोशनी कम करके या उम्मीदवार को अंधेरे कमरे में ले जाकर 20 से 30 मिनट के बाद उससे विविध, चीजों की पहचान करवा कर दृष्टि की पकड़ रिकार्ड करना। उम्मीदवारों के अपने कथनों पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए किन्तु उन पर संचित विचार किया जाना चाहिए।

नोट :—(6)—दृष्टि की पकड़ से भिन्न आंखों की अवस्थाएं (आक्यूलर कंडिशन्स) :—

(क) आंख की उस बीमारी को या बढ़ती हुई वर्तन त्रुटि (प्रोग्रेसिव रिफ्रेक्टेव एरर) को, जिसके परिणामस्वरूप दृष्टि की पकड़ के कम होने की सम्भावना हो, अयोग्यता का कारण समझना चाहिए।

(ख) रोहे (ट्रेकोमा)—यदि रोहे जटिल न हों तो वे आम तौर से अयोग्यता का कारण नहीं होंगे।

(ग) भैंगापन (स्किवट) द्विनेत्री (बाइनाकुलर) दृष्टि का होना लाजिमी है। नियत स्टैंडर्ड की दृष्टि की पकड़ होने पर भी भैंगापन को अयोग्यता का कारण समझना चाहिए।

(घ) एक आंख वाले व्यक्ति—नियुक्ति के लिए एक आंख वाले व्यक्तियों की सिफारिश नहीं की जाती।

7. रक्त-दाब (ब्लड प्रेशर)—

ब्लड प्रेशर के सम्बन्ध में बोर्ड अपने निर्णय से काम लेगा । नार्मल उच्चतम सिस्टालिक प्रेशर के आकलन की काम चलाऊ विधि नीचे दी जाती है ।

(i) 15 से 25 वर्ष के व्यक्तियों में औसत ब्लड प्रेशर लगभग 100 जमा आयु होता है ।

(ii) 25 वर्ष से ऊपर की आयु वाले व्यक्तियों में ब्लड प्रेशर के आकलन का सामान्य नियम यह है कि 110 में आधी आयु जोड़ दी जाए । यह तरीका बिलकुल संतोषजनक दिखाई पड़ता है ।

ध्यान दीजिए—सामान्य नियम के रूप में 140 से ऊपर से सिस्टालिक प्रेशर को और 90 से ऊपर के डाइस्टालिक प्रेशर को संदिग्ध मान लेना चाहिए, और उम्मीदवार को योग्य या अयोग्य ठहराने के सम्बन्ध में अपनी अंतिम राय देने से पहले बोर्ड को चाहिए कि उम्मीदवार को अस्पताल में रखें । अस्पताल में रखने की रिपोर्ट से यह पता लगना चाहिए कि घबराहट (एक्साइटमेंट) आदि के कारण ब्लड प्रेशर थोड़े समय रहने वाला है या इसका कारण कोई कायिक (आर्गेनिक बीमारी) है (ऐसे सभी केसों में हृदय की एक्स-रे और विद्युत हृल्लखी (इलेक्ट्राकार्डियाग्राफिक) परीक्षाएं और और रक्त यूरिया निकास (लोयरेन्स) की जांच भी नेमी रूप से की जानी चाहिए । फिर भी उम्मीदवार के योग्य होने या न होने के बारे में अंतिम फैसला केवल मेडिकल बोर्ड ही करेगा ।

ब्लड प्रेशर (रक्त-दाव) लेने का तरीका

नियमतः पारेवाले दावमापी (मर्करी मैनोमीटर) किस्म का आला (इंस्ट्रूमेंट) इस्तेमाल करना चाहिए । किसी किस्म के व्यायाम या घबराहट के बाद पन्द्रह मिनट तक रक्त-दाव नहीं लेना चाहिए । रोगी बैठा या लेटा हो बशर्ते कि वह और विशेष कर उसकी भुजा शिथिल और आराम से हो । कुछ-कुछ हारिजंटल स्थिति में रोगी के पार्श्व पर भुजा को आराम से सहारा दिया जाता है । भुजा पर से कंधे तक कपड़े उतार देने चाहिएं । कफ में पूरी तरह हवा निकाल कर बीच की रबड़ को भुजा के अन्दर की ओर रख कर और इसके निचले किनारे को कोहनी के मोड़ से एक या दो इंच ऊपर करके लगाना चाहिए । इसके बाद कपड़े की पट्टी को फैलाकर समान रूप से लपेटना चाहिए ताकि हवा भरने पर कोई हिस्सा फूल कर बाहर को न निकले ।

कोहनी के मोड़ पर प्रगंड धमनी (ब्रेकिअल आर्टरी) को दबा-दबा कर ढूंढा जाता है और तब इसके ऊपर बीचों बीच स्टेस्कोप को हल्के से लगाया जाता है जो कफ के साथ न लगे । कफ में लगभग 200 हवा भरी जाती है और इसके बाद इसमें से धीरे-धीरे हवा निकाली जाती है । हल्की क्रमिक ध्वनियां सुनाई पड़ने पर जिस स्तर पर धरि का कालम टिका होता है वह सिस्टालिक प्रेशर दर्शाता है । जब और हवा निकाली जाएगी तो ध्वनियां तेज सुनाई पड़ेंगी । जिस स्तर पर ये साफ और अच्छी सुनाई पड़ने वाली ध्वनियां हल्की हवा हुई सी लुप्त प्रायः हो जाए, वह डायस्टालिक प्रेशर है । ब्लड प्रैसर काफी थोड़ी अवधि में ही ले लेना चाहिए क्योंकि कफल के लम्बे समय का दबाव रोगी के लिए क्षोभकर होता है और इससे रीडिंग गलत हो जाता है । यदि दोबारा पड़ताल करनी जरूरी हो तो कफ में से पूरी हवा निकाल कर कुछ मिनट के बाद ही ऐसा किया जाए । (कभी-कभी कफ में से हवा निकालने पर एक निश्चित स्तर पर ध्वनियां सुनाई पड़ती हैं दाव गिरने पर वे गायब हो जाती है और निम्नतर स्तर पर पुनः प्रकट हो जाती हैं । इस "साइलेंट गैप" से रीडिंग में गलती हो सकती है) ।

8. परीक्षक की उपस्थिति में किए गए मूत्र की परीक्षा की जानी चाहिए और परिणाम रिकार्ड किया जाना चाहिए । जब मेडिकल बोर्ड को किसी उम्मीदवार के मूत्र में रासायनिक जांच द्वारा शक्कर का पता चले तो बोर्ड उसके दूसरे सभी पहलुओं की परीक्षा करेगा और मधुमेह (डायबिटीज) के द्योतक चिह्नों और लक्षणों को भी विशेष रूप से नोट करेगा । यदि बोर्ड उम्मीदवार को ग्लूकोस मेह (ग्लाइकोसूलिरआ) के सिवाय, अपेक्षित मेडिकल फिटनेस के स्टैंडर्ड के अनुरूप पाए तो वह उम्मीदवार को इस शर्त के साथ फिट घोषित कर सकता है कि ग्लुकोज मेह अमधुमेही (नान डायबेटिक) हो और बोर्ड केस को मेडिकल के किसी ऐसे निर्दिष्ट विशेषज्ञ के पास भेजेगा जिसके पास अस्पताल और प्रयोगशाला की सुविधाएं हों । मेडिकल विशेषज्ञ स्टैंडर्ड ब्लड शुगर टालरेंस टैस्ट समेत जो भी क्लिनिकल या लेबरिटर परीक्षाएं जरूरी समझेगा, करेगा और अपनी रिपोर्ट मेडिकल बोर्ड को भेज देगा जिस पर मेडिकल बोर्ड की "फिट" या "अनफिट" की अंतिम राय आधारित होगी । दूसरे अवसर पर उम्मीदवार के लिए बोर्ड के सामने स्वयं उपस्थित होना जरूरी नहीं होगा । औषधी के प्रभाव को समाप्त करने के लिए वह जरूरी हो सकता है कि उम्मीदवार को कई दिन तक अस्पताल में पूरी देख-रेख में रखा जाए ।

9. यदि जांच के परिणामस्वरूप कोई औरत उम्मीदवार 12 हफ्ते या उससे अधिक समय की गर्भवती पायी जाती है तो उसको अस्थाई रूप से तब तक अस्वस्थ घोषित किया जाना चाहिए जब तक कि उसकी प्रसूति न हो जाए । किसी रजिस्टर्ड चिकित्साकर्ता से आरोग्य का स्वस्थ प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर, प्रसूति की तारीख के 6 हफ्ते बाद प्रमाण-पत्र के लिए, उसकी फिर से स्वास्थ्य परीक्षा की जानी चाहिए ।

10. निम्नलिखित अतिरिक्त बातों का प्रेक्षण करना चाहिए ।

(क) उम्मीदवार के दोनों कानों से अच्छा सुनाई पड़ता है या नहीं और कान की बीमारी का कोई चिन्ह है या नहीं । यदि कोई कान की खराबी हो तो इसकी परीक्षा कान-विशेषज्ञ द्वारा की जानी चाहिए । यदि सुनने की खराबी का इलाज शल्य-क्रिया (आपरेशन) या हियरिंग एड के इस्तेमाल से हो सके तो उम्मीदवार को इस आधार पर अयोग्य घोषित नहीं किया जा सकता बशर्ते कि कान की बीमारी बढ़ने वाली न हो इस

सम्बन्ध में चिकित्सा परीक्षा प्राधिकारी को निम्नलिखित बातें ध्यान में रखनी चाहिए :—

(1)	एक कान में चिह्नित अथवा पूर्ण बहरापन, दूसरे कान का प्रसामान्य होना।	यदि बहरापन उच्चतर आवृत्तियों में 30 डेसीबेल तक है तो अतकनीकी कार्यों के लिए योग्य ।
(2)	दोनों कानों में ही अनुरोधक बहरापन जिसमें हियरिंग एड द्वारा कुछ सुधार सम्भव है ।	यदि बहरापन 1000 से 4000 तक की वाणी आवृत्तियों तक है तो तकनीकी और अतकनीकी दोनों ही कार्यों के लिए योग्य ।
(3)	मध्यवर्ती अथवा सीमान्तक प्रकार के कर्णपटही झिल्ली का छेदन ।	(i) एक कान प्रसामान्य दूसरे कान में कर्णपटही झिल्ली का छेदन की उपस्थिति अस्थायी रूप से अयोग्य । कान शल्य चिकित्सा की सुधरी हुई स्थितियों में उम्मीदवार को, सीमान्तक अथवा दोनों कानों में अन्य छेदन होने पर, अस्थायी तौर पर अयोग्य घोषित कर मौका देना चाहिए और उस पर निम्नलिखित 4(ii) के अधीन विचार किया जाना चाहिए ।
		(ii) दोनों कानों में सीमान्तक अथवा मध्यकर्णगुहा के एक भाग में छेदन अयोग्य ।
		(iii) दोनों कानों में मध्यवर्ती छेदन अस्थायी रूप से अयोग्य ।
(4)	एक और/दोनों ओर स्तनाकार विवर उप प्रसामान्य सुनवाई पड़ने वाले कान ।	(i) कोई भी कान प्रसामान्य रूप से सुनाई पड़ने योग्य दूसरा कान स्तनाकार विवर-तकनीकी और अतकनीकी दोनों कार्यों के लिए योग्य ।
		(ii) दोनों ओर के स्तनाकार विवर-तकनीकी कार्यों के लिए अयोग्य । अतकनीकी कार्यों के लिए योग्य यदि हियरिंग एड से अथवा उसके बिना किसी भी कान में श्रवण शक्ति 30 डेसीबिल तक सुधर जाती है ।
(5)	अविराम बहने वाला कान शल्योपचारित/ अशल्योपचारित	तकनीकी और अतकनीकी दोनों ही कार्यों के लिए अस्थायी रूप से अयोग्य ।
(6)	नासिका पट के अस्थि विकलांगता के होने पर अथवा उसके बिना नासिका की चिरकालिक सूजन/ अत्यनुवर्तन से उत्पन्न स्थितियां ।	(i) प्रत्येक मामले की परिस्थिति: के अनुसार विनिश्चय लिया जाएगा ।
		(ii) यदि विचलित नासिका पर रोग लक्षण सहित विद्यमान है— अस्थायी रूप से अयोग्य ।
(7)	टानसिलों और/या कंठ की चिरकालिक सूजन स्थितियां	(i) टानसिलों और/ अथवा कंठ की चिरकालिक सूजन योग्य ।
		(ii) अत्यधिक फटी आवाज की स्थिति में अस्थायी रूप से अयोग्य ।

(8)	नाक-कान और गले के सुदम्य अथवा किसी स्थान में घातक रसौली ।	(i) सुदम्य रसौली—अस्थायी रूप से अयोग्य ।
		(ii) घातक रसौली—अयोग्य ।
(9)	ओटोसक्लेओसिस	यदि शल्य चिकित्सा के पश्चात् अथवा हियरिंग एड की सहायता से श्रवण शक्ति 30 डेसीबेलों के भीतर है तो योग्य ।
(10)	कान, नाक और गले की जन्मजात खराबियां ।	(i) यदि काम करने में बाधा नहीं होती है—योग्य ।
		(ii) अत्यधिक हकलाना—अयोग्य ।
(11)	नासिकाउपोली	अस्थायी रूप से अयोग्य ।

(ख) उम्मीदवार बोलने में हकलाता नहीं हो ।

(ग) उसके दांत अच्छी हालत में हैं या नहीं, और अच्छी तरह चबाने के लिए जरूरी होने पर नकली दांत लगे हैं या नहीं । (अच्छी तरह भरे हुए दांतों को ठीक समझा जाएगा।

(घ) उसकी छाती की बनावट अच्छी है या नहीं और छाती काफी फैलती है या नहीं तथा उसका दिल या फेफड़े ठीक है या नहीं ।

(ङ) उसे पेट की कोई बीमारी है या नहीं ।

(च) उसे रफूधर (हार्निया या फटन) है या नहीं ।

(छ) उसे हाइड्रोसील, बढ़ी हुई बेरिकेसील, पैरिकोज शिरा (बैन) या बवासीर है या नहीं ।

(ज) उसके अंगों, हाथों और पैरों की बनावट और विकास अच्छा है या नहीं और उसकी संधियां भली-भांति स्वतंत्र रूप से हिलती है या नहीं ।

(झ) उसे कोई चिरस्थायी त्वचा की बीमारी है या नहीं ।

(ञ) कोई जन्मजात कुरचना या दोष है या नहीं ।

(ट) उसमें किसी उग्र या जीर्ण बीमारी के निशान हैं या नहीं जिनसे कमजोर गठन का पता लगे ।

(ठ) कारगर टीके के निशान है या नहीं ।

(ड) उसे कोई संचारी (कम्यूनिकेबल) रोग है या नहीं ।

11. दिल और फेफड़े की किसी ऐसी विलक्षणता का पता लगाने के लिए जो साधारण शारीरिक परीक्षा से ज्ञात न हो, सभी मामलों में सही रूप से छाती की एक्सरे-परीक्षा की जानी चाहिए ।

जब कोई दोष मिले तो उसे प्रमाण-पत्र में अवश्य ही नोट किया जाए । मेडिकल परीक्षक को अपनी राय लिख देनी चाहिए कि उम्मीदवार से अपेक्षित दक्षतापूर्ण ड्यूटी में इससे बाधा पड़ने की संभावना न है या नहीं ।

नोट :—उम्मीदवारों को चेतावनी दी जाती है कि उपर्युक्त पदों के लिए उनकी योग्यता का निर्धारण करने के लिए नियुक्त स्पेशल या स्टेंडिंग मेडिकल बोर्ड के खिलाफ उन्हें अपील करने का कोई हक नहीं है । किन्तु यदि सरकार को प्रथम बोर्ड की जांच में निर्णय की गलती की संभावना के सम्बन्ध में, प्रस्तुत किए गए प्रमाण के बारे में तसल्ली हो जाए तो सरकार दूसरे बोर्ड के सामने अपील की इजाजत दे सकती है । ऐसा प्रमाण उम्मीदवार को प्रथम मेडिकल बोर्ड के निर्णय भेजने की तारीख के एक महीने के अन्दर पेश करना चाहिए वरना दूसरे मेडिकल बोर्ड के सामने अपील करने की प्रार्थना पर विचार नहीं किया जाएगा ।

यदि प्रथम बोर्ड के निर्णय की गलती की संभावना के बारे में प्रमाण के रूप में उम्मीदवार मेडिकल प्रमाण पत्र पेश करे तो इस प्रमाण-पत्र पर उस हालत में विचार नहीं किया जायगा जब कि इसमें सम्बन्धित मेडिकल प्रैक्टिसनर का इस आशय का नोट नहीं होगा कि यह प्रमाण-पत्र इस तथ्य के पूर्व ज्ञान के बाद ही दिया गया है कि उम्मीदवार पहले से ही सेवाओं के लिए मेडिकल बोर्ड द्वारा अयोग्य घोषित करके अस्वीकृत किया जा चुका है ।

मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट

मेडिकल परीक्षक के मार्ग दर्शन के लिए निम्नलिखित सूचना दी जाती है :—

1. शारीरिक योग्यता (फिटनेस) के लिए अपनाए जाने वाले स्टैंडर्ड में सम्बन्धित उम्मीदवार की आयु और सेवा काल (यदि हो) के लिए उचित गुंजाइश रखनी चाहिए।

किसी ऐसे व्यक्ति को पब्लिक सर्विस में भर्ती के लिए योग्य नहीं समझा जाएगा जिसके बारे में यथास्थिति सरकार या नियुक्ति प्राधिकारी (अपाइंटिंग अथारिटी) को, यह तसल्ली नहीं होगी कि उसे ऐसी कोई बीमारी या शारीरिक दुर्बलता (बाडिली इनफर्मिटी) नहीं है जिससे वह उस सेवा के लिए अयोग्य हो या उसके अयोग्य होने की सम्भावना हो ।

यह बात समझ लेनी चाहिए कि योग्यता का प्रश्न भविष्य से भी उतना ही सम्बन्ध है जितना कि वर्तमान से है और मेडिकल परीक्षा का एक मुख्य उद्देश्य निरन्तर कारगर सेवा प्राप्त करना और स्थायी नियुक्ति के उम्मीदवारों के मामलों में अकाल मृत्यु होने पर समय पूर्व पेंशन या अदायगियों को रोकना है । साथ ही यह भी नोट किया जाए कि यहां प्रश्न केवल निरन्तर कारगर सेवा की संभावना का है और उम्मीदवार को अस्वीकृत करने की सलाह उस हालत में नहीं दी जानी चाहिए जबकि उसमें कोई ऐसा दोष हो जो केवल बहुत कम स्थितियों में निरन्तर कारगर सेवा में बाधक पाया गया हो ।

महिला उम्मीदवार की परीक्षा के लिए किसी लेडी डाक्टर को मेडिकल बोर्ड के सदस्य के रूप में सहयोजित किया जाएगा।

भूविज्ञानी (कनिष्ट) और सहायक भूविज्ञानी के पदों पर नियुक्त किए गए उम्मीदवारों को भारत में और भारत से बाहर क्षेत्र सेवा (फील्ड सर्विस) करनी पड़ सकती है। ऐसे उम्मीदवार के मामले में चिकित्सा-बोर्ड को विशिष्ट रूप से अपनी राय रिकार्ड करनी चाहिए कि वह क्षेत्र सेवा के योग्य है या नहीं।

मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट को गोपनीय रखना चाहिए।

ऐसे मामलों में जबकि कोई उम्मीदवार सरकारी सेवा में नियुक्ति के लिए अयोग्य करार दिया जाता है तो मोटे तौर पर उसके अस्वीकार किए जाने के आधार उम्मीदवार को बताए जा सकते हैं किन्तु मेडिकल बोर्ड ने जो खराबी बताई हो उनका विस्तृत ब्यौरा नहीं दिया जा सकता।

ऐसे मामलों में जहां मेडिकल बोर्ड का यह विचार हो कि सरकारी सेवा के लिए उम्मीदवार को अयोग्य बनाने वाली छोटी मोटी खराबी चिकित्सा (औषधायाशल्य) द्वारा पूरी हो सकती है वहां मेडिकल बोर्ड द्वारा इस आशय का कथन रिकार्ड किया जाना चाहिए।

नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा इस बारे में उम्मीदवार को बोर्ड की राय सूचित किए जाने में कोई आपत्ति नहीं है और जब वह खराबी दूर हो जाए तो एक दूसरे मेडिकल बोर्ड के सामने उस व्यक्ति को उपस्थित होने के लिए कहने में सम्बन्धित प्राधिकारी स्वतन्त्र है।

यदि कोई उम्मीदवार अस्थायी तौर से अयोग्य करार दिया जाए तो दुबारा परीक्षा की अवधि साधारणतया कम से कम छः महीने से कम नहीं होनी चाहिए। निश्चित अवधि के बाद जब दुबारा परीक्षा हो तो ऐसे उम्मीदवारों को और आगे की अवधि के लिए अस्थायी तौर पर अयोग्य घोषित न कर नियुक्ति के लिए उनकी योग्यता के सम्बन्ध में अथवा वे इस नियुक्ति के लिए अयोग्य हैं ऐसा निर्णय अन्तिम रूप से दिया जाना चाहिए।

(क) उम्मीदवार का कथन और घोषणा :—

अपनी मेडिकल परीक्षा पूर्व उम्मीदवार को निम्नलिखित अपेक्षित स्टेटमेन्ट देना चाहिए और उसके साथ लगी हुई घोषणा (डिक्लेरेशन) पर हस्ताक्षर करने चाहिए। नीचे दिए गए नोट में उल्लिखित चेतावनी की ओर उम्मीदवार को विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए।

1. अपना पूरा नाम लिखें.....
(साफ अक्षरों में) .....

2. अपनी आयु और जन्म स्थान बताएं.....

2. (क) क्या आप गोरखा, गढ़वाली, असमी, नागालैण्ड आदिम जाति आदि में से किसी जाति से सम्बन्धित हैं जिसका औसत कद दूसरों से कम होता है ; "हां" या "नहीं" में उत्तर दीजिए, और यदि उत्तर "हां" में हो तो उस जाति का नाम बताइए।

3. (क) क्या आपको कभी चेचक, रुक रुक कर होने वाला या कोई दूसरा बुखार, ग्रंथियां (गलैंड्स) का बढ़ना या इनमें पीप पड़ना, थूक में खून आना, दमा, दिल की बीमारी, फेफड़े की बीमारी, मूर्छा के घौरे, रुमेटिज्स, एपेंडिसाइटिस हुआ है ?

(ख) दूसरी कोई ऐसी बीमारी या दुर्घटना, जिसके कारण शैया पर लेटे रहना पड़ा हो और जिसका मैडिकल या सर्जिकल इलाज किया हो, हुई है ?

4. आपको चेचक आदि का अन्तिम टीका कब लगा था ;

5. क्या आपको अधिक काम या किसी दूसरे कारण से किसी किस्म की अधीरता (नर्वसनेस) हुई है ?

6. अपने परिवार के सम्बन्ध में निम्नलिखित ब्यौरा दें :—

यदि पिता जीवित हो तो उसकी आयु और स्वास्थ्य की अवस्था	यदि पिता जी की मृत्यु हो चुकी हो तो मृत्यु के समय पिता की आयु और मृत्यु का कारण	आपके कितने भाई जीवित हैं उनकी आयु और स्वास्थ्य की अवस्था	आपके कितने भाईयों की मृत्यु हो चुकी है मृत्यु के समय उनकी आयु और मृत्यु का कारण

यदि माता जीवित हो तो उसकी आयु और स्वास्थ्य की अवस्था	यदि माता की मृत्यु हो चुकी हो तो मृत्यु के समय उसकी आयु और मृत्यु का कारण	आपकी कितनी बहनें जीवित हैं, उनकी आयु और स्वास्थ्य की अवस्था	आपकी कितनी बहनों की मृत्यु हो चुकी है, मृत्यु के समय उनकी आयु और मृत्यु का कारण

7. क्या इसके पहले किसी मेडिकल बोर्ड ने आपकी परीक्षा की है ?.....

8. यदि ऊपर के प्रश्न का उत्तर "हां" हो तो बताइए किन सेवाओं/पदों के लिए आपकी परीक्षा की गई थी ?.....

9. परीक्षा लेने वाला प्राधिकारी कौन था ?.....

10. कब और कहां मेडिकल बोर्ड बैठा ?.....

11. मेडिकल बोर्ड की परीक्षा का परिणाम यदि आपको बताया गया हो अथवा आपको मालूम हो। . . . .

मैं घोषित करता हूं कि जहां तक मेरा विश्वास है, ऊपर दिए गए सभी जवाब सही और ठीक हैं।

उम्मीदवार के हस्ताक्षर . . . .

मेरे सामने हस्ताक्षर किए।

बोर्ड के अध्यक्ष के हस्ताक्षर. . . . .

नोट :—उपर्युक्त कथन की यथार्थता के लिए उम्मीदवार जिम्मेदार होगा। जान-बूझ कर किसी सूचना को छुपाने से वह नियुक्ति खो बैठने का जोखिम लेगा और यदि वह नियुक्त हो भी जाए तो वार्धक्य भत्ता (सुपरएनुएशन अलाऊंस) या उपदान (ग्रेच्युटी) के सभी दावों से हाथ धो बैठेगा।

(ख) . . . . .की शारीरिक परीक्षा की मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट।

1. सामान्य विकास : अच्छा. . . . . बीच का. . . . कम. . . . . . .पोषण । पतला. . . .औसत . . .मोटा. . . कद (जूते उतार कर). . . . .वजन . . . . .अत्युत्तम वजन. . . .कब था ? . . . . . .वजन में कोई हाल ही में हुआ परिवर्तन. . . . .

तापमान. . . . .

छाती के घेर. . . . .

(1) पूरा सांस खींचने पर. . . . .

(2) पूरा सांस निकालने पर. . . . .

2. त्वचा. . . . . .कोई जाहिरी बीमारी. . . . . .

3. नेत्र

(1) कोई बीमारी. . . . .

(2) रतौंधी . . . .

(3) कलर विजन का दोष. . . . .

(4) दृष्टि क्षेत्र (फील्ड ऑफ विजन). . . . .

(5) फंखस की जांच. . . . .

(6) दृष्टि की पकड़ (विजुअल एक्विटी). . . . .

(7) स्टीरियों स्कोयिक फ्यूजन की समर्थता. . . . .

दृष्टि की पकड़	चश्मे के बिना	चशमे से	चश्में की पावर गोल सिलि० अक्ष
दूर की नजर			
दा० ने०			
बा० ने०			
पास की नजर			
दा० ने०			
बा० ने०			
हाइपरमेट्रोपिया (व्यक्त)			
दा० ने०			
बा० ने०			

4. कान : निरीक्षण ————————सुनना।
दायां कान————बायां कान————

5. ग्रंथियां————पाइराइड————

6. दांतों की हालत————————————

7. श्वसन तंत्र (रेस्पिरेटरि सिस्टम) क्या शारीरिक परीक्षा करने पर सांस के अंगों में किसी विलक्षणता का पता लगा है ? यदि पता लगा है तो विलक्षणता का पूरा ब्यौरा दें ?

8. परिसंचरण तन्त्र (सक्युलैरटी सिस्टम)

(क) हृदय : कोई आंगिक क्षति (आर्गेनिक लीजन) ? गति (रेट) :

खड़े होने पर :

25 बार कुदाये जाने के बाद————————————
कुदाये जाने के दो मिनट बाद————————————
(ख) ब्लड प्रैशर ————————सिस्टालिक ————
डायस्टालिक————————————————

9. उदर (पेट) : घेर————दाब वेदना (टेंडरनेंस)
हर्निया————————— ————

(क) सुस्पष्टतया, जिगर————————तिल्ली————
गुर्दे———————— ट्यूमर————————

(ख) बवासीर के मस्से————————फिरचुला————

10. तांत्रिक तंत्र (नर्वसस्टिम) तंत्र का या मानसिक आशक्तता का संकेत————————————

11. चाल तंत्र (लोकीमीटर सिस्टम)
कोई विलक्षणता————————————

12. जनन-मूत्र तंत्र (जेनिटो यूरिनरी) सिस्टम।
हाइड्रोसील, बेरिकोसील आदि का कोई संकेत।
मूत्र परीक्षा —

(क) कैसा दिखाई पड़ता है

(ख) स्पेसिफिक ग्रेविटी (अपेक्षित गुरुत्व)

(ग) एल्बयुमेन

(घ) शक्कर

(ङ) कास्ट

(च) केशिकाएं (सेल्स)

13. छाती की एक्स-रे परीक्षा की रिपोर्ट।

14. क्या उम्मीदवार के स्वास्थ्य में कोई ऐसी बात है जिससे उस सेवा हेतु जिस के लिए वह उम्मीदवार है, की ड्यूटी को दक्षता पूर्वक निभाने के लिए वह अयोग्य हो सकता है ?

टिप्पण :

महिला उम्मीदवार की दशा में यदि यह पाया गया है कि वह बारह सप्ताह या उससे अधिक गर्भवती है, उसको विनियम 9 के द्वारा अस्थायी तौर पर अयोग्य घोषित किया जाना चाहिए।

15. (क) कर्त्तव्यों को दक्षतापूर्वक और निरन्तर निभाने की दृष्टि से किन-किन सेवाओं के लिए उम्मीदवार की परीक्षा की गई है और किन-किन सेवाओं के लिए वह सभी तरह से योग्य पाया गया है और किन सेवाओं के लिए वह अयोग्य पाया गया है ?

(ख) क्या उम्मीदवार क्षेत्र-सेवा के योग्य है ? ————

नोट :—बोर्ड को अपना जांच-परिणाम निम्नलिखित तीन वर्गों में से किसी एक वर्ग में रिकार्ड करना चाहिए:—

(i) योग्य (फिट)

(ii) अयोग्य (अनफिट) जिसका कारण————

(iii) अस्थायी रूप से अयोग्य जिसका कारण————

स्थान————————अध्यक्ष (चेयरमैन)————

तारीख————————सदस्य ————————

परिशिष्ट-III

इस परीक्षा के माध्यम से जिन पदों पर नियुक्ति की जाती है, उनसे संबन्धित संक्षिप्त विवरण।

1. भूविज्ञानी (कनिष्ठ), श्रेणी-I

(क) जिन उम्मीदवारों को नियुक्ति के लिए चुना जाएगा, उनकी नियुक्ति 2 वर्ष की परखावधि पर की जाएगी। यह परखावधि, आवश्यकता हुई, तो बढ़ाई जा सकती है।

(ख) भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण में निर्धारित वेतन मान :-

(i) भूविज्ञानी (जूनियर वेतनमान)—रुपए 400-40-800-50-950

(ii) भूविज्ञानी (सीनियर वेतनमान)—रुपए 700-50-1250।

(iii) निदेशक—रुपए 1,300-60-1,600

(iv) निदेशक (चयन ग्रेड)—रुपए 1,600-100-1,800

(v) उप महानिदेशक—रुपए 1,800-100-2,000

(vi) महानिदेशक—रुपए 2,250-125-2,500

(ग) सरकार द्वारा समय-समय पर ऐसे आशोधनों के अध्यधीन रहते हुए विभाग में उच्चतर ग्रेडों के पदों में पदोन्नतियां भर्ती-नियमों के अनुसार की जाएगी।

(घ) सेवा, छुट्टी और पेंशन की शर्तें वही हैं जिनका उल्लेख क्रमशः मूल नियमावली और सिविल सेवा नियमावली में किया गया है। इन नियमों में सरकार समय-समय पर जो आशोधन करती है, वे भी लागू होंगे।

(ङ) भविष्य निधि की शर्तें सामान्य भविष्य निधि (केन्द्रीय सेवाएं) नियमावली में निर्धारित हैं। इन नियमों में सरकार समय-समय पर जो आशोधन करती है, वे भी लागू होंगे।

(च) भारतीय भूविज्ञान सर्वेक्षण संस्था के सभी अधिकारियों को भारत के किसी भी भाग में या भारत से बाहर कहीं भी सेवा करनी होगी।

2. सहायक भूविज्ञानी श्रेणी-II

(क) जिन उम्मीदवारों को नियुक्ति के लिए चुना जाएगा, उनकी नियुक्ति 2वर्ष की परखावधि पर की जाएगी। यह परखावधि, आवश्यकता हुई तो बढ़ाई जा सकती है।

(ख) निर्धारित वेतनमान : रुपए 350-25-500-30-590-द०रो०-30-800-द०रो०-30-830-35-900।

(ग) भूविज्ञानी (श्रेणी-I जूनियर वेतनमान) संवर्ग में आंशिक रूप से भर्ती संघ लोक लोक सेवा आयोग की प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से की जाएगी और आंशिक रूप से भारतीय भू-विज्ञान सर्वेक्षण संस्था के उन सहायक भूविज्ञानियों के अगले निम्न ग्रेड में पदोन्नति, सरकार द्वारा समय-समय पर ऐसे आशोधनों के अध्यधीन रहते हुए, भर्ती नियमों के अनुसार विभागीय पदोन्नति समिति के माध्यम से की जाएगी।

(घ) सेवा, छुट्टी और पेंशन की शर्तें वही हैं, जिनका उल्लेख क्रमशः मूल नियमावली और सिविल सेवा नियमावली में किया गया है। इन नियमों में सरकार समय-समय पर जो आशोधन करती है, वे भी लागू होंगे।

(ङ) भविष्य निधि की शर्तें सामान्य भविष्य निधि (केन्द्रीय सेवाएं) नियमावली में निर्धारित हैं इन नियमों में सरकार समय-समय पर जो अशोधन करती है, वे भी लागू होंगे।

(च) सहायक भूविज्ञानियों को भारत के किसी भी भाग में भारत से बाहर कहीं भी सेवा करनी होगी।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 11 दिसम्बर 1972

संकल्प

सं० डी०एस०टी०/8/1/72-जे०आर०सी०—भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण विभाग और भारतीय प्राणि सर्वेक्षण विभाग के संगठनात्मक तथा क्रियाविधि व्यवस्था का पुनरीक्षण करने के विचार के अनुसरण में भारत सरकार ने गैर सरकारी तथा सरकारी सदस्यों की एक पुनरीक्षण समिति की स्थापना का निश्चय किया है। समिति का संगठन निम्न प्रकार होगा :—

अध्यक्ष : आ० टी० एस० सदाशिवन,
निदेशक,
वनस्पति विज्ञान का अग्रिम अध्ययन केन्द्र
मद्रास विश्वविद्यालय,
मद्रास।

सदस्य 1. डा० डी० डी० पन्त,
वनस्पति विज्ञान विभाग,
इलाहाबाद विश्वविद्यालय,
इलाहाबाद।

2. डा० पी० एन० मेहरा,
आचार्य, वनस्पति विज्ञान
पंजाब विश्वविद्यालय,
चन्डीगढ़ ।

3. आ० एम० आर० एन० प्रसाद,
प्राणि विज्ञान विभाग,
दिल्ली विश्वविद्यालय,
दिल्ली ।

4. आचार्य सिबतोष मुखर्जी,
जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय,
नई दिल्ली ।

5. श्री एस० सन्थानम,
उप वित्तीय सलाहकार,
वित्त मंत्रालय,
नई दिल्ली ।

सदस्य सचिव 6. श्री के० एम० अग्रवाल,
विशेष कार्य अधिकारी,
विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग,
नई दिल्ली ।

2. समिति के विचारार्थ विषय निम्नलिखित होंगे :—

(i) देश की वर्तमान तथा भावी आवश्यकताओं के परिप्रेक्ष्य में भारतीय वनस्पति विभाग और भारतीय प्राणि सर्वेक्षण विभाग के उद्देश्यों का पुनर्निर्धारण करना तथा भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण विभाग और भारतीय प्राणि सर्वेक्षण विभाग के संगठनात्मक एवं कार्यकरण व्यवस्था का पुनरीक्षण करना और उनके क्रियान्विति के लिए प्रयोजनात्मक और सार्थक सिफारिशें करना ।

(ii) प्रशासनिक और वित्तीय व्यवस्था तथा क्रियाविधियों का अध्ययन करना और अनुकूलतम फल प्राप्त करने हेतु योग्यता के विकास के लिए शक्तियों के अतिरिक्त अन्य सुधारों का सुझाव देना ।

(iii) (क) भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण विभाग और भारतीय प्राणि सर्वेक्षण विभाग में कार्यान्वित करने के लिए एक सहयोग की सीमा को जिसकी दोनों सर्वेक्षण व अन्य वांक्षनीय संस्थानों में आवश्यकता हो, ध्यान में रखते हुए वनस्पति विज्ञान और प्राणि विज्ञान व अन्य समवर्गी अनुशासनों के अनुसन्धानात्मक क्षेत्र; (ख) एक समुचित समय के परिमिति में वांक्षित परिणाम प्राप्त करने के लिए आवश्यक पूंजी का परिणाम; और (ग) सम्पन्न करने के हेतु कार्यों की प्राथमिकता के लिए सिफारिश करना ।

3. समिति को किसी भी व्यक्ति अथवा संगठन से जिसे यह उचित समझे परामर्श लेने में स्वतंत्रता होगी ।

4. समिति आवश्यकतानुसार समय-समय पर बैठेगी । समिति का प्रधान कार्यालय नई दिल्ली में होगा । परन्तु यह भारतीय वनस्पति और प्राणि सर्वेक्षण के विभिन्न पहलुओं पर एक समुचित तथा सर्वांगीण अध्ययन करने के लिए उन स्थानों की यात्रा कर सकेगी जिनकी आवश्यकता समझी जाए ।

5. समिति अपने कार्यविधि का विकास स्वयं करेगी ।

6. संयुक्त पुनरीक्षण समिति के गैर सरकारी सदस्यों को समिति की बैठक इत्यादि में उपस्थित होने के लिए निर्धारित दरों पर वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) के समय-समय पर परिवर्तित हुए का० ज्ञा० सं० 6 (26)ई 4/59, दिनांक 5 सितम्बर, 1960 के अनुसार या० भ०/म० भ० दिया जाएगा ।

7. समिति अपना प्रतिवेदन यथा शीघ्र परन्तु संगठन के दिनांक से 4 मास से पहले प्रस्तुत करेगी ।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि संकल्प की प्रतिलिपि संयुक्त पुनरीक्षण समिति के सभी सदस्य, प्रधान मंत्री सचिवालय तथा सभी मंत्रालयों को भेजी जाए ।

ये भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को सर्वसाधारण की जानकारी के लिए भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए ।

ए० जे० किदवई, सचिव

कृषि मंत्रालय

(कृषि विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 28 दिसम्बर 1972

सं० 16-1/69—फसल प्रशासन-2—दिनांक 7 जून 1969 में, जिसके द्वारा उद्यान विकास परिषद् का गठन किया गया है, ये विहित है कि कृषि विभाग के उपायुक्त (उद्यान) इस परिषद् के सदस्य सचिव होंगे । अब भारत सरकार ने ये निर्णय लिया है कि उनके स्थान पर कृषि विभाग के निदेशक (उद्यान) उक्त परिषद के सदस्य-सचिव होंगे ।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस प्रस्ताव की एक प्रति समस्त राज्य सरकारों, संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों, भारत सरकार के मंत्रालयों के विभागों, योजना आयोग, मंत्रिमंडल सचिवालय, प्रधान मंत्री सचिवालय, लोक सभा सचिवालय और राज्य सभा सचिवालय को भेज दी जाए ।

2. यह भी आदेश दिया जाता है कि प्रस्ताव सामान्य जानकारी के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित कर दिया जाए ।

त्रिवेणी प्रसाद सिंह, सचिव

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 16 दिसम्बर 1972

सं० एफ० 1-37/71-स्कूल-4—राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद् के (इस समय तक संशोधित) नियम 7 और 8 के उपबन्धों के साथ पढ़े जाने वाले उपनियम 3(iv) और 3(vii) के उपबन्धों के अनुसरण में भारत सरकार निम्नलिखित व्यक्तियों को राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद के सदस्य के रूप में सहर्ष मनोनीत करती है :—

उप नियम 3(iv)

1. श्री गोपाल त्रिपाठी
   कुलपति,
   लखनऊ विश्वविद्यालय,
   लखनऊ (उ० प्र०) ।

2. श्री एम० एम० गनी,
   कुलपति,
   कालीकट विश्वविद्यालय,
   कालीकट ।

3. डा० आर० मोहनती,
   कुलपति,
   उत्कल विश्वविद्यालय,
   भुवनेश्वर ।

4. श्री एन० के० वकील
   कुलपति,
   महाराजा सियाजीराव,
   बड़ौदा विश्वविद्यालय,
   बड़ौदा ।

उप नियम 3 (vi)

1. श्रीमती पी० कोटेश्वरूपा,
   प्रधानाचार्य,
   बाल मांटेसरी हाई स्कूल,
   विजयवाड़ा ।

2. श्री गुरदयाल सिंह जस्सल,
   प्रधान अध्यापक,
   सरकारी हाई स्कल,
   अबोहर (पंजाब) ।

3. श्री एम० डी० कुलकर्णी,
   प्रधानाचार्य,
   धर्मप्रकाश श्रीनिवास हाई स्कूल,
   स्कीम 6, मार्ग सं० 24(सी) सियान (पश्चिम),बम्बई–22 ।

4. श्री गोविन्द चन्द्रा साहा,
   प्रधान अध्यापक,
   तूफानगंज टाऊन प्राथमिक स्कूल,
   डाकखाना तूफानगंज, जिला कूंच बिहार,
   (पश्चिम बंगाल) ।

5. श्री बी० मेरी राज,
   लोक अनुदेशक, मैसूर,
   पोस्ट बाक्स सं० 49,
   बंगलौर-1 ।

6. श्री एल० एन० गुप्त,
   शिक्षा निदेशक (पी० व एस०)
   बीकानेर (राजस्थान) ।

7. श्री प्रकाश चन्द,
   सचिव, (शिक्षा)
   हिमाचल प्रदेश सरकार,
   शिमला-2 ।

8. डा० ए० यू० शेख,
   सचिव, शिक्षा विभाग,
   महाराष्ट्र सचिवालय,
   बम्बई-32 ।

9. प्रो० डी० पी० यादव,
   उप शिक्षा मंत्री,
   भारत सरकार, शास्त्री भवन, नई दिल्ली-1 ।

10. कुमारी ए० चारी,
    आयुक्त,
    केन्द्रीय विद्यालय संगठन,
    नेहरू भवन, 4, बहादुर शाह जफ़र मार्ग,
    नई दिल्ली ।

11. प्रो० बी० वैंकटरमन,
    टाटा इन्स्टीट्यूट आफ फंडामेंटल रिसर्च,
    होमी भाभा मार्ग, बम्बई-5 ।

12. प्रो० स्याल अहमद,
    प्रधान भौतिक विभागाध्यक्ष,
    अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय,
    अलीगढ़ ।

सदस्यता 30 सितम्बर, 1974 तक लागू रहेगी ।

के० एस० अहलूवालिया, अवर सचिव

(समाज कल्याण विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 29 दिसम्बर 1972

संकल्प

सं० एफ० 1-46/69-एस० डब्ल्यू०-3—समाज कल्याण विभाग के संकल्प सं० एफ० 1-46/69-एस० डब्ल्यू०-3 दिनांक 30 सितम्बर 1972, जिसके द्वारा केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड (कम्पनी) के कार्यालय, अर्थात् बोर्ड के अध्यक्ष, साधारण निकाय के सदस्यों, तथा कार्यकारी समिति के सदस्यों का कार्यकाल 31 दिसम्बर, 1972 तक तथा समेत बढ़ा दिया गया था, के अनुक्रम में भारत सरकार सहर्ष यह निर्णय करती है कि कम्पनी के एसोसिएशन के अनुच्छेदों के अनुच्छेद 7 के उपबन्धों के अधीन बोर्ड के कार्यालय अर्थात् बोर्ड के अध्यक्ष, साधारण निकाय के सदस्यों तथा कार्यकारी समिति के सदस्यों का कार्यकाल 1 जनवरी, 1972 से 30 जून, 1973 तक तथा समेत 6 महीनों की और अवधि के लिए बढ़ा दिया जाए।

आदेश

आदेश किया जाता है कि इस संकल्प की प्रतिलिपि निम्नलिखित को प्रेषित की जाए :—

1. केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड के सब सदस्य।
2. सब राज्य सरकारें/संघ राज्य क्षेत्र।
3. भारत सरकार के सब मंत्रालय/विभाग।
4. राष्ट्रपति सचिवालय।
5. मंत्रिमंडल सचिवालय।
6. योजना आयोग।
7. लोकसभा/राज्यसभा/प्रधान मंत्री सचिवालय।
8. पत्र सूचना कार्यालय।
9. महालेखाकार, केन्द्रीय राजस्व, नई दिल्ली।
10. कम्पनी कार्य विभाग।
11. कम्पनियों के रजिस्ट्रार, नई दिल्ली।
12. क्षेत्रीय निदेशक, कम्पनी कानून बोर्ड, नई दिल्ली।
13. सचिव, केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड, नई दिल्ली।
14. राज्य समाज कल्याण सलाहकार बोर्डों के सब सदस्य।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को साधारण जानकारी के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

एस० आर० सुन्दरम्, उप सचिव

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 2 जनवरी 1973

सं० एफ० सी०—11(58)/70—सिंचाई और विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के संकल्प संख्या एफ० सी०—11(58)/70, दिनांक 11 जनवरी, 1971, जिसका संशोधन संकल्प संख्या एफ० सी०—11(58)/70, दिनांक 24 अप्रैल, 1971, 26 अगस्त, 1971 और 15 अप्रैल, 1972 द्वारा किया गया था, के अन्तर्गत स्थापित उत्तर बंगाल बाढ़ नियंत्रण बोर्ड का निम्न प्रकार से पुनर्गठन किया जाता है :—

1. मुख्य मंत्री, पश्चिम बंगाल	अध्यक्ष
2. सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय का एक प्रतिनिधि	सदस्य
3. वित्त मंत्री, पश्चिम बंगाल	सदस्य
4. सिंचाई, जलमार्ग तथा विद्युत् मंत्री, पश्चिम बंगाल	सदस्य
5. वन मंत्री, पश्चिम बंगाल	सदस्य
6. कृषि मंत्री, पश्चिम बंगाल	सदस्य
7. अध्यक्ष, उत्तरी बंगाल बाढ़ नियंत्रण आयोग	सदस्य-सचिव

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति पश्चिम बंगाल सरकार/भारत सरकार के सम्बद्ध मंत्रालयों/प्रधान मंत्री के सचिवालय/राष्ट्रपति के निजी तथा सैनिक सचिव/भारत के नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक/योजना आयोग को सूचनार्थ भेज दी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को भारत के राजपत्र में प्रकाशित कर दिया जाए और राज्य सरकार से ये प्रार्थना की जाए कि वे इसे आम जानकारी के लिए राज्य के राजपत्र में प्रकाशित करा दें।

बी० एस० बंसल, संयुक्त सचिव

CABINET SECRETARIAT

(Department of Personnel)

RULES

New Delhi, the 20th January 1973

No. 10(1)/73-*CS*(11).—The rules for a competitive examination to be held by the Institute of Secretariat Training & Management, Department of Personnel in the Cabinet Sectt., in 1973 for the purpose of filling temporary vacancies in the following Services/posts are published for general information :—

(i) Indian Foreign Service (B)-Grade VI;

(ii) Railway Board Secretariat Clerical Service-Grade II;

(iii) Central Secretariat Clerical Service-Lower Division Grade;

(iv) Armed Forces Headquarters Clerical Service-Lower Division Grade;

(v) Posts of Lower Division Clerk in the Department of Parliamentary Affairs, New Delhi;

(vi) Posts of Lower Division Clerk in the office of the Special Inspector General, Indo-Tibetan Border Police, Delhi; and

(vii) Posts of Lower Division Clerk in other Departments and Attached Offices of the Government of India not mentioned above.

A candidate may apply for admission to the Examination in respect of any one or more of the Services/posts mentioned above. He may, if he so desires, also be considered for inclusion in the Reserve List for the Central Secretariat Clerical Service. He may specify in his application as many of these Services/posts as he may wish to be considered for.

N.B.—Candidates are required to specify clearly the order of preferences for the Services/posts for which they wish to be considered. No request for alteration in the order of preferences for the Services/posts originally indicated by a candidate in his application, would be considered unless such a request is received in the office of the Institute of Secretariat Training & Management within three months of the date of the examination.

2. The number of vacancies to be filled on the results of the examination will be specified in the Notice issued by the Institute. Reservation will be made for candidates who are Ex-Servicemen and for candidates belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes in respect of vacancies as may be fixed by the Government of India.

Ex-Serviceman means a person who has served in any rank (whether as a combatant or not) in the Armed Forces of the Union for a continuous period of six months and who has been released otherwise than by way of dismissal or discharge on account of misconduct or inefficiency.

Explanation.—For the purposes of these Rules "Armed Forces of the Union" shall include the Armed Forces of the former Indian States but does not include members of the following Forces, namely :—

(a) Assam Rifles;

(b) Lok Sahayak Sena; and

(c) General Reserve Engineer Force.

Scheduled Castes/Tribes mean any of the Castes/Tribes mentioned in the Scheduled Castes/Tribes Lists (Modification) Order, 1956, read with the Bombay Reorganisation Act, 1960, and the Punjab Reorganisation Act, 1966, the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Orders (Amendment) Act, 1956, the Constitution (Jammu and Kashmir) Scheduled Castes Order, 1956, the Constitution (Andaman and Nicobar Islands) Scheduled Tribes Order, 1959, the Constitution (Dadra and Nagar Haveli) Scheduled Castes Order, 1962, the Constitution (Dadra and Nagar Haveli) Scheduled Tribes Order, 1962, the Constitution (Pondicherry) Scheduled Castes Order, 1964, the Constitution (Scheduled Tribes) (Uttar Pradesh) Order, 1967, the Constitution (Goa, Daman and Diu) Scheduled Castes Order, 1968, the Constitution (Goa, Daman and Diu) Scheduled Tribes Order, 1968 and the Constitution (Nagaland) Scheduled Tribes Order, 1970.

3. The examination will be conducted by the Institute of Secretariat Training & Management in the manner prescribed in Appendix I to the Rules.

The dates on which and the places at which the examination will be held shall be fixed by the Institute.

4. A candidate must be either—

(a) a citizen of India, or

(b) a subject of Sikkim, or

(c) a subject of Nepal, or

(d) a subject of Bhutan, or

(e) a Tibetan refugee who came over to India, before the 1st January, 1962, with the intention of permanently settling in India, or

(f) a person of Indian origin who has migrated from Pakistan, Bangla Desh, Burma, Sri Lanka and East African countries of Kenya, Uganda and the United Republic of Tanzania (formerly Tanganyika and Zanzibar) with the intention of permanently settling in India.

Provided that a candidate belonging to categories (c), (d), (e) and (f) above shall be a person in whose favour a certificate of eligibility has been issued by the Government of India.

Certificate of eligibility will not, however, be necessary in the case of candidates belonging to any one of the following categories :—

(i) Persons who migrated to India from Pakistan before the nineteenth day of July, 1948 and have ordinarily been residing in India since then.

(ii) Persons who migrated to India from Pakistan on or after the nineteenth day of July, 1948, and have got themselves registered as citizens of India under Article 6 of the Constitution of India.

(iii) Non-citizens in category (f) above who entered service under the Government of India before the commencement of the Constitution *viz.*, 26th January, 1950, and who have continued in such service since then. Any such person who re-entered or may re-enter such service with break after the 26th January, 1950, will, however, require certificate of eligibility in the usual way.

Provided further that candidates belonging to categories (c), (d) and (e) above will not be eligible for appointment to the Indian Foreign Service (B)-Grade VI.

A candidate in whose case a certificate of eligibility is necessary may be admitted to the examination and he may also provisionally be appointed subject to the necessary certificate being given to him by the Government.

5. No candidate who does not belong to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe or is not a resident of the Union Territory of Pondicherry or is not a resident of the Union Territory of Goa, Daman and Diu, or is not a migrant from Kenya, Uganda and the United Republic of Tanzania (formerly Tanganyika and Zanzibar) shall be permitted to compete more than two times at the examination but this restriction is effective from the examination held in 1961.

NOTE 1.—If it is found at any time before or after the publication of the results of the examination that the candidate had already appeared in the examination twice and was thus ineligible to sit in the examination, his result will be withheld or cancelled, as the case may be, and further action taken as per rule 15.

NOTE 2.—For the purpose of this rule, a candidate shall be deemed to have competed at the examination once, for all the Services/posts covered by the examination, if he competes for any one or more of Services/posts.

NOTE 3.—A candidate shall be deemed to have competed at the examination if he actually appears in any one or more subjects.

6. (a) A candidate for this examination must have attained the age of 18 years and must not have attained the age of 25 years on 1st January 1973 *i.e.*, he must have been born not earlier than 2nd January 1948 and not later than 1st January, 1955.

(b) The upper age limit will be relaxable in the case of ex-Servicemen, who have put in not less than six months continuous service in the Armed Forces of the Union, to the extent of their total service in the Armed Forces increased by three years.

Provided that candidates admitted to the examination under this age concession will be eligible to compete for the vacancies reserved for ex-Servicemen only.

NOTE.—The period of "call up service" of an Ex-Serviceman in the Armed Forces shall also be treated as service rendered in the Armed Forces for purpose of rule 6(b) above.

(c) The upper age limit prescribed above will be further relaxable :—

(i) up to a maximum of five years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe;

(ii) up to a maximum of three years if a candidate is a *bona fide* displaced person from Bangla Desh (erstwhile East Pakistan) and has migrated to India on or after 1st January, 1964, but before 25th March 1971;

(iii) up to a maximum of eight years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe and is also a *bona fide* displaced person from Bangla Desh (erstwhile East Pakistan) and has migrated to India on or after 1st January, 1964, but before 25th March 1971;

(iv) up to a maximum of five years if a candidate is a resident of the Union Territory of Pondicherry and has received education through the medium of French at some stage;

(v) up to a maximum of three years if a candidate is a *bona fide* repatriate of Indian origin from Sri Lanka and has migrated to India on or after 1st November, 1964, under the Indo-Ceylon Agreement of October, 1964;

(vi) up to a maximum of eight years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe and is also a *bona fide* repatriate of Indian origin from Sri Lanka and has migrated to India on or after 1st November 1964, under the Indo-Ceylon Agreement of October, 1964;

(vii) up to a maximum of three years if a candidate is a resident of the Unioon Territory of Goa, Daman and Diu;

(viii) up to a maximum of three years if a candidate is of Indian origin and has migrated from Kenya, Uganda and the United Republic of Tanzania (formerly Tanganyike and Zanzibar);

(ix) up to a maximum of three years if a candidates a *bona fide* repatriate of Indian origin from Burma and has migrated to India on or after 1st June, 1963.

(x) up to a maximum of eight years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe and is also a *bona fide* repatriate of Indian orgin from Burma and has migrated to India on or after 1st June, 1973;

(xi) up to a maximum of three years in the case of Defence Services personnel disabled in operations during hostilities with any foreign country or in a disturbed area, and released as a consequence thereof; and

(xii) up to a maximum of eight years in the case of Defence Services personnel disabled in operations during hostilities with any foreign country or in a disturbed area, and released as a consequence thereof, who belong to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes.

(d) The upper age limit will be relaxable up to the age of 35 years in respect fo persons who have been regularly appointed as Clerks in the various Departments/Offices of the Government of India and in the Office of the Election Commission, and have rendered not less than 3 years' continuous service as Clerks on 1-1-1973, and who continue to be so employed.

Provided that the above age relaxation will not be admissible to persons appointed as Clerks in the Ministries/Departments and Attached Offices participating in (i) Central Secretariat Clerical Service, (ii) Indian Foreign Service (B), (iii) Railway Board Secretariat Clerical Service, and (iv) Armed Forces Headquarters Clerical Service, and to persons who are ex-Servicemen competing at the examination for vacancies reserved for ex-Servicemen.

(e) The upper age limit will be relaxable up to the age of 35 years in respect of persons who have been employed as Hindi Clerks/Hindi Typists in the various Ministries/Departments and Attached Offices participating in the Central Secretariat Clerical Service, and have rendered not less than 3 years continuous Service as Hindi Clerks/Hindi Typists on 1-1-1973, and who continue to be so employed.

Provided that a Hindi Clerk/Hindi Typist admitted to the examination under this age concession shall be eligible to compete for vacancies in the Central Secretariat Clerical Service only.

(f) The upper age limit will be relaxable upto 45 years in respect of Service Clerks in the last year of their colour service in the Armed Forces, *i.e.* those who are due for release from the Army during the period from 2nd January, 1973 to 1st January, 1974.

Provided that candidate admitted to the examination under this age concession will be eligible to compete only for vacancies in Armed Forces Headquarters and Inter-Services Organizations, which are not reserved for ex-Servicemen.

(g) There will be no upper age limit for Telephone Operators, who are so employed in the Ministries/Departments/Offices participating in the Central Secretariat Clerical Service on the 1st January, 1972 and who continue to be so employed.

NOTE 1.—Service rendered by R.M.S. Sorters employed in subordinate offices of P. & T. Department shall be treated as service rendered in the grade of Clerk for purpose of Rule 6(d) above.

NOTE 2.—The candidature of a person who is admitted to the examination under the age concession mentioned in Rule 6(d) and Rule 6(e) above, is liable to be cancelled, if after submitting his application, he resigns from service or his services are terminated by his Department, either before or after taking the examination. He will, however, continue to be eligible if he is retrenched from the Service or post after submitting his application.

NOTE 3.—A clerk who is on deputation to an ex-cadre post with the approval of the competent authority will be eligible to be admitted to the examination, if otherwise eligible.

NOTE 4.—The examination will be qualifying and not competitive so far as persons falling under category above of this rule are concerned.

SAVE AS PROVIDED ABOVE, THE AGE LIMITS PRESCRIBED CAN IN NO CASE BE RELAXED.

7. Candidates must have passed one of the following examinations or possess one of the following certificates :—

(i) Matriculation Examination of any University incorporated by an Act of the Central or State Legislature in India;

(ii) An examination held by a State Education Board at the end of the Secondary School Course for the award of a School Leaving, Secondary School, High School or any other Certificate, which is accepted by the Government of that State as equivalent to Matriculation Certificate for entry into service;

(iii) Cambridge School Certificate Examination (Senior Cambridge);

(iv) European High School Examination held by the State Government;

(v) Tenth Class Certificate from the Technical Higher Secondary School of the Delhi Polytechnic;

(vi) Pass in the examination held by a recognised Higher Secondary/Multipurpose School in India, at the end of the penultimate year of a Higher Secondary Course/Multipurpose Course (which enables a candidate to get admission to the 3 year degree course);

(vii) Tenth Class Certificate from a recognised School preparing students for the Indian School Certificate Examination;

(viii) Tenth Class Certificate of the Higher Secondary Course of Sri Aurobindo International Centre of Education, Pondicherry;

(ix) Junior examination of the Jamia Millia Islamia, Delhi in the case of *bona fide* resident students of the Jamia only;

(x) Bengal (Science) School Certificate;

(xi) Final School Standard Examination of the National Council of Education, Jadavpur, West Bengal (Since inception);

(xii) 'Vinit' examination of the Gujarat Vidyapith Ahmedabad;

(xiii) The following French Examinations of Pondicherry :

(i) 'Brevet Elementaire', (ii) 'Brevet d' Enseignement Primaire de Langue Indienne', (iii) 'Brevet D' etudesa du Premier Cycle', (iv) 'Brevet D'Enseignement Primaire Superieur de Langue Indienne' and (v) 'Brevet de Langue Indienne (Vernacular);

(xiv) Pass in the 5th year of 'Lyceum', a Portuguese qualification in Goa, Daman and Diu;

(xv) Indian Army Special Certificate of Education;

(xvi) Higher Educational Test of the Indian Navy;

(xvii) Advanced Class (Indian Navy) Examination;

(xviii) Ceylon Senior School Certificate Examination;

(xix) Certificate granted by the East Bengal Secondary Education Board, Dacca;

(xx) Secondary School Certificate granted by the Board of Secondary Education at Comilla/Rajshahi/Khulna/Jessore in Bangla Desh;

(xxi) School Leaving Certificate Examination of the Government of Nepal;

(xxii) Anglo-Vernacular School Leaving Certificate Burma;

(xxiii) Burma High School Final Examination Certificate with eligibility for University course;

(xxiv) Anglo-Vernacular High School Examination of of the Education Department, Burma (Pre-War);

(xxv) Post-War School Leaving Certificate of Burma;

(xxvi) General Certificate of Education Examination of Ceylon at 'Ordinary' level provided it is passed in six subjects including English and Mathematics and either Sinhalese or Tamil;

(xxvii) General Certificate of Education Examination of the Associated Examination Boards, London at 'Ordinary' Level provided it is passed in five subjects including English;

(xxviii) Junior/Secondary Technical School examination conducted by any of the State Boards of Technical Education;

(xxix) Purva Madhyama (with English) or old Khand Madhyama (first two years course) and special examination in additional subjects, with English as one of the subjects, of the Varanseya Sanskrit Vishwa Vidyalaya, Varanasi; and

(xxx) Carta de Curso de Formasco de Serralheiro (Certificate in Smithy Course) and Carta de Curso de Montador Electricista (Certificate in Electrician Course) awarded by the Escola Industrial Commercial de Goa, Panaji, under the Portuguese set-up prior to Liberation of Goa, Daman and Diu;

(xxxi) Rashtriya Indian Military College Diploma Examination;

(xxxii) 'Madhyama' examination conducted by the Rashtriya Sanskrit Sansthan, New Delhi;

(xxxiii) IAF Educational Test for promotion to the rank of Corporal conducted by the Directorate of Education, Air Headquarters, New Delhi;

(xxxiv) Qualifying Science Examination, 1965, conducted by the Delhi University;

NOTE I.—A candidate who has appeared at an examination the passing of which would render him eligible to appear at this examination but has not been informde of the result may apply for admission to this examination. A candidate who intends to appear at such a qualifying examination may also apply, provided the qualifying examination is completed before the commencement of this examination. Such candidates will be admitted to the examination, if otherwise eligible, but the admission would be deemed to be provisional and subject to cancellation if they do not produce proof of having passed the examination, as soon as possible, and in any case not later than two months after the commencement of this examination.

NOTE II.—In exceptional cases, the Central Government may treat a candidate, who has not any of the qualifications prescriebd in this rule, as educationally qualified provided that he possesses qualifications, the standard of which, in the opinion of that government justified his admission to the examination.

8. (i) No person

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to service.

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

(ii) A person married to a foreign national shall not be eligible for appointment to the Indian Foreign Service (B)—Grade VI.

(iii) A person with more than three children will not be eligible for appointment to the Indian Foreign Service (B)—Grade VI.

9. A candidate already in Government service, whether in a permanent or temporary capacity, must obtain prior permission of the Head of the Department to appear for the Examination.

10. A candidate must be in good mental and bodily health and free from any physical defect likely to interfere with the efficient discharge of his duties as an officer of the Service. A candidate, who after such medical examination as may be prescribed by the competent authority, is found not to satisfy these requirements, will not be appointed. Only such candidates as are likely to be considered for appointment will be medically examined.

NOTE—In the case of the disabled ex-Defence Services personnel, a certificate of fitness granted by the Demobilisation Medical Board of the Defence Services will be considered adequate for the purpose of appointment.

11. The decision of the Institute as to the eligibility or otherwise of a candidate for admission to the examination shall be final.

12. No candidate will be admitted to the examination unless he holds a certificate of admission from the Institute.

13. Candidates except Ex-Servicemen released from the Armed Forces and those who are granted remission of fee *vide* para 8(iv) of the Institute's Notice, must pay the fee prescribed in para 8(i) of the Institute's Notice.

14. Any attempt on the part of a candidate to obtain support for his candidature by any means may disqualify him for admission.

15. A candidate who is or has been declared by the Institute guilty of impersonation or of submitting fabricated documents or documents which have been tampered with or of making statements which are incorrect or false or of supressing material information or otherwise resorting to any other irregular or improper means for obtaining admission to the examination, or of using or attempting to use unfair means in the examination hall or of misbehaviour in the examination hall or its precincts, or of not complying with

the Instructions issued by the Institute or the Supervisor/Invigilator, may, in addition to rendering himself liable to criminal prosecution,—

(a) be debarred permanently or for a specified period :—

(i) by the Institute from admission to any examination or appearance at any interview held by the Institute for selection of candidates, and

(ii) by the Central Government from employment under them;

(b) be liable to disciplinary action under the appropriate rules, if he is already in service under Government.

16. (i) After the examination, the candidates will be arranged by the Institute in the order of merit as disclosed by the aggregate marks finally awarded to each candidate; and in that order so many candidates as are found by the Institute to be qualified by the examination shall be recommended for appointment up to the number of unreserved vacancies decided to be filled on the results of the examination.

Provided that the candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes may, to the extent the number of vacancies reserved for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes cannot be filled on the basis of the general standard, be recommended by the Institute of Secretariat Training and Management by a relaxed standard to make up the deficiency in the reserved quota, subject to the fitness of these candidates for selection to the Service, irrespective of their ranks in the order of merit at the examination.

Provided further that ex-servicemen belonging to the Scheduled Caste or the Scheduled Tribes may, to the extent the number of vacancies reserved for the Scheduled Casts and the Scheduled Tribes cannot be filled on the basis of the general standard, be recommended by the Institute of Secretariat Training & Management by a relaxed standard to make up the deficiency in the quota reserved for them out of the quota of vacancies reserved for ex-servicemen, subject to the fitness of these candidates for selection to the Service, irrespective of their ranks in the order of merit at the examination.

(ii) In the case of candidates who are admitted to the examination under the age concession mentioned in clause (g) of rule 6 above, the Institute of Secretariat Training & Management will prepare a separate list of the candidates as qualified for induction to the Lower Division Grade of the Central Secretariat Clerical Service on the results of the examination.

17. Due consideration will be given, at the time of making appointments on the results of the examination, to the preferences expressed by a candidate for various Services/posts, at the time of his application (*cf.* Col. 12 of the application form).

18. The form and manner of communication of the result of the examination to individual candidates shall be decided by the Institute in its discretion, and the Institute will not enter into correspondence with them regarding the result.

19. Success in the examination confers no right to appointment, unless Government are satisfied after such enquiry as may be considered necessary that the candidate is suitable in all respects for appointment to the Service/post.

20. All appointments on the results of this examination shall be subject to the condition that unless a candidate has already passed one of the periodical typewriting tests in English or Hindi held by the Union Public Service Commission or the Secretariat Training School or the Institute of Secretariat Training & Management, he shall pass such a test at a minimum speed of 30 words in English or 25 words in Hindi per minute, to be held by the Institute of Secretariat Training & Management within a period of one year from the date of appointment, failing which no annual increment(s) shall be allowed to him until he has passed the said test.

If any candidate does not pass the said typewriting test within the period of probation, his services shall be liable to be terminated.

NOTE 1.—A candidate appointed on the results of the examination, who has already passed the typewriting test as prescribed above, or who passes it within a period of six months from the date of his appointment, will be granted the first increment after six months instead of after one year's service. This will, however, be absorbed in the subsequent regular increments.

NOTE 2.—In addition to the concession referred to in Note 1 above, two advance increment absorbable in future increases in pay will be granted to those who pass the type-writing test at 40 words per minute in English or 35 words per minute in Hindi within a peroid of one year from the date of their appointment.

21. Conditions of service relating to the Services/posts to which recruitment is being made through this examination are briefly stated in Appendix II.

M. K. VASUDEVAN
Under Secretary

APPENDIX I

1. The subjects of the examination, the time allowed and the maximum marks for each subject will be as follows :—

Paper No.	Subject	Maximum Marks		Time allowed
I.	General English & Short Essay			
	(a) Short Essay	100	200	3 hours
	(b) General English	100		
II.	General Knowledge including Geography of India	100		2 hours

2. The syllabus for the examination will be as shown in the Schedule to this Appendix.

3. Candidates are allowed the option to answer item (a) of paper I or paper II or both either in Hindi (in Devanagri script) or in English. Item (b) of paper I must be answered in English by all candidates.

NOTE 1.—The option for paper II will be for the complete paper and not for different questions in it.

NOTE 2.—Candidates desirous of exercising the option to answer the aforesaid papers in Hindi (in Devanagri script) should indicate their intention to do so clearly in Col. 7 of the application form. Otherwise it would be persumed that they would answer the papers in English.

NOTE 3.—The option once exercised will be final and no request for change of option will ordinarily be entertained.

NOTE 4.—No credit will be given for answers written in a language other than the one opted by the candidate.

4. Candidates must write the papers in their own hand. In no circumstances will they be allowed the help of a scribe to write down answers for them.

5. The Institute has discretion to fix qualifying marks in any or all subjects of the examination.

6. Marks will not be allotted for mere superficial knowledge.

7. Deduction up to 5 per cent of the maximum marks will be made for illegible handwriting.

8. Credit will be given for orderly, effective and exact expression, combined with due economy of words in all subjects of the examination.

SCHEDULE

SYLLABUS OF THE EXAMINATION

General English and Short Essay

(a) *Short Essay.*—An essay to be written on one of the several specified subjects.

(b) *General English.*—Candidates will be tested in the following:—

(1) Drafing;

(2) Precis writing;

(3) Applied Grammar and

(4) Elementary tabulation (To test candidates' ability in the art of compiling, arranging and presenting data in a tabular form).

General Knowledge including Geography of India

Knowledge of current events and of such matters of everyday observation and experience in their scientific aspects as may be expected of an educated person who has not made a special study of any scientific subject. The paper will include questions on Geography of India.

APPENDIX II

Brief particulars relating to the Services/posts to which recruitment is being made through this Examination.

A. *Central Secretariat Clerical Service*

The Central Secretariat Clerical Service has two grades as following:

(i) *Upper Division Grade.*—Rs. 130-5-160-8-200-EB-8-256-EB-8-280.

(ii) *Lower Division Grade.*—Rs. 110-3-131-4-155-EB-4-175-5-180.

2. Persons recruited to the Lower Division Grade will be on probation for a period of two years during which they will undergo such training and pass such departmental tests as may be prescribed by Government. Failure to show sufficient progress in the course of training or to pass the tests may result in the discharge of the probationer from service.

3. On the conclusion of the period of probation, Government may confirm the clerk on probation or, if his work or conduct has, in the opinion of Government, been unsatisfactory, he may either be discharged from service or his period of probation may be extended for such further period as Government may think fit.

4. Persons recruited to the Lower Division Grade will be posted to one of the Ministries/Offices participating in the Central Secretariat Clerical Service Scheme. They may, however, at any time be transferred to any other Ministry or Office, participating in the Central Secretariat Clerical Service.

5. Persons recruited to the Lower Division Grade will be eligible for promotion to the Upper Division Grade in accordance with the rules in force from time to time in this behalf. Permanent or regularly appointed temporary Lower Division Clerks who have completed 5 years of approved and continuous service in the Lower Division Grade on the crucial date as specified by the Government in this behalf will be eligible to appear in the Upper Division Grade Limited Departmental Competitive Examination.

6. Persons recruited to the Lower Division Grade will be eligible to take the Grade III Stenographers' Examination after rendering not less than three years' approved and continuous service on the crucial date as specified by the Government in this behalf. The upper age limit for this examination is 35 years on the crucial date.

7. Persons recruited to the Lower Division Grade of the Central Secretariat Clerical Service in pursuance of their option for that Service will not, after such appointment, have any claim for transfer or appointment to the Indian Foreign Service (B) or the Railway Board Secretariat Clerical Service.

ANNEXURE

PARTICULARS OF THE RAILWAY BOARD SECRETARIAT CLERICAL SERVICE

B. *Railway Board Secretariat Clerical Service.*

The service conditions of the Lower Division Clerks employed in the Ministry of Railway, so far as recruitment, training, promotion etc. are concerned, are regulated by the Railway Board Secretariat Clerical Service Rules 1970 which are on the lines of Central Secretariat Clerical Service Rules, 1962 as amended from time to time.

2. The Railway Board Clerical Service consists of the following two grades:—

(i) *Upper Division Grade.*—Rs. 130-5-160-8-200-EB-8-256-EB-8-280.

(ii) *Lower Division Grade.*—Rs. 110-3-131-4-155-EB-4-175-5-180.

3. Direct recruitment is made in Lower Division Grade only. Persons recruited to Lower Division Grade will be on probation for a period of two years during which they will undergo such training and pass such departmental tests as may be prescribed by the Government. Failure to show sufficient progress in the course of training or to pass the test may result in their discharge from service.

4. The posts in Upper Division Grade are required to be filled by promotion/appointment, in equal proportion from amongst the following staff:

(a) Permanent officers of the Lower Division Grade who have rendered not less than 8 years' approved service in order of seniority in the Grade subject to the rejection of the unfit; and

(b) Members of the Lower Division Grade selected on the results of the Limited Departmental Competitive Examination held for this purpose from time to time in the order of their merit.

Until the results of the first limited competitive examination referred to at (b) above are announced, all the vacancies in the Upper Division Grade will be filled in the manner at (a) above.

5. Members of the Lower Division Grade or the Upper Division Grade of the Railway Board Secretariat Clerical Service are eligible to appear in the Stenographers Grade III Limited Departmental Competitive Examination after rendering not less than 3 years approved and continuous service on the crucial date as specified by the Govt. in this behalf. The Upper age limit for this examination is 35 years on the crucial date.

6. The Railway Board Secretariat Clerical Service is confined to the Ministry of Railways and the staff are not liable to transfer to other Ministries as in the Central Sectt. Clerical Service.

7. Officers of the Railway Board Secretariat Clerical Service recruited under these rules—

(i) will be eligible for pensionary benefits; and

(ii) Shall subscribe to the non-contributory State Railway Provident Fund under the rules of that fund as are applicable to Railway Servants appointed on the date they join service

8. The staff employed in the Ministry of Railways will be entitled to the privilege of passes and privilege ticket orders on the same scale as are admissible to other Railway staff.

9. As regards leave and other conditions of service, staff included in the Railway Board's Secretariat Clerical Service are treated in the same way as other Railway staff but in the matter of medical facilities they will be governed by the rules applicable to other Central Government employees with headquarters at New Delhi.

C. Indian Foreign Service (B)-Grade VI

The scale of pay.—Rs. 110-3-131-4-155-EB-4-175-5-180.

2. Officers appointed to Grade VI of the Indian Foreign Service (B), when posted abroad, will be eligible for such allowances and free furnished accommodation as are admissible to that grade of I.F.S.(B) officers from time to time.

3. Candidates appointed to the Indian Foreign Service (B) on the results of this examination will be liable to serve in any post either at Headquarters, anywhere in India, or abroad to which they may be posted by the Controlling Authority.

4. The conditions for appointment, confirmation and seniority in the Service will be governed by the relevant provisions of the I.F.S. (B) (Recruitment, Cadre, Seniority and Promotion) Rules, 1964 and also by any other rules or orders which Government may hereafter make.

D. *Armed Forces Headquarters Clerical Service*

The Armed Forces Headquarters Clerical Service has two grades as follows :—

Upper Division Grade.—Rs. 130-5-160-8-200-EB-8-256-EB-8-280.

Lower Division Grade.—Rs. 110-3-131-4-155-EB-4-175-5-180.

The posts in Upper Division Grade are filled by promotion from among Lower Division Clerks. Direct recruitment is made in Lower Division Grade only.

2. Persons recruited to the Lower Division Grade will be on probation for two years, which period may be extended or curtailed at the discretion of the competent authority. Unsatisfactory record of service during this period may result in discharge of the probationer from service. During the period of probation, they may be required to undergo such training and pass such tests as may be prescribed from time to time.

3. Lower Division Cerks will be eligible for confirmation and promotion in accordance with the rules in force from time to time.

4. Lower Division Clerks recruited to the AFHQ Clerical Service will be generally posted to any office of the Armed Forces Headquarters and Inter-Service Organizations located in Delhi/New Delhi. They will also be liable to be posted anywhere within India in the public interest.

5. Leave, medical aid and other conditions of service will be the same as applicable to other Ministerial staff employed in the AFHQ and Inter-Service Organizations.

E. *Department of Parliamentary Affairs*

The scale of pay for the posts of Lower Division Clerk in the Department is Rs. 110-3-131-4-155-EB-4-175-5-180.

Candidates appointed to the Service by selection through the competitive examination shall be on probation for a period of two years.

MINISTRY OF FOREIGN TRADE

New Delhi, the 23rd December 1972

RESOLUTION

No. 21(15)/72-TAEP.—The Government of India have decided to set up an Export Processing Zone for electronic equipments and components at Santa Cruz, Bombay, with a view to promoting the exports of these items. The main features of this project will be :

(1) It will be entirely export-oriented. The units admitted into the Zone will be obliged to export 100% of their production.

(2) The units in the Zone are proposed to be given certain facilities and concessions in the matter of import of raw materials, components, capital equipments, etc.

2. The Zone will be under the administrative control of the Ministry of Foreign Trade. The administration of the Zone will vest in a Board to be set up for the purpose, and its progress will be reviewed periodically by the Governing Body of the Santa Cruz Export Processing Zone Authority. The composition of the Board and of the Governing Body of the Authority will be notified from time to time.

3. Government have also decided to appoint a Development Commissioner for this Zone who will be in charge of its day to day administration. Pending the appointment of the Development Commissioner, Trade Development Authority may be requested to perform the functions of the Development Commissioner.

ORDER

ORDERED that this Resolution be published in the Gazette of India and that it be circulated to all concerned.

A. S. GILL, Jt. Secy.

MINISTRY OF STEEL & MINES

(Department of Mines)

RULES

New Delhi, the 20th January, 1973

No. A-12025/6/72-M2.—The rules for a competitive examination to be held by the Union Public Service Commission in 1973, for recruitment to temporary vacancies in the following posts in the Geological Survey of India are published for general information :—

(i) Geologist (Junior), Class I, and

(ii) Assistant Geologist Class II.

Appointments on the results of the examination will be made on a temporary basis in the first instance. The candidates will be eligible for permanent appointment in their turn as and when permanent vacancies become available.

2. The examination will be conducted by the Union Public Service Commission in the manner prescribed in Appendix I to these Rules.

The dates on which and the places at which the examination will be held shall be fixed by the Commission.

3. A candidate must be either :—

(a) a citizen of India, or

(b) a subject of Sikkim, or

(c) a subject of Nepal, or

(d) a subject of Bhutan, or

(e) a Tibetan refugee who came over to India, before the 1st January 1962, with the intention of permanently settling in India, or

(f) a person of Indian origin who has migrated from Pakistan, Burma, Sri Lanka (formerly known as Ceylon) and East African countries of Kenya, Uganda and the United Republic of Tanzania (formerly Tanganyika and Zanzibar) with the intention of permanently settling in India.

Provided that a candidate belonging to categories (c), (d), (e) and (f) above shall be a person in whose favour a certificate of eligibility has been issued by the Government of India.

A candidate in whose case a certificate of eligibility is necessary may be admitted to the examination and he may also provisionally be appointed subject to the necessary certificate being given to him by the Government.

4. No person—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to service.

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. (a) A candidate for this examination must have attained the age of 21 years and must not have attained the age of 30 years on 1st January, 1973 *i.e.* he must have been born not earlier than 2nd January 1943 and not later than 1st January, 1952.

(b) The upper age limit of 30 years will be relaxable up to 34 years in respect of candidates who hold substantively permanent posts in the Geological Survey of India or have been continuously in temporary service in that Department for at least three years on 1st January 1973.

(c) The upper age limits prescribed above will be further relaxable :—

(i) up to a maximum of five years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe;

(ii) up to a maximum of three years if a candidate is a *bona fide* displaced person from erstwhile East Pakistan and had migrated to India on or after 1st January, 1964 but before 25th March, 1971;

(iii) up to a maximum of eight years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe and is also a *bona fide* displaced person from erstwhile East Pakistan and had migrated to India on or after 1st January, 1964 but before 25th March, 1971;

(iv) up to a maximum of three years if a candidate is a resident of the Union Territory of Pondicherry and has received education through the medium of French at some stage;

(v) up to a maximum of three years if a candidate is a *bona fide* repatriate of Indian origin from Sri Lanka (formerly known as Ceylon) and has migrated to India on or after 1st November, 1964, under the Indo-Ceylon Agreement of October, 1964;

(vi) up to a maximum of eight years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe and is also a *bona fide* repatriate of Indian origin from Sri Lanka (formerly known as Ceylon) and has migrated to India on or after 1st November, 1964, under the Indo-Ceylon Agreement of October, 1964;

(vii) up to a maximum of three years if a candidate is of Indian origin and has migrated from Kenya, Uganda and the United Republic of Tanzania (formerly Tanganyika and Zanzibar);

(viii) up to a maximum of three years if a candidate is a *bona fide* repatriate of Indian origin from Burma and has migrated to India on or after 1st June, 1963;

(ix) up to a maximum of eight years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe and is also a *bona fide* repatriate of Indian origin from Burma and has migrated to India on or after 1st June, 1963.

(x) up to a maximum of three years in the case of Defence Services personnel disabled in operations during hostilities with any foreign country or in a disturbed area and released as a consequence thereof; and

(xi) up to a maximum of eight years in the case of Defence Services personnel disabled in operations during hostilities with any foreign country or in a disturbed area and released as a consequence thereof, who belong to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes.

(d) The Freedom Fighters of Goa, Daman and Diu, who were not employees of the Portuguese Government of Goa, Daman and Diu and participated in the liberation struggle and suffered as a consequence thereof, imprisonment or detention for not less than six months under former Portuguese Administration, will be permitted to appear at the examination provided, thus have not attained the age of 35 years on 1st January, 1972.

NOTE :—Candidates claiming age concession under rule 5(d) above will not be entitled to the age concession allowed under rule 5(c) above.

SAVE AS PROVIDED ABOVE THE AGE LIMITS PRESCRIBED CAN IN NO CASE BE RELAXED.

N.B.—(i) The candidature of a person who is admitted to the examination under the age concession mentioned in Rule 5(b) above, shall be cancelled, if after submitting his application, he resigns from service or his services are terminated by his department, either before or after taking the examination. He will however, continue to be eligible if he is retrenched from his post after submitting the application.

(ii) A candidate who, after submitting his application to his department is transferred to other department/office, will be eligible to compete under departmental age concession for the post(s), for which he would have been eligible, but for his transfer, provided his application duly recommended, has been forwarded by his parent Department.

6. No candidate claiming age concession as

(i) a *bona fide* displaced person from erstwhile East Pakistan who had migrated to India on or after 1st January, 1964 but before 25th March, 1971, under clause (ii) or (iii) of Rule 5(c), or

(ii) a *bona fide* repatriate of Indian origin from Sri Lanka (formerly known as Ceylon) who has migrated to India on or after 1st November, 1964, under clause (v) or (vi) of Rule 5(c), or

(iii) a *bona fide* repatriate of Indian origin from Burma who has migrated to India on or after 1st June, 1963, under clause (viii) or (ix) of Rule 5(c), or

(iv) a disabled defence services personnel disabled in operations during hostilities with any foreign country or in a disturbed area under clause (x) or (xi) of Rule 5(c),

shall be permitted under such concession to compete at the examination a larger number of times than the maximum number of chances admissible but for such age concession.

The above restriction is effective from examination held in January 1964.

NOTE 1.—For the purpose of this rule a candidate shall be deemed to have competed at the examination once for both the posts covered by the examination, if he competes for any one of the posts.

NOTE 2.—A candidate shall be deemed to have competed at the examination if he actually appears in any one or more subjects.

7. A candidate already in Government Service, whether in a permanent or temporary capacity, or as a work-charged employee other than a casual or daily-rated employee, must obtain prior permission of the Head of the Department to appear for the Examination.

8. A candidate must have—

(a) M.Sc. degree in Geology or Applied Geology from a University incorporated by an Act of the Central or State Legislature in India or other educational Institutes established by an Act of Parliament or declared to be deemed as Universities under Section 3 of the University Grants Commission Act 1956; or

(b) Diploma of Associateship in Applied Geology of the Indian School of Mines, Dhanbad.

NOTE I.—A candidate who has appeared at an examination the passing of which would render him eligible to appear at this examination, but has not been informed of the result may apply for admission to the examination. A candidate who intends to appear at such a qualifying examination may also apply, provided that the qualifying examination is completed before the commencement of this examination. Such candidates will be admitted to the examination, if otherwise eligible, but the admission would be deemed to be provisional and subject to cancellation if they do not produce proof of having passed the examination as soon as possible, and in any case not later than two months after the commencement of this examination.

NOTE II.—In exceptional cases, the Commission may treat a candidate who has not any of the qualifications prescribed in this rule, as educationally qualified provided that he has passed examinations conducted by other institutions, the standard of which in the opinion of the Commission, justifies his admission to the examination.

NOTE III.—A candidate who is otherwise eligible but who has taken a degree from a foreign University may also apply to the Commission and may be admitted to the examination at the discretion of the Commission.

9. A candidate must be in good mental and bodily health and free from any physical defect likely to interfere with the discharge of the duties of the post. A candidate who after such physical examination as Government or the appointing authority, as the case may be, may prescribe is found not to satisfy those requirements will not be appointed. Only candidates who are likely to be considered for appointment will be physically examined. Candidates will have to pay a fee of Rs. 16.00 to the Medical Board concerned at the time of the Medical examination.

NOTE.—In order to prevent disappointment candidates are advised to have themselves examined by a Government medical Officer of the standing of a Civil Surgeon before applying for admission to the examination. Particulars of the nature of the medical test to which candidates will be subjected before appointment to Gazetted posts and of the standards required are given in Appendix II. For the disabled ex-Defence Services personnel, the standards will be relaxed consistent with the requirements of the posts.

10. The decision of the Commission as to the eligibility or otherwise of a candidate for admission to the examination shall be final.

11. No candidate shall be admitted to the examination unless he holds a certificate of admission from the Commission.

12. Candidates must pay the fee prescribed in Annexure I to the Commission's Notice.

13. Any attempt on the part of a candidate to obtain support for his candidature by any means may disqualify him for admission.

14. A candidate who is or has been declared by the Commission guilty of impersonation or of submitting fabricated documents or documents which have been tampered with or of making statements which are incorrect or false or of suppressing material information or otherwise resorting to any other irregular or improper means for obtaining admission to the examination, or of using or attempting to use unfair means in the examination hall or of misbehaviour in the examination hall, may in addition to rendering himself liable to criminal prosecution.—

(a) be debarred permanently or for a specified period,—

(i) by the Commission from admission to any examination or appearance at any interview held by the Commission for selection of candidate and

(ii) by the Central Government from employment under them.

(b) be liable to disciplinary action under the appropriate rules, if he is already in service under Government

15. Reservations will be made for candidates belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes in respect of vacancies as may be fixed by the Government of India.

Scheduled Castes/Tribes mean any of the Castes/Tribes mentioned in the Constitution (Scheduled Castes) Order, 1950, the Constitution (Scheduled Castes) (Part C States) Order, 1951, the Constitution (Scheduled Tribes) Order, 1950, and the Constitution (Scheduled Tribes) (Part C States) Order 1951, as amended by the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Lists (Modification) Order, 1956 read with the Bombay Reorganisation Act, 1960 and the Punjab Reorganisation Act, 1966, the Constitution (Jammu and Kashmir), Scheduled Castes Order, 1956 the Constitution (Andaman and Nicobar Islands) Scheduled Tribes Order 1959, the Constitution (Dadra and Nagr Haveli) Scheduled Castes Order, 1962, the Constitution (Dadra and Nagar Haveli) Scheduled Tribes Order, 1962, the Constitution (Pondicherry) Scheduled Castes Order, 1964, the Constitution (Scheduled Tribes) (Uttar Pradesh) Order 1967, the Constitution (Goa, Daman and Diu) Scheduled Castes Order, 1968 the Constitution (Goa, Daman and Diu) Scheduled Tribes Order, 1968 and the Constitution (Nagaland) Scheduled Tribes Order, 1970.

16. After the examination the candidates will be arranged by the Commission in the order of merit as disclosed by the aggregate marks finally awarded to each candidate and in that order so many candidates as are found by the Commission to be qualified by the examination shall be recommended for appointment up to the number of unreserved vacancies decided to be filled on the results of the examination.

Provided that candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes may, to the extent the number of vacancies reserved for the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes cannot be filled on the basis of the general standard, be recommended by the Commission by a relaxed standard to make up the deficiency in the reserved quota, subject to the fitness of these candidates for appointment to the Services, irrespective of their ranks in the order of merit at the examination.

17. The form and manner of communication of the result of the examination to individual candidates shall be decided by the Commission in their discretion and the Commission will not enter into correspondence with them regarding the result.

18. Success in the examination confers no right to appointment, unless Government are satisfied after such enquiry as may be considered necessary, that the candidate is suitable in all respects for appointment to the post.

19. Conditions of service relating to the posts to which recruitment is being made through this examination are briefly stated in Appendix III.

V. G. NIGAM,
Deputy Secretary.

APPENDIX I

1. The subjects of the examination, the time allowed and the maximum marks for each subject will be as follows :—

Subject	Time allowed	Maximum Marks
1	2	3
A. Compulsory		
(*i*) English (including essay and *precis-writing* . . .	3 hrs.	100
(*ii*) General Knowledge and Current Affairs	2 hrs.	100
(*iii*) Geology I—		
Mineralogy, Petrology, Economic Geology, Structural Geology . . .	3 hrs.	150
(*iv*) Geology II—		
General Geology, Palaeontology, Stratigraphy, Sedimentology	3 hrs.	150
B. Optionals		
Paper I.—Any *one* of the following	3 hrs.	200
(1) Indian Stratigraphy . .		
(2) Petrology, Igneous, Sedimentary and Metamorphic		
Paper II—Any *one* of the following	3 hrs.	200
(1) Ore Genesis and Metallic and Non-Metallic Minerals.		
(2) Engineering Geology and Ground Water Geology.		
(3) Elementary Mining Methods, and recovery of metals and minerals.		
C. Additional Optionals (for Class I Posts only)		
Any *two* of the following . .	3 hrs. each	200 each
(1) Mining Geology, Ore Beneficiation and Mineral Economics.		
(2) Geology of Coal and Oil		
(3) Exploration Geophysics.		
(4) Geochemistry, Photogeology, Nuclear Geology.		
(5) Tectonics.		
(6) Advanced Stratigraphy.		
(7) Advanced Palaeontology.		

2. All papers must be answered in English.

3. Candidates must write the papers in their own hand. In no circumstances will they be allowed the help of a scribe to write answers for them.

4. The standard and syllabus of the examination will be as shown in the attached schedule.

5. The Commission have discretion to fix qualifying marks in any or all the subjects of the examination.

6. Marks will not be allotted for mere superficial knowledge.

7. Deductions up to 5 per cent of the maximum marks for the written subjects will be made for illegible handwriting.

8. Credit will be given for orderly, effective and exact expressed combined with due economy of words in all subjects of the examination.

SCHEDULE TO APPENDIX I

Standard and Syllabus

The standard of the papers in English and General Knowledge and Current Affairs will be such as may be expected of a science graduate. The papers on geological subjects will be approximately of the M.Sc. degree standard of an Indian University and questions will generally be set to test the candidates grasp of the fundamentals in each subject.

The standard of the Additional Optional Papers will require detailed knowledge as applicable to Geological problems.

There will be no practical examination in any of the subjects.

(1) English (including essay and precis-writing).

Question to test the understanding of and the power to write English. Passages will usually be set for summary or precis.

(2) General Knowledge and Current Affairs.

General Knowledge including knowledge of current events and of such matters of every day observation and experience in their scientific aspects as may be expected of an educated person who has not made a special study of any scientific subject. The paper will also include questions on History of India and Geography of a nature which candidates should be able to answer without special study.

(3) GEOLOGY I

Section I

Mineralogy.—Systematic study of minerals in regard to their crystalline forms; physical, chemical and optical properties, their chemical composition and alteration products. General principles of optics, in relation to the study of minerals under the microscope. Modes of occurrence and origin of minerals.

Section II

Petrology.—Igneous rocks and their diversity. Theories of petrogenesis—differentiation and assimilation. Mechanism of intrusion and structures. Micro-structures and textures in relation to the modes of formation of igneous rocks; their classification and nomenclature and relation in space and time.

Sedimentary rocks; their origin, classification and nomenclature; their mineralogical, textural and structural characters and their retrographic interpretations.

Metamorphism; agents and kinds of metamorphism, grades and facies of metamorphism; their characteristic features, additive and metasomatic aspects of metamorphism. Metamorphic rocks and their nomenclature.

Section III

Economic Geology.—The processes of ore genesis; different classifications of mineral deposits. Mineral paragenesis and structural relations. A study of metallic ores, fuels, non-metallic (or industrial) minerals, rare minerals, building and ornamental stones and road materials and precious and semi-precious stones in regard to their origin, occurrance, distribution and uses.

Section IV

Structural Geology.—Physical properties of rocks; stress and strain ellipsoid, deformation and mechanics of deformation Lineation and Criteria for recognizing tops and bottoms of beds to determine order of superposition; conformable and unconformable beds overlap dip strike and outcrop variation in outcrops with reference to dip of bed and slope of valleys.

Classification and description of folds, recognition of folds in the field, causes and mechanics of folding.

Classification and description of faults, effects of faults on outcrops. Criteria for recognition of faults, causes and mechanics of faulting.

Unconformities, inliers, outliers, nappes, windows and criteria for their recognition. Joints, their types and significance.

NOTE.—Candidates may be required to answer a specified number of questions from each of the above Sections.

(4) GEOLOGY II

Section I

General Geology.—The history and development of the science of geology and its different branches, the aims, methods,, and applications of geology. The earth; theories of the origin and evolution of the earth, of its interior and of its age.

Radioactivity and geology. Igneous action and its manifestations.

Atmosphere, Hydrosphere, Lithosphere, and their constituents.

Geological agents—Hypogene—Igneous activity, volcanoes, their form structure, their action, causes, results and products, and volcanic belts of the world. Earthquakes—nature, origin and effects, relationship to volcanoes and earthquake belts of the world. Seismology—Principles, instruments and records.

Epigene—heat and cold, water, wind, ice and organic agents; erosion, transportation and deposition considered with each of the agents.

Mountains, their origin and structure geosynclines, isostasy. Glaciers, rivers, and lakes; continental drift. Evolution of continents and oceanic basins.

Section II

Palaeontology.—Fossils, their nature and modes of preservation and uses. Distribution of the main groups in time. Fauna and flora in relation to the past climates and geography. Importance of the study of fossils in problems' of evolution. Study of the important genera of the invertebrate, vertebrate and plant fossils.

Section III

Stratigraphy.—Principles of classification and correlation of geological formations. Standard European geological formations, their lithological and palaeontological characters. Study of Indian stratigraphy, likewise but in greater detail, physiographic and climatic conditions of the different epochs and systems. General knowledge of the foreign equivalents of Indian formations.

Section IV

Sedimentology.—The origin of sediments, characters of deposits : Terrestrial, fluviatiles marine, lacustrine, glacial, organic etc. Influence of environment on sedimentation; different types of sedimentary environments and their characteristic features. Palaeocurrents and their significance; Flysch and Molasses. Cycles of sedimentation and denudation.

NOTE.—Candidates may be required to answer a specified number of questions from each of the above Sections.

(5) INDIAN STRATIGRAPHY

Principles of stratigraphy— lithology, fossil content, order of superposition. Geological time scale; standard European Geological formations.

Chief divisions of Indian sub-continent—their physiographic, stratigraphic and structural features, Climate, Peninsular and Extra peninsular mountain ranges, rivers and lakes, glaciers.

Structure and Tectonics of Indian sub-continent; Peninsula —Dharwar (Aravalli), Eastern Ghats, Satpura and Mahanodi strike trends and their relative ages. Extra peninsula— Himalayan arc, Burmese arc, Baluchistan arc, Origin of the Himalayas and of the Gangetic plains.

Archaean group; Distribution in the different parts of Peninsula and the correlation of the Dharwars of the different peninsular regions, Extra-peninsular Archaeans. Mineral wealth of the Archaean.

Puranas—Cuddapah system and Vindhyan system, their stratigraphy and their economic minerals.

The Palaeozoic group : Systems from Cambrain to Carboniferous, distribution, geological succession, and fauna of each.

The Gondwana group : Introduction, nomenclature, extent, Two fold division, Geological succession and details of stratigraphy, Igneous rocks, Gondwanas in other continents, structure of the Gondwana basins. Climate and sedimentation. Permo-carboniferous flora. Palaeogeography, Economic minerals of Gondwanas. Gondwana coal-fields.

The Upper Carboniferous and Permian systems in Himalayan and sub-Himalayan regions and their fauna. Upper Palaeozoic unconformity.

The Triassic and Jurassics systems of the extra peninsular region and Jurassics of Kutch; Stratigraphy an faunal characters in each.

The Cretaceous system of the extra-Peninsular region and of Narmada valley. Trichinopoly and other areas of the Peninsula. Igneous rocks and earth movements of Cretaceous

Deccan traps : Distribution and extent. Structural features. Dykes and sills. Petrology, chemical characters, alteration and weathering of traps. Lane a Beds, Inter-Trappeans and Infra-Trappeans, Age. Economic geology.

The Tertiary group : Break up of Gondwana land. Rise of the Himalayas. Facies and distribution. The Eocene, Oligocene and Lower Miocene systems, their distribution stratigraphy and fauna. Siwalik system—distribution, constitution, climatic conditions, organic remains, divisions, correlation. The Pleistocene system—Divisions, glaciation, Indo-Gangetic Alluvium. Laterite. Recent changes of level along coasts.

(6) PETROLOGY, IGNEOUS, SEDIMENTARY AND METAMORPHIC

The scope of petrology, a systematic description of the more important groups of rocks.

The application of physical chemistry to igneous petrology. The phase rule, Equilibrium in silicate systems. Two component and three component systems. Order of crystallisation and intergrowths. Structures and textures of rocks and their interpretation. The crystallization of magmas. Diversity of igneous rocks Petrographic provinces. Magma tectonics. Granitisation. Petrochemical calculations. Variation diagrams Origin of a few important rock types.

Sedimentary rocks.—Their classification and characters Sedimentary differentiation. The origin of sediments. Methods of study of sedimentary rocks. Including sampling and separation of minerals of sedimentary rock samples; methods of representation of the results of sedimentary mineral analysis, mechanical analysis of sediments. The applications of sedimentary petrography as in probence studies, palaeography structural interpretation and in industry. Sedimentary environments.

Metamorphic rocks.—The scope of metamorphism. Agents of metamorphism. Types of metamorphism. The structures of metamorphic rocks. Grades and facies, composite, hybrid and injection gneisses. Metamorphism in relation to magma and orogeny.

(7) ORE GENESIS AND METALLIC AND NON-METALLIC MINERALS

Ore Genesis.—The magma in its relation to mineral deposits; orthomagmatic deposits—pegmatitic deposits—pyrometasomatic deposits—hypothermal, mesothermal and epithermal deposits.

Secondary enrichment : Oxidation, solution and precipitation in the zone of oxidation—Oxidized deposits and gossans—secondary sulphide enrichment.

Secondary deposits.—Deposits formed by mechanical processes of transportation and concentration (detrital deposits). Deposits produced by chemical processes of concentration in bodies of surface. Water by reaction between solutions deposits formed by evaporation of bodies of surface water. Mineral deposits resulting from processes of rock decay and weathering. Deposits formed by concentration of substances contained in the surrounding rocks by means of circulating waters.

General.—The form, structure and texture of mineral deposits—ore shoots. Classification of mineral deposits—Structural control of mineral deposits—Geological thermometers—Metallogenetic epochs and provinces.

Metallic Minerals.—The study of the following with reference to origin, mode of occurrence, distribution in India and uses :

Gold—Copper—Lead—Zinc—Aluminium — Magnesium—Iron—Manganese—Chromium—Strategic Minerals of India.

Non-Metallic Minerals.—Industrial geology; Refractories—Abrasives—Ceramics and glass making materials—Fertilizers—Natural paints and Pigments—Cements—Gem minerals.

The study of the following with reference to origin, mode of occurrence, distribution in India and uses :

Mica.—Vermiculite—Asbestos—Barytes — Gypsum—Garnet—Corundum—Kyanite—Silimanite — Ochre—Graphite—Talc—Fluorspar—Beryl—Zircon

Fuels

Coal.—Origin and classification of coal—Occurrence and distribution of coal in India—Indian reserves of coal—Conservation of coal in India.

Petroleum, Natural gas and Oil shale.—Its origin and accumulation—Gas and oil traps—Classification of oil and gas reservoirs, Petroleum bearing regions of India—Searching for new gas and oil fields.

Atomic energy minerals.—Uranium and Thorium minerals.

(8) ENGINEERING GEOLOGY AND GROUNDWATER GEOLOGY

Engineering Geology.—The role of a geologist in engineering works. Engineering properties of rock—Specific gravity porosity, sorption, compressive strength, tensile strength, modulus of elasticity for rocks, modulus of compression Poisson's ratio, residual stresses, etc.

Rock deformations in nature, studies of the igneous, sedimentary and metamorphic rocks in relation to bearing strength of the foundation, resistance to sliding water-tightness, grouting requirements and weathering.

Engineering properties of soils and elements of soil mechanics. Soil profile, soil moisture, size, shape and gradation of soil particles, soil clasifications—porosity, void ratio, degree of saturation, permeability, density and unit weight of soil; liquid plastic, shrinkage and consistency limits, swelling and expansion pressures, and shearing strength.

Dams.—And their classification. Types of spillways with their parts; forces acting on the dams and their appurtenances, foundation and abutment problems and reservoir area problems; construction materials for dams Methods of exploration for dam sites.

Canal.—Investigations for canals, canal drains and canal linings; sedimentation in canals and its control.

Tunnels.—Classification and nomenclature, Geological considerations affecting choice and constructions of tunnels.

Highways.—Location and exploration for highways; materials of construction.

Bridges.—Classification abutments and piers of bridges, bridge foundation and geological considerations thereof.

Buildings.—General considerations and types of building foundations and their geological aspects. Earthquakes and aseismic design. Landslides and other crustal displacements and possibility of their prevention.

Groundwater Geology.—Sources of ground water, its occurrence, and origin. Importance of meteorology in hydrologic investigations. Hydrologic properties of water-bearing materials. The water-table and its fluctuations. Free and confined water.

Pressure surface, lowering of water table by pumping; different methods of prospecting for ground water. Drilling water-wells, their classification and construction, well records. Hydraulics of wells.

Testing wells for yields, methods and equipment used. Impurities and treatment of natural water. Use and conservation of ground water.

(9) ELEMENTARY MINING METHODS AND RECOVERY OF METALS AND MINERALS

Introduction.—Economic minerals, their distribution, sufficiency and production. A short history of mining.

Prospecting.—Surface and underground indications—geological and geophysical methods. Prospecting by trenches test pits and boreholes. Purpose of boreholes. Simple methods of percussive and rotary boring. Computation of borehole records.

Development of deposits.—Position shape and size of openings, methods of driving or sinking of adits, inclines and shafts, their temporary and permanent support. Ventilation, illumination, pumping and safety measures during shaft sinking. Sinking tools and equipment. Driving of main-haulage roads and development heading their position, shape and size. Driving of levels, cross cuts, winzes and raises.

Methods of breaking rocks use of explosives. Different types of explosives their composition and uses. Gunpowder, dynamite, gelignite, fuses, detonators and exploders. Methods of examination of blasting holes, charging them, preparing the charge. Blasting practices, precautions and difficulties.

Methods of working; open cast mining; development establishment of faces, production transportation safety precautions and protection against rain and ground water

Coal mining methods : Elementary study of board and pillar system, panel system and long-wall system of working.

Metal mining methods.—Elementary study of development of ore deposits, simple methods of stoping and ore handling in stopes. Support of excavation. Timber and steel supports. Their application for supporting shaft bottom haulage landings, main roadways, the development of galleries and production faces.

Methods of handling materials.—Haulage—Rope haulages. Haulage engines. Application of haulages on the surface and underground. Winding-Elementary study of winding engines, winding equipment and shaft fittings.

(10) MINING GEOLOGY, ORE BENEFICIATION AND MINERAL ECONOMICS.

Mining Geology.—Relation of Geology to mining industry. Field techniques of mining geology-Drilling, Examination and developing prospects, geological work at an operating mine. Laboratory methods employed in mining geology. Interpretation correlation and use of field data. Preparation of maps, models, illustrations and their uses. Writing of reports.

Prospecting : Regulations, field-equipment method of transportation, field tests and measurements; Guides—physiographic, mineralogical, stratigraphic, lithologic and structural—for location of ore deposits. Targets and loci. Methods of surface and underground prospecting including pit shaft trench sinking, bulldozing, borehole drilling, sampling and asaying methods. Fundamentals of geophysical, geochemical and geobotanical prospecting

Methods of mining, including openpit, aluvial and underground methods. Support of excavations. Elementary ideas about explosives used for rock-breaking and blasting, Transportation and hoisting. Mine drainage and pumping. Ventilation and illumination. Mine organisation, Management Safety works, Mine laws.

Mine examination, theory and methods of sampling. Salting and its safeguards. Treatment of samples, sampling calculations. Calculation of ore reserves. Determination of cost of mining, capital expenditure and amortization. Determination of present value. Estimation of the future costs and profits and the life of a mine. Valuation of a prospect. Preparation of a valuation report.

Ore-beneficiation.—Nature and scope. Relation to smelting utility. Properties of minerals in relation to their dressing. Preliminary processes of concentration, such as crushing, grinding and sizing. Preliminary washing and sorting, heavy fluid separation, jigging, tabling, flocculation and dispersion floatation and agglomeration, electrostatic and centrifugal separation amalgamation and heat treatment

methods; treatment of concentrates by dewatering, filtration, drying and thickening methods; dressing systems and plants; flow sheets of common types. Application of ore microscopy to ore beneficiation techniques.

Dressing of metallic ores.—Sulphide ores, nonsulphide ores and nativemetals—Gold, Silver, Copper, Lead, Zinc, Manganese, Tin, Titanium and Chromium.

Dressing of non-metallic ores.—Graphite barites, gypsum, steatite clays and coal. Coal washing with special emphasis on Indian conditions.

Mineral Economics.—Definition; importance of minerals in national economy, pattern of mineral relationships, geographic and political factors in mineral use, features peculiar to mineral industries, economic factors common to mineral and manufacturing industries. Demand, supply, cartels, substitutes, market speculation and production costs, changing mineral requirements; international nature and movement of mineral, trade restrictions, tariffs, quotas and embargoes, production incentives, foreign development and exploration of mineral raw materials, strategic, critical and essential minerals. National mineral policy. Mineral concession rules in India. Mineral production of important minerals in India.

Total world resources, reserves and production of important minerals, importance of steel and fuels in modern economy, impact of atomic energy on conventional fuels.

(11) GEOLOGY OF COAL AND OIL

Coal.—Varieties of coal Origin and mode of occurrence of coal. Physical characters and chemical constituents of coal. Banded constituents of coal, their characters and identification, classification and rank and grade of coal. Washing of coal and briquetting. Carbonisation. Coal petrography.

Mining of Coal.—Elementary study of coal mining methods. Structural features of coal seams. Conservation of coal. Utilisation of coal.

Methods of sampling of coal in mines and in laboratory. Ultimate and proximate analysis of coal. Determination of caking index and calculation of calorific value. Prospecting of coal and valuation of coal bearing lands.

A detailed study of the coal fields of India with particular reference to their distribution, grades, exports and imports, reserves and future prospects. Coal-bearing formations and regions of the world.

Petroleum.—Occurrence of oil and natural gas—surface and subsurface; reservoirs and petroleum pools, Geologic history, origin, migration and accumulation, Petroleum provinces. Petroleum prospecting—geological and different geo-physical methods. Features of oil drilling. Method of estimating oil recoveries as also of reserves, uses of associated products.

A detailed study of the oil-bearing regions of the Indian sub-continent with particular reference to Assam. Prospects of oilfinding in other parts of India. Distribution of oil and gas fields in the world and known oil and gas reserves.

Note.—Candidates may be required to answer two-thirds of the required number of questions from Oil Geology part and one-third from the Coal Geology part.

(12) EXPLORATION GEOPHYSICS

Fundamental principles of exploration geophysics.

Gravity Prospecting.—Factors causing variations in gravity, latitude effects. Absolute gravity measurements—the pendulum—theory and recording methods. Gravimeters—design and operating principles, types of gravimeters, calibration, levelling and photogrammatric mapping field operations—drift curve and closure, corrections and field calculations. Eotvos torsion balance—theory of torsion balance. The gradients of gravity and the curvature condition of equipotential surfaces. Gravity calculations and interpretation. The source of gravity variations gravity effects of geometrical forms; graphical and numerical computation methods; Depth estimation; Relation of gravity anomalies to geologic structure.

Magnetic Prospecting.—History of magnetic prospecting, theory of earth inductor, dipneedle and Hotchkiss superdip. Field variometers—their description, theory, calibration. Field operation, corrections and reduction of field data. Magnetic surveys quantities measured by vertical and horizontal magmetometers.

Magnetic anomalies and interpretation.—Source of magnetic variations, magnetic interpretation; the relation between magnetic and gravitational effects. Relation between vertical magnetic and curvature effects for irregular forms; magnetic effects of buried well casing; applications of magnetic prospecting; depth estimation. Illustration of magnetic surveys.

Airborne magnetometer.—Instrumentation, operating procedures; interpretation of aeromagnetic data; advantages and limitations of aeromagnetic surveying, results of some typical aeromagnetic surveys.

Electrical Prospecting.—Classification of methods. Spontaneous polarisation method, operational principle, field equipment, measurement and interpretation; results of field work.

Equipotential line methods.—Introduction; layout of Survey; relative merits of A.C. & D.C., point and linear electrode system, interpretation of results.

A.C. potential ratio method.—Field operations; ploting and interpretation of results; application of ratio-meter to comparison of magnetic fields; the two coil system of balancing; theoretical considerations.

Resistivity methods.—Operating principles; fundamental derivations of current flow; larger problems, electrode configurations; depth estimation near surface inhomogeneities, Analysis of resistivity data; Field procedure and equipment; examples of field work.

Electromagnetic methods.—Physical principles; measurement of magnetic fields; conductive equipment for energising the ground; magnetic measuring equipment. Inductive measurements search coils; directional properties, inductive equipment; horizontal and vertical loop methods—apparatus operation, field procedure and plotting and interpretation of results.

Absorption of electromagnetic waves.—Phase of secondary field elliptical polarisation. Compounding of elliptical fields; field of horizontal loop; use of double coils when secondary fields of great magnitude are obtained.

Seismic Prospecing.—Methods of seismic prospecting—(a) General considerations (source of energy, energy transmission periods, transmission of shot instant) (b) Fan shooting method; (c) Refraction method, travel times on single and multiple horizontal and inclined contacts; (d) Reflection method. Instruments, travel times average velocity, calculation and interpretation. Reduction of seismic observations; weathering corrections.

Elementary theory, description and calibration of seismographs time marking; recording equipment; magnetic tape recording equipment for seismic prospecting. Seismic field operations; the detector spread; multiple and pattern shooting. Shot hole drilling; explosives—various types used, electrical firing circuits, care in handling explosives, safety regulations. Surface velocities marking seismograph records; mapping the results; interpretation of results; limitations of seismograph mapping.

Radioactive Prospecting and Well-Logging Methods.—Radioactive methods; Methods of radioactive prospecting; *portable radiation meters and scientillometers*, Radiometric surveys. Airborne surveys. Applications of radio-active methods.

Electrical logging; Resistivity and self potential measurements, electrode configurations; electrofiltration; electrochemical interpretation. Instrumentation.

Temperature measurement in bore-holes, gradients; water and cement logging.

Radioactivity well-logging, theory; instrumentation; interpretation; typical response curves; effect of casing. Neutron logging. Comparison of radioactivity and electrical logs. application, and field examples.

(13) GEOCHEMISTRY, PHOTOGEOLOGY AND NUCLEAR GEOLOGY

Geochemistry.—Scope of Geochemistry; age, origin and composition of the universe; composition of meteorities, cosmic abundance of elements, origin of elements; structure and composition of the earth, primary geochemical differentiation of the earth, geochemical classification of the elements.

Principles of crystal structure, different classes of bonds, ionic radius, coordination number, structure of silicates isomorphism atomic substitution and polymorphism.

Magmatism and igneous rocks, crystallisation of a magma, Goldchmidts' rules of camouflage, capture and admittance, minor elements in magnetic crystallisation, residual solutions and pegmatites, volarne components of a magina, magmatism and ore deposition.

Geochemistry of sedimentation, Goldich's stability series, Physico-Chemical factors in sedimentation, ionic potential, hydrogenion concentration, oxidation—reduction potential, colloidal processes, products of sedimentation.

Metamorphism as a geochemical process, mineral transformations and the facies principles, ultrametamorphism.
The geochemical cycle.

Geochemistry of Li, Na, K. Rb, Cu, Ag. Au. Be, Mg, Ca, Sr, Ba, Zn, Cd, Hg. Al, Se, rare earths, Ga, In, C, Si, Ge, Sn, Pb, Ti, Zr, Hf, Th, N, P, As, Sb, Bi, V, S, Cr, Mo; W, U, F, Mn, Fe, Co and Ni.

Elementary principles of geochemical prospecting.

Photogeology.—Photo reading and interpretation; instrumentation and measurements study of mosaics, interpretation of physiography, stratigraphy and structure; use of aerial photographs in geological mapping; interpretation of aerial photographs in petroleum geology, mining geology, engineering geology and hydrological studies.

Nuclear Geology.—Radio Activity ; α β and T rays, their properties; qualitative discussion on the decay theories, Artificial radioactivity, nuclear accelerators, nuclear reactions, nuclear energy and its peaceful uses.

Detailed study of the minerals of Uranium, Thorium, Beryllium and the rare earths with reference to their composition, properties, origin, mode of occurrence, distribution, political control, prospecting (the Geiger Counter and its applications), uses, tests, prices and market.

Portable radiation meters and scientillometers. Radiometric surveys. Applications of radioactive methods.

(14) TECTONICS

The origin of continents and oceans. Palaeogeographic conditions during each of the chief epochs of the earth's history. Earth movements, epeirogeny and mountain-building and their influence on sedimentation. Alone and Himalayan Orogenies and latest developments on tectonic appreach to continental drift. Geological Cycles, Structural units of the earth's crust. A detailed study of the structural and tectonic history of India.

(15) ADVANCED STRATIGRAPHY

The principles of stratigraphy, Geological record and its imperfections. Sea-level and eustatic movements. The classification of rocks by age. Lithology. The use of fossils in correlation. Homotaxis and contemporaneity. Climatic variations. The distribtuion of animals and plants. The permanence of oceans and continents. The stratigraphical units. The orogenetic succession.

The Primeval era—Indian Pre-paleozoic.—The Dharwar system. Purana group. Lewisians, Moinians. Dalradians of British Isles. Laurentian, Huronian and Keweenawan systems of Canada. Equivalents in Africa, Australia and the United States.

The Palaeozoic era.—General succession and fauna in each of the systems of the era, namely Cambrian, Ordovilian, Silurian, Devonian, Carboniferous and Permian, along with the distribution of rocks of each of these systems in the world. Flora of the Devonian. The Old Red Sandstone—the terrestrial representative of this period. The Devonian Tectonic. The flora of the Carboniferous. The Gondwana land comprising India. Australia, Africa, and Eastern South America and its rock formations for Carboniferous and later periods with their flora.

The Mesozoic era.—The distribution of the Triassic, Jurassic and Cretaceous systems in the world and the 'life' in each.

The Cainozoic group—General features. Succession and fauna and flora in each of its systems—Eocene, Oigocene, Miocene, Pliocene and Pleistocene. Glaciations, and their correlation.

Interglacial deposits.—A study of the distribution of land and sea in each of the different geological periods of the earth's history.

Orogeny.—Main European orogenic systems—Caledonian, Hercynian (or Variscan) and Alpine, and their divisions into epochs—Their American and other equivalents.

(16) ADVANCED PALAEONTOLOGY

Palaeontology.—Definition, the organic world, the animal kingdom, classification of animals, their habitats and habits. Definition of fossil, Nature of fossil record—uses of fossils.

Invertebrate Palaeontology

Protozoa.—Introduction, classes and orders, Foraminifera and Radiolaria—nature of the organism growth and reproduction and types of tests and their formation; classification and geological history.

Porifera.—Introduction, nature of the animal—Fossilisation classification and geological history and distribution.

Coelenterata.—Introduction, classification—Hydrozoa, Stromatoporoidea. Scyphozoa and Anthozoa and its sub-classes; Coelenterata as rock builders and their geologic history and evolution.

Bryozoa.—General characteristics and morphology, Geologic history and evolution

Brachiopoda.—Introduction—the animal, Ontogeny, the Shell—its general morphology, external and internal morphology of the valves, composition and structures of the shell, classification, geologic history. Nature and stratigraphic use of fosil brachiopoda.

Mollusca.—The animal, the shell, its development, modification in its shape, structure and compositions; Hingeline structures, dentition, classification, Lamellibranchia—animal, shell classification evolution and geologic history. Gastropoda—General consideration, morphology of soft parts, the shell and classification. Nature of fossil gastropoda. Cepholopoda—Nautilus. Architecture and structure of cephalopoda shells; classifications—Nautiloidea. Ammonoidea; Geologic history of cephalopoda. Ontogeny, stratigraphic range, nature of fossil record of the cephalopoda. Geologic history of the Mollusca.

Arthopoda.—Classes. Crustacea and Archnoidea. Trilobita; morphology and exoskeleton, classification, ontogeny and phylogeny, fossil record and stratigraphic range. Insecta; geologic history, evolution and origin of the Arthopoda.

Echinoderma; Morphology, the skeleton and classification. Cystoidea, Crinoidea—Morphology and skeleton. Echinoidea; Soft Parts, the test, ecology, stratigraphic range and geologic history, Holothuroidea, phylogeny of the echinoderma.

Hemichordata :

Graptolithina.—Nature of the skeleton, classification colonial development, geologic history and biologic affinities.

Vertebrate Palaeontology

Animals with backbones.—The sequence of vertebrates through geologic time; classification.

Jawless vertebrates.—The ostracoderms, and their evolutionary position. Placoderms.

Fishes.—Bony fishes, air breathing fishes, lung fishes. Appearance of the amphibians—labyrinthodonts.

Distribution of the early vertebrate—bearing sediments. Reptiles, their classification. Dinosaurs. Flying reptiles and Birds. Mesozoic era and its varied faunas.

Mammals.—Marsupials. Placentals. Evolution of the Primates, Carnivores Ungulates, Perissodactyls. Artiodactyls, elephants and their kin. Evolution of Horse; mankind.

Palaeobotany.—Elementary principles.—A study of the flora of the past geological periods with particular reference to the Gondwanas of India.

APPENDIX II

REGULATIONS RELATING TO THE PHYSICAL EXAMINATION OF CANDIDATES

These regulations are published for the convenience of candidates and in order to enable them to ascertain the probability of their coming up to the required physical standard. The regulations are also intended to provide guide lines to the medical examiners and a candidate who does not satisfy the minimum requirements prescribed in the regulations cannot be declared fit by the medical examiners. However, while holding that a candidate is not fit according to the norms laid down in these regulations, it would be permissible for a Medical Board to recommend to the Government of Indian for reasons specifically recorded in writing that he may be admitted to service without disadvantage to Government.

2. It should, however, be clearly understood that the Government of India reserve to themselves, absolute discretion to reject or accept any candidate after considering the report of the Medical Board. For the disabled ex-Defence Services Personnel, the standards will be relaxed consistent with the requirements of the posts].

1. To be passed as fit for appointment a candidate must be in good mental and bodily health and free from any physical defect likely to interefere with the efficient performance of the duties of his appointment.

2. In the matter of the correlation of age, height and chest girth of candidates of Indian (including Anglo-Indian) race, it is left to the Medical Board to use whatever correlation figures are considered most suitable as a guide in the examination of the candidates, if there be any disproportion with regard to height, weight, and chest girth, the candidate should be hospitalised for investigation and X-Ray of the chest taken before the candidate is declared fit or not fit by the Board.

3. The candidate's height will be measured as follows :—

He will remove his shoes and be placed against the standard with his feet together and the weight thrown on the heels and not on the toes or other sides of the feet. He will stand erect without rigidity and with the heels, calves, buttocks and shoulders touching the standard; the chin will be depressed to bring the vertex of the head-level under the horizontal bar, and the height will be recorded in centimetres and parts of a centimatre to halves.

4. The candidate's chest will be measured as follows :—

He will be made to stand erect with his feet together, and to raise his arms over his head. The tape will be so adjusted round the chest that its upper edge touches the inferior angles of the shoulder blades behind and lies in the same horizontal plane when the tape is taken round the chest. The arms will then be lowered to hand loosely by the side and care will be taken that the shoulders are not thrown upwards or backwards so as to displace the tape. The candidate will then be directed to take a deep inspiration several times and the maximum expansion of the chest will be carefully noted and the minimum and maximum will then be recorded in centimeters thus 84-89, 86-93.5 etc. In recording the measurement fractions of less than half a centimetre should not be noted.

N.B.—The height and chest of the candidate should be measured twice before coming to a final decision.

5. The candidate will also be weighed and his weight recorded in Kilograms; fraction of half a Kilogram should not be noted.

6. The candidate's eye-sight will be tested in accordance with following rules. The result of each test will be recorded.

(i) *General.*—The candidate's eyes will be submitted to a general examination directed to the detection of any disease or abnormally. The candidate will be rejected if he suffers from any squint or morbid conditions of eyes, eyelids or contiguous structures of such a sort as to render or are likely at a future date to render him unfit for service.

(ii) *Visual Acuity.*—The examination for determining the acuteness of vision includes two tests, one for the distant, the other for near vision. Each eye will be examined separately.

There shall be no limit for minimum naked eye vision but the naked eye vision of the candidate shall, however, be recorded by the Medical Board or other medical authority in every case as it will furnish the basic information in regard to the condition of the eye.

The standards for distant and near vision with or without glasses shall be as follows :—

Distant Vision		*Near Vision*	
Better eye	Worse eye	Better eye	Worse eye
6/9 or 6/6	6/9 or 6/12	0·6	0·8

NOTE (1).—Total amount of Myopia (including the cylinder) shall not exceed—4·00D. Total amount of Hypermetropia (including the cylinder) shall not exceed +4.00D.

NOTE (2).—*Fundus Examination* : Wherever possible fundus examination will be carried out at the discretion of the Medical Board and results recorded.

NOTE (3).—*Colour vision* : (i) The testing of colour vision shall be essential.

(ii) Colour perception should be graded into a higher and a lower grade depending upon the size of the aperture in the lantern as described in the table below :—

Grade	Higher Grade of Colour perception	Lower Grade of Colour perception
1. Distance between the lamp and candidate	4·9 metres	4.9 metres
2. Size of aperture . . .	1·3 mm.	13 mm.
3. Time of Exposure . . .	5 sec.	5 sec.

For the services concerned with safety of the Public, *e.g.*, pilots, drivers, guards, etc., the higher grade of colour vision is essential but for others the lower gade of colour vision should be considered sufficient. The same standards of colour vision should be applicable in respect of all engineering personnel in whose case colour perception is considered essential irrespective of the fact whether their duties involve field work or not

(iii) Satisfactory colour vision constitutes recognition with ease and without hesitation of signal red, signal green and white colours. The use of Ishihara's plates, shown in good light and a suitable lantern like Edrige Greens shall be considered quite dependable for testing colour vision. While either of the two tests may ordinarily be considered sufficient, in respect of the services concerned with road, rail and air traffic, it is essential to carry out the lantern test. In doubtful cases where a candidate fails to qualify when tested by only one of the two tests, both the tests should be employed.

NOTE (4).—*Field of vision.*—The field of vision shall be tested by the confrontation method. Where such test gives unsatisfactory or doubtful results the field of vision should be determined on the perimeter.

NOTE (5).—*Night Blindness.*—Night Blindness need not be tested as a routine, but only in special cases. No standard test for the testing of night blindness or dark adaptation is prescribed. The Medical Board should be given the discretion to improvise such rough tests, *e.g.*, recording of visual acuity with reduced illumination or by making the candidate recognise various objects in a darkened room after he/she has been there for 20 to 30 minutes. Candidates' own statements shouud not always be relied upon, but they should be given due consideration.

NOTE (6).—(a) *Ocular conditions other than visual acuity.* —Any organic disease or a progressive refractive error which is likely to result in lowering the visual acuity should be considered as a disqualification.

(b) *Trachoma.*—Trachoma unless complicated shall not ordinarily be a cause for disqualification.

(c) *Squint.*—Where the presence of binocular vision is essential squint, even if the visual acuity is of a prescribed standard should be considered as a disqualification.

(d) *One-eyed persons.*—The employment of one-eyed individuals is not recommended.

7. *Bood Pressure*

The Board will use its discretion regarding Blood Pressure. A rough method of calculating normal maximum systolic pressure is as follows :—

(i) With young subjects 15—25 years of age the average is about 100 plus the age.

(ii) With subjects over 25 years of age the general rule of 110 plus half the age seems quite satisfactory.

N.B.—As a general rule any systolic pressure over 140 mm and diastolic over 90 mm should be regarded as suspicious and the candidate should be hospitalised by the Board before giving their final opinion regarding the candidate's fitness or otherwise. The hospitalisation report should indicate whether the rise in blood pressure is of a transient nature due to excitement etc., or whether it is due to any organic disease. In all such cases X-Ray and electro-cardiographic examinations of heart and blood urea clearance test should also be done as a routine. The final decision as to the fitness or otherwise of a candidate will, however, rest with the Medical Board only.

Method of taking Blood Pressure

The mercury manometer type of instrument should be used as a rule. The measurement should not be taken within fifteen minutes of any exercise or excitement. Provided the patient and particularly his arm is relaxed, he may be either lying or sitting. The arm is supported comfortably at the patient's side in a more or less horizontal position. The arm should be freed from clothes to the shoulder. The cuff, completely deflated, should be applied with the middle of the rubber over the inner side of the arm and its lower edge an inch or two above the bend of the elbow. The following turns of cloth bandage should spread evenly over the bag to avoid bulging during inflation.

The brachial artery is located by palpitation at the bend of the elbow and the stethoscope is then applied lightly and centrally over it below, but not in contact with the cuff. The cuff is inflated to about 200 b.m. Hg. and then slowly deflated. The level at which the column stands when soft successive sounds are heard represents the systolic Pressure. When more air is allowed to escape the sounds will be hard to increase in intensity. The level at which the well-heard clear sounds change to soft muffled fading sounds represents the diastolic pressure. The measurement should be taken in a fairly brief period of time as prolonged pressure of the cuff is irritating to the patient and will vitiate the readings. Rechecking if necessary, should be done only a few minutes after complete deflation of the cuff. (Sometimes, as the cuff is deflated sounds are heard at a certain level; they may disappear as pressure falls and reappear at still lower level. This silent Gap may cause error in reading).

8. The urine (passed in the presence of the examiner) should be examined and the result recorded. Where a Medical Board finds sugar present in a candidate's urine by the usual chemical tests, the Board will proceed with the examination with all its other aspects and will also specially note any signs or smyptoms suggestive of diabetes. If except for the glycosuria, the Board finds the candidate conforms to the standard of medical fitness required they may pass the candidate 'fit subject to the glycosuria being non-diabetic" and the board will refer the case to a specified specialist in Medicine who has hospital and laboratory facilities at his disposal. The Medical specialist will carry out whatever examination clinical and laboratory he considers necessary including a standard blood sugar tolerance test, and, will submit his opinion to the Medical Board, upon which the Medical Board will base its final opinion "fit" or "unfit". The candidate will not be required to appear in person before the Board on the second occasion. To exclude the effects of medication it may be necessary to retain a candidate for several days in hospital, under strict supervision.

9. A woman candidate who as a result of test is found to be pregnant of 12 weeks standing or over, should be declared temporarily unfit until the confinement is over. She should be re-examined for a fitness certificate six weeks after the date of confinement subject to the production of a medical certificate of fitness from a registered medical practitioner.

10. The following additional points should be observed :—

(a) that the candidate's hearing in each ear is good and that there is no sign of disease of the ear. In case it is defective the candidate should be got examined by the ear specialist : provided that if the defect in hearing is remediable by operation or by use of a hearing aid, a candidate cannot be declared unfit on that account provided he/she has no progressive disease in the ear. The following are the guidelines for the medical examining authority in this regard :—

(1) Marked or total deafness in one ear, other ear being normal.	Fit for non-technical jobs if the deafness is upto 30 decibel in higher frequency.
(2) Perceptive deafness in both ears in which some improvement is possible by a hearing aid.	Fit in respect of both technical and non-technical jobs if the deafness is upto 30 Decibel in speech frequencies of 1000 to 4000.
(3) Perforation of tympanic membrane of Central or marginal type.	(i) One ear normal other ear perforation of tympanic membrane present Temporarily unfit. Under improved conditions of Ear Surgery a candidate with marginal or other perforation in both ears should be given a chance by declaring him temporarily unfit and then he may be considered under 4 (ii) below.
	(ii) Marginal or attic perforation in both ears—Unfit.
	(iii) Cetral perforation both ears—Temporarily unfit.
(4) Ears with mastoid cavity subnormal hearing on one side/ on both sides.	(i) Either ear normal hearing other ear Mastoid cavity—Fit for both technical and non-technical jobs.
	(ii) Mastoid cavity of both sides. Unfit for technical job. Fit for non-technical jobs if hearing improves to 30 Decibles in either ear with or without hearing aid.
(5) Persistently discharging ear-operated/unoperated.	Temporarily Unfit for both technical and non-technical jobs.

(6) Chronic inflammatory/allergic conditions of nose with or without bony deformities of nasal septum.	(i) A decision will be taken as per circumstances of individual cases. (ii) If deviated nasal Septum is present with symptoms — Temporarily unfit.
(7) Chronic inflammatory conditions of tonsils and/or Larynx.	(i) Chronic inflammatory conditions of tonsils and/or Larynx—Fit. (ii) Hoarseness of voice of severe degree if present then—Temporarily unfit.
(8) Benign or locally malignant tumours of the E.N.T.	(i) Benign tumours—Temporarily unfit. (ii) Malignant Tumours—Unfit.
(9) Otosclerosis.	If the hearing is within 30 Decibels after operation or with the help of hearing aid—Fit.
(10) Congenital defects of ear, nose or throat.	(i) If not interfering with functions—Fit. (ii) Stuttering of severe degree—Unfit.
(11) Nasal Poly.	Temporarily Unfit.

(b) that his speech is without impediment;

(c) that his teeth are in good order and that he/she is provided with dentures where necessary for effective mastication (well filled teeth will be considered as sound);

(d) that the chest is well formed and his chest expansion sufficient; and that his heart and lungs are sound;

(e) that there is no evidence of any abdominal disease;

(f) that he is not ruptured;

(g) that he does not suffer from hydrocele, severe degree of varicocele, varicose veins or piles;

(h) that his limbs, hands, and feet are well formed and developed and that there is free and perfect motion of all his joints;

(i) that he does not suffer from any inveterate skin disease;

(j) that there is no congenital malformation or defect;

(k) that he does not bear traces of acute or chronic disease pointing to an impaired constitution;

(l) that he bears marks of efficient vaccination; and

(m) that he is free from communicable disease.

11. Radiographic examination of the chest should be done as a routine in all cases for detecting any abnormality of the heart and lungs, which may not be apparent by ordinary physical examination.

When any defect is found it must be noted in the Certificate and the medical examiner should state his opinion whether or not it is likely to interfere with the efficient performance of the duties which will be required of the candidate.

NOTE.—Candidates are warned that there is no right of appeal from a Medical Board, special or standing, appointed to determine their fitness for the above posts. If, however, Government are satisfied on the evidence produced before them of the possibility of an error of judgement in the decision of the first Board, it is open to Government to allow an appeal to a second Board. Such evidence should be submitted within one month of the date of the communication in which the decision of the first Medical Board is communicated to the candidate otherwise no request for an appeal to a second Medical Board will be considered.

If any medical certificate is produced by a candidate as a piece of evidence about the possibility of an error of judgement in the decision of the first Board, the certificate will not be taken into consideration unless it contains a note by the medical practitioner concerned to the effect that it has been given in full knowledge of the fact that the candidate has already been rejected as unfit for service by the Medical Board.

Medical Board's Report

The following intimation is made for the guidance of the Medical Examiner.

The standard of physical fitness to be adopted should make due allowance for the age and length of service, if any, of the candidate concerned.

No person will be deemed qualified for admission to the public service who shall not satisfy Government, or the appointing authority, as the case may be, that he has no disease constitutional affection, or bodily infirmity unfitting him, or likely to unfit him for that service.

It should be understood that the question of fitness involves future as well as the present and that one of the main objects of medical examination is to secure continuous effective service, and in the case of candidates for permanent appointment to prevent early pension or payments in case of premature death. It is at the same time to be noted that the question is one of the likelihood of continuous effective service, and that rejection of a candidate need not be advised on account of the presence of a defect which in only a small proportion of cases is found to interfere with continuous effective service.

A lady doctor will be coopted as a member of the Medical Board whenever a woman candidate is to be examined.

Candidates appointed to the posts of Geologists (Jr.) and Assistant Geologists are liable for field service in or out of India. In the case of such a candidate, the Medical Board should specifically record their opinion as to his fitness or otherwise for field service.

The report of the Medical Board should be treated as confidential.

In case where a candidate is declared unfit for appointment in the Government service, the grounds for rejection may be communicated to the candidate in broad terms without giving minute details regarding the defects pointed out by the Medical Board.

In cases where a Medical Board considers that a minor disability disqualifying a candidate for Government service can be cured by treatment (medical or surgical) a statement to that effect should be recorded by the Medical Board.

There is no objection to a candidate being informed of the Board's opinion to this effect by the appointing authority and when a cure has been effected it will be open to the authority concerned to ask for another Medical Board.

In the case of candidates who are to be declared 'Temporarily Unfit' the period specified for re-examination *should not ordinarily exceed six months at the maximum.* On re-examination after the specified period these candidates, should not be declared temporarily unfit for a further period but a final decision in regard to their fitness for appointment or otherwise should be given.

(a) Candidate's statement and declaration

The candidate must make the statement required below prior to his Medical Examination and must sign the Declaration appended thereto. His attention is specially directed to the Warning contained in the Note below :—

1. State your name in full (in block letters) .....

2. State your age and birth place .....
.....

2. (*a*) Do you belong to races such as Gorkhas, Garhwalis Assamese. Nagaland Tribes etc. whose average height is distinctly lower. Answer 'Yes' or 'No' and if the answer is 'Yes' state the name of the race. .. ..

3. (*a*) Have you ever had small-pox, intermittent or any other fever, enlargement or suppuration of glands, spitting of blood, asthma, heart disease, lung disease, fainting attacks, rheumatism, appendicitis ?

(*b*) any other disease or accident requiring confinement to bed and medical or surgical treatment ?

4. When were you last vaccinated ?

5. Have you suffered from any form of nervousness due to over work or any other cause ?

6. Furnish the following particulars concerning your family.

Father's age, if living, and state of health.	Father's age at death and cause of death	No. of brothers living, their ages and state of health	No. of brothers dead, their ages at and cause of death

Mother's age, if living and state of health.	Mother's age at death and cause of death	No. of sisters living their ages and state of health	No. of sisters dead, their ages at and cause of death

7. Have you been examined by a Medical Board before?

8. If answer to the above is 'Yes' please state what Services/posts you were examined for?.....

9. Who was the examining authority?.....

10. When and where was the Medical Board held?.....

11. Results of the Medical Boards' examination, if communicated to you or if known.....

I declare all the above answers to be, to the best of my belief, true and correct.

Candidates Signature.....

Signed in my presence.
Signature of Chairman of the Board.

NOTE :—The candidate will be held responsible for the accuracy of the above statement. By wilfully suppressing any information he will incur the risk of losing the appointment and, if appointed, of forfeiting all claims to superannuation Allowance or Gratuity.

(b) Report of the Medical Board on (Name of candidate) physical examination.

1. General development : Good ..... Fair ..... Poor .....

Nutrition : Thin ..... Average ..... Obese.....

Height (without shoes) ..... Weight .....

Best weight ..... When ? .....

Any recent change in weight .....

Temperature .....

Girth of Chest :—

(1) (After full inspiration).....

(2) (After full expiration) .....

2. Skin : an obvious disease.....

3. Eyes .....

(1) Any disease .....

(2) Night blindness .....

(3) Defect in colour vision .....

(4) Field of Vision .....

(5) Fundus Examination .....

(6) Visual Acuity.....

(7) Ability for stereoscopic fusion .....

Acuity of vision	Naked eye	With glasses	Strength of glasses
			Sph. Cyl. Axis
Distant Vision RE LE			
Near Vision RE LE			
Hypermetropia (Manifest) RE LE			

4. Ears : Inspection ..... Hearing : Right Ear .... Left Ear .....

5. Glands .....Thyroid

6. Condition of teeth .....

7. Respiratory system : Does physica examination reveal anything abnormal in the respiratory organs?

If yes, explain fully .....

8. Circulatory System :

(a) Heart any organic lesions ? .....

Rate : Standing.....after hopping 25 times ..... 2 minute after hopping .....

(b) Blood Pressure : Systolic.....Diastolic .....

Abdomen : Girth .....

Tenderness .....

Hernia .....

(a) Palpable Liver ..... Spleen .....

Kidneys Tumours

(b) Haemorrhoids ..... Fistula

10. Nervous System : Indications of nervous or mental disabilities.....

11. Loco-Motor System : Any abnormality .....
.....

12. Gentito Urinary System : Any evidence of Hydrocele, Varicocele, etc.

Urine Analysis :

(a) Physical appearance.....

(b) Sp. Gr. .....

(c) Albumen.....

(d) Sugar .....

(e) Casts .....

(f) Cells.....

13. Report of X-Ray Examination of Chest.....
.....

14. Is there anything in the health of the candidate likely to render him unfit for the efficient discharge of his duties in the service for which he is a candidate ?.....

NOTE.—In case of a female candidate, if it is found that she is pregnant of 12 weeks standing or over, she should be declared temporarily unfit, *vide* regulation 9.

.....

.....

15. (a) For which services has the candidate been examined and found in all respects qualified for the efficient and continuous discharge of his duties and for which of them is he considered unfit?

.....

.....

(b) Is the candidate fit for FIELD SERVICE?

.....

NOTE.—The Board should record their findings under one of the following three categories :

(i) Fit

(i) Unfit on account of .....

(iii) Temporarily unfit on account of .....

.....

.....

President.....

Member .....

Place .....

Date.....

APPENDIX III

Brief particulars relating to the posts for which recruitment is being made through this examination.

1. Geologist (Junior) Class-I—

(a) Candidates selected for appointment will be appointed on probation for a period of two years, which may be extended, if necessary.

(b) Prescribed scales of pay in the Geological Survey of India :—

(i) Geologist (Jr. Scale) Rs. 400—40—800—50—950.

(ii) Geologist (Sr. Scale) Rs. 700—50—1,250.

(iii) Director—Rs. 1,300—60—1,600.

(iv) Director (Selection grade)—Rs. 1,600—100—1,800.

(v) Deputy Director General—Rs. 1,800—100—2,000.

(vi) Director-General—Rs. 2,250—125—2,500.

(c) Promotions to the higher grades of posts in the Department will be made in accordance with the recruitment rules subject to such modifications as may be made by Government from time to time.

(d) Conditions of service and leave and pension are those described in the Fundamental Rules and Civil Service Regulations respectively, subject to such modifications as may be made by Government from time to time.

(e) Conditions of Provident Fund are those laid down in the General Provident Fund (Central Services) Rules, subject to such modifications as may be made by Government from time to time.

(f) All officers of Geological Survey of India are liable for service in any part of India or outside India.

2. Assistant Geologist Class II—

(a) Candidates selected for appointment, will be appointed on probation for a period of two years which may be extended, if necessary.

(b) Prescribed scale of pay : Rs. 350—25—500—30—590—EB—30—800—EB—30—830—35—900.

(c) Recruitment to the Cadre of Geologist (Class I—Junior Scale) will be made partly through the Union Public Service Commission competitive examination, and partly through DPC by promotion from the next lower grade of Assistant Geologist of the Geological Survey of India in accordance with the recruitment rules subject to such modifications as may be made by Government from time to time.

(d) Conditions of service and leave and pension are those described in the Fundamental Rules and Civil Service Regulations respectively subject to such modifications as may be made by Government from time to time.

(e) Conditions of Provident Fund are those laid down in General Provident Fund (Central Services) Rules subject to such modifications as may be made by Government from time to time.

(f) Assistant Geologists are liable for service anywhere in India or outside India.

DEPARTMENT OF SCIENCE & TECHNOLOGY

New Delhi, the 11th December 1972

RESOLUTION

No. DST/8/1/72-JRC.—In pursuance of the decision to review the organisational and procedural set-up of the Botanical Survey of India and Zoological Survey of India, the Government of India have decided to set up a Joint Reviewing Committee consisting of the non-officials and officials. The Composition of the Committee will be as follows :—

Chairman

1. Prof. T. S. Sadasivan,
Director,
Centre for Advance Studies in Botany,
University of Madras,
Madras.

Members

1. Dr. D. D. Pant,
Botany Department,
Allahabad University,
Allahabad.

2. Dr. P. N. Mehra,
Professor of Botany,
Punjab University,
Chandigarh.

3. Prof. M. R. N. Prasad,
Zoology Department,
Delhi University,
Delhi.

4. Prof. Sibtosh Mukherji,
Jawahar Lal Nehru University,
New Delhi.

5. Shri S. Santhanam,
Dy. Financial Adviser,
Ministry of Finance,
New Delhi.

6. Shri K. M. Agarwala,
Officer on Special Duty,
Department of Science & Technology,
New Delhi (*Member-Secretary*)

2. The terms of reference of the Committee will be :—

(i) to redefine the objectives of the Botanical Survey of India and Zoological Survey of India in the light of present and future needs of the country and to review the organisational and functional set-up of the Botanical Survey of India and Zoological Survey of India and make recommendations for their effective and purposeful functioning;

(ii) to study the administrative and financial set-up and procedures and suggest modifications including delegation of powers to improve the efficiency in output for obtaining optimum results.

(iii) to recommend (a) the areas of research in Botany & Zoology and allied disciplines that should be carried out in the Botanical Survey of India and Zoological Survey of India having particular regard to the extent of coordination that should exist between these two Surveys other relevant institutions, (b) the magnitude of investment necessary to achieve the desired results within a well-defined time frame, and (c) the priorities among the tasks needed to be performed.

3. The Committee will be free to consult any individual or organisation that it may deem desirable to consult.

4. The Committee will meet as often as considered necessary. The Headquarters of the Committee will be at New Delhi but it may visit such places in India as considered necessary for a proper and comprehensive study of various aspects of the Botanical & Zoological Survey of India.

5. The Committee will evolve its own procedure.

6. The non-official members of the Joint Reviewing Committee will be paid TA/DA for attending meetings etc. of the Committee at the prescribed rates in terms of Ministry of Finance (Deptt. of Expenditure) O.M. No. 6(26)/E. IV/59 dated 5th September, 1960 as amended from time to time.

7. The Committee will submit its report as soon as possible but not later than 4 months from the date of its constitution.

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be forwarded to the Chairman and all the Members of the Joint Reviewing Committee, the Prime Minister's Secretariat and all Ministries.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

A. J. KIDWAI, Secy.

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Agriculture)

New Delhi, the 28th December 1972

RESOLUTION

No. 15-5/69-CA.I.—The Government of India have decided that Director (Horticulture) in the Department of Agriculture, shall be the Member-Secretary of the Horticulture Development Council, in place of Deputy Commissioner (Horticulture)—Department of Agriculture, as laid down in Resolution No. 16-1/69-CA.II dated the 7th June, 1969, constituting the Council.

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be communicated to all State Governments, Administrations of Union Territories and the Departments of the Ministries of the Government of India, Planning Commission, Cabinet Secretariat, Prime Minister's Secretariat, Lok Sabha Secretariat, and Rajya Sabha Secretariat.

2. ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

T. P. SINGH, Secy.

MINISTRY OF EDUCATION & SOCIAL WELFARE

New Delhi, the 16th December 1972

No. F. 1-37/71-Schools-4.—In accordance with the provisions of sub-Rules 3(iv) and 3(vii) read with provisions of Rules 7 and 8 of the Rules (as amended to date) of the National Council of Educational Research and Training, the Government of India are pleased to nominate the following persons as members of the National Council of Educational Research and Training :

Sub Rule 3(iv)

1. Shri Gopal Tripathi,
Vice-Chancellor,
Lucknow University,
Lucknow (U.P.)

2. Shri M. M. Ghani,
Vice-Chancellor,
Calicut University,
Calicut.

3. Dr. R. Mohanty,
Vice-Chancellor,
Utkal University,
Bhubaneswar.

4. Shri N. K. Vakil,
Vice-Chancellor,
The Maharaja Siyajirao,
University of Baroda,
Baroda.

Sub Rule 3 (vii)

1. Smt. V. Koteswaramma, Principal,
Childrens' Montessori High School,
Vijayawada.

2. Shri Gurdial Singh Jassal,
Headmaster,
Government High School,
Abohar (Punjab).

3. Shri M. D. Kulkarni,
Principal,
Dharmaprakasa Sreenivasiah
High School,
Scheme 6, Road No. 24(C),
Sion (West), Bombay-22.

4. Shri Gobinda Chandra Saha,
Headmaster,
Tufanganj Town Primary School,
P.O. Tufanganj, Distt. Cooch Behar,
(West Bengal).

5. Shri B. Mari Raj,
Director of Public Instruction
in Mysore.
Post Box No. 49,
Bangalore-1.

6. Shri L. N. Gupta,
Director of Education (P&S),
Bikaner (Rajasthan).

7. Shri Prakash Chand,
Secretary (Education) to
Himachal Pradesh Government,
Simla-2.

8. Dr. A. U. Shaikh,
Secretary, Education Department,
Maharashtra,
Sachivalaya, Bombay-32.

9. Prof. D. P. Yadav,
Deputy Education Minister,
Government of India,
Shastri Bhawan, New Delhi.

10. Miss A Chari,
Commissioner,
Kendriya Vidyalaya Sangathan,
Nehru House,
4, Bahadur Shah Zafar Marg,
New Delhi.

11. Prof. B. Venkataraman,
Tata Institute of Fundamental Research,
Homi Bhabha Road,
Bombay-5.

12. Prof. Rais Ahmed,
Head of the Deptt. of Physics,
Aligarh Muslim University,
Aligarh (U.P.).

The membership will be effective upto the 30th September, 1974.

K. S. AHLUWALIA, Under Secy.

(Department of Social Welfare)

RESOLUTION

New Delhi-1, the 29th December 1972

No. F.1-46/69-SW.3.—In continuation of the Department of Social Welfare Resolution No. F.1-46/69-SW.3 dated the 30th September, 1972, extending the term of the office of the General Body and members of the Executive Committee the Board, namely, the Chairman, members of the Central Social Welfare Board (Company), till and including the 31st December, 1972, the Government of India have been pleased to decide that subject to the provisions of Article 7 of the Articles of Association of the Company, the term of the office of the Board, namely, the Chairman of the Board, members of the General Body and the Executive Committee of the Board be extended for a further period of six months commencing from 1st January 1973, till and including the 30th June, 1973.

ORDER

ORDERED that a copy of this Resolution be communicated to :—

1. All the members of the Central Social Welfare Board.
2. All the State Governments/Union Territories.
3. All the Ministries/Departments of Government of India.
4. President's Secretariat.
5. Cabinet Secretariat.
6. Planning Commission.
7. Lok Sabha/Rajya Sabha Secretariat/P.M.'s Secretariat.
8. Press Information Bureau.
9. Accountant General, Central Revenues, New Delhi.
10. Department of Company Affairs.
11. Registrar of Companies, New Delhi.
12. Regional Director, Company Law Board, Kanpur.
13. Secretary, Central Social Welfare Board, New Delhi.
14. All Chairman, State Social Welfare Advisory Boards.

ORDERED also that a copy of the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

S. R. SUNDARAM, Dy. Secy.

MINISTRY OF IRRIGATION AND POWER

New Delhi, the 2nd January 1973

RESOLUTION

No. F.C. 11(58)/70.—The North Bengal Flood Control Board set up under the Government of India, Ministry of Irrigation and Power, Resolution No. F.C.11(58)/70 dated the 11th January, 1971 and as amended under Resolution No. F. C. 11(58)/70 dated the 24th April and 26th August 1971 and 15th April 1972, is further reconstituted as follows :—

1. Chief Minister, West Bengal—Chairman.
2. A representative of the Ministry of Irrigation and Power—Member.
3. Minister of Finance, West Bengal—Member.
4. Minister of Irrigation, Waterways and Power, West Bengal—Member.
5. Minister of Forests, West Bengal—Member.
6. Minister of Agriculture, West Bengal—Member.
7. Chairman, North Bengal Flood Control Commission—Secretary.

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be communicated to the State Government of West Bengal/concerned Ministries of the Government of India/Prime Minister's Secretariat/Private and Military Secretary to the President/Comptroller and Auditor General of India/Planning Commission for information.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India and that the State Government be requested to published it in the State Gazette for general information.

B. S. BANSAL, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD
AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1973